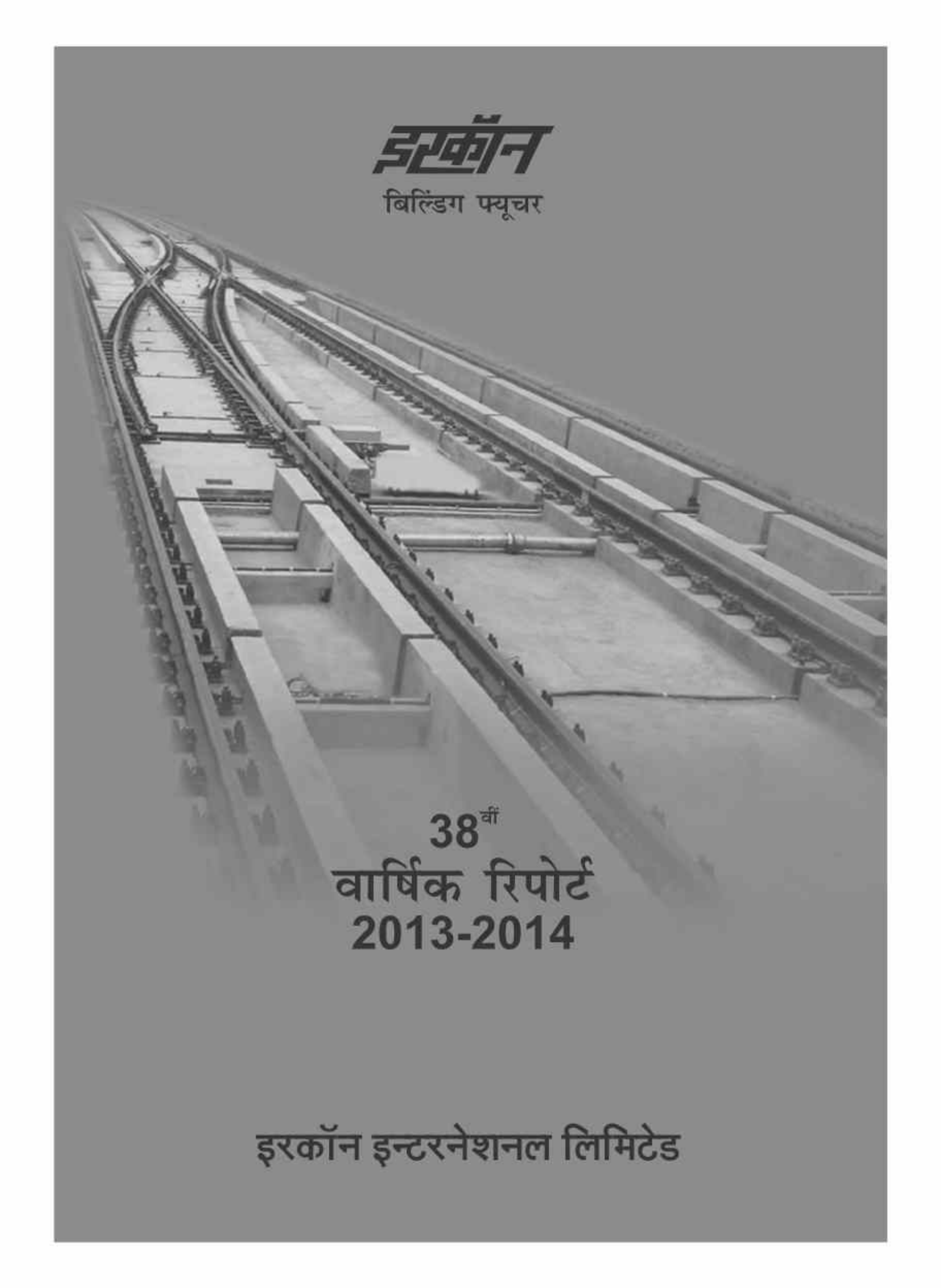




इरकॉन

बिल्डिंग फ्यूचर

**38^{वीं}
वार्षिक रिपोर्ट
2013-2014**

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

विज्ञान

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

इसकोन

लक्ष्य

- क) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।
- ख) सर्वोत्तम इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप व समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएँ प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना।

विषय-सूची

	पृष्ठ सं
निदेशक मंडल	3
पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यनिष्पादन	4
अध्यक्ष का संबोधन	5
निदेशक की रिपोर्ट	7
निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट	22
सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट	23
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	25
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	30
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट के परिशिष्ट	45
पुरस्कार और प्रमाणपत्र	46
इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं	48
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण	
तुलन पत्र	50
लाभ और हानि का विवरण	51
रोकड़ प्रवाह विवरण	52
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ - नोट सं 1	53
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां - नोट सं 2 से 50	58
स्टेन्डएलोन वित्तीय विवरणों पद लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	90
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	96
समेकित वित्तीय विवरण	
समेकित तुलन पत्र	98
समेकित लाभ और हानि विवरण	99
समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण	100
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ (समेकित) - नोट सं- 1	101
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां - नोट सं 2 से 50	106
समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	138

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

दूरभाष: 91-11-26545265/26530456 फ़ैक्स: 91-11-26522000/26854000

ई-मेल: info@ircon.org वेबसाइट: www.ircon.org

सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171

कंपनी सचिव

इति माटा

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार

मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

एचडीएफसी बैंक



साकेत, नई दिल्ली स्थित इरकॉन का कार्पोरेट कार्यालय भवन

निदेशक मंडल

(01.08.2014 तक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



मोहन तिवारी

पूर्णकालीन निदेशक



के.के. गर्ग
निदेशक वित्त



दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना



हितेश खन्ना
निदेशक कार्य

अंशकालीन (सरकारी) निदेशक



ए.के.रावल



अंजुम परवेज

स्वतंत्र निदेशक

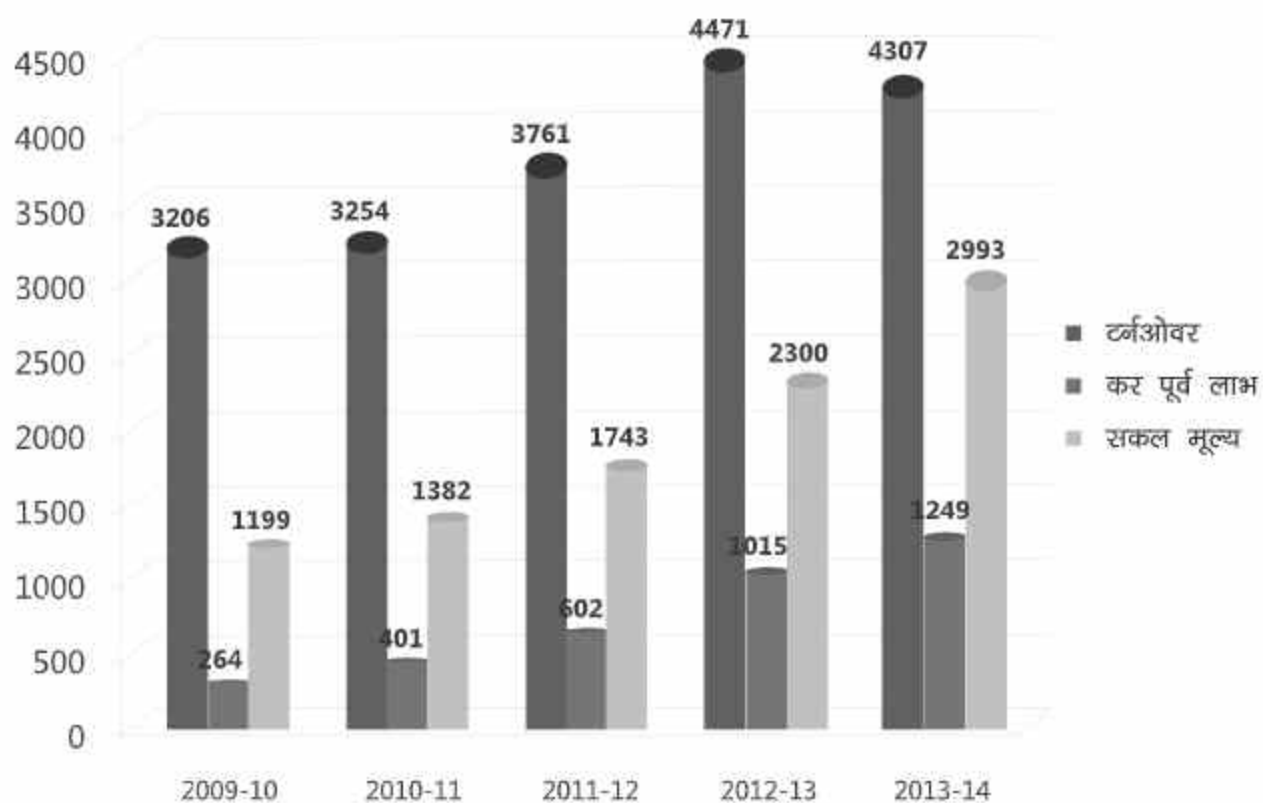


प्रो.(डॉ.)एस.एस.चटर्जी

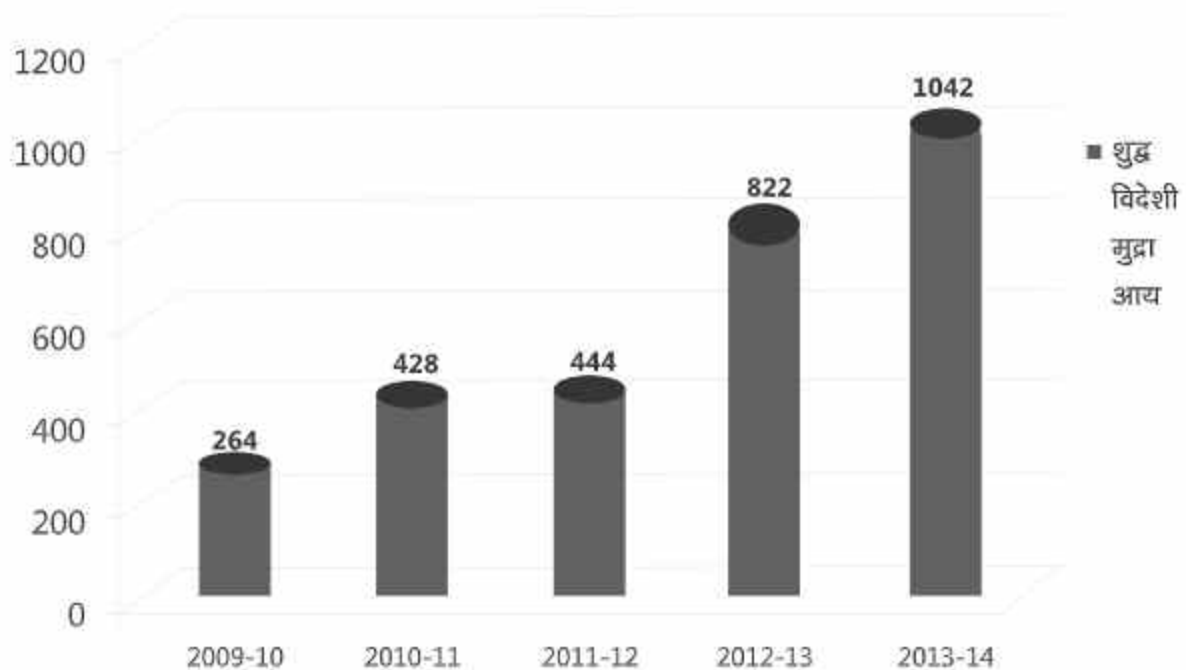


बी.एम. शर्मा

विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्य का निष्पादन
(₹ करोड़ में)



शुद्ध विदेशी मुद्रा आय
(₹ करोड़ में)



अध्यक्ष का सम्बोधन



गणमान्य शेयरधारकगण,

कंपनी की 38वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।

कंपनी के लिए यह वर्ष भी उपलब्धि भरा रहा है क्योंकि वर्ष 2013-14 में कर पूर्व लाभ 1200 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है। तथापि, अर्जित टर्नओवर पिछले वर्ष के 4471 करोड़ रुपये से 3.67% कम रहा अर्थात् 4307 करोड़ रुपये। टर्नओवर में कमी, कुछ रेल परियोजनाओं पर कार्य आरंभ न होने तथा निम्न ऑर्डर बुक स्थिति के कारण रही जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है।

वर्ष के दौरान इरकॉन के कार्यनिष्पादन की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना चाहता हूँ।

कार्यनिष्पादन की झलकियां

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भी लाभप्रदता में वृद्धि के रुझान को कायम रखा है। कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात लाभ क्रमशः 1249 करोड़ रुपये तथा 907 करोड़ रुपये रहा जो कि अब तक का अधिकतम है और यह क्रमशः लगभग 23% तथा 24% की वृद्धि को दर्शाता है।

फरवरी, 2014 में भुगतान किए गए प्रदत्त शेयर पूंजी पर 510% की दर से 100.96 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रदत्त शेयर पूंजी पर 410% की दर से 81.16 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसकी इस वार्षिक साधारण बैठक में घोषणा किए जाने के पश्चात वर्ष 2013-14 के लिए कुल लाभांश 182.12 करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाएगा।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि वर्ष 1976-1986 के दौरान कंपनी के आरंभिक वर्षों में सरकार द्वारा मात्र 5 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के प्रति आपकी कंपनी ने सरकार को वर्ष 2013-14 तक 755.10 करोड़ रुपये के कुल लाभांश का भुगतान कर दिया है।

विगत वर्षों के दौरान विकास

पिछले पांच वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी ने टर्नओवर के 9.47 % तथा कर पूर्व लाभ के 46.10% की मिश्रित वार्षिक विकास दर को प्राप्त किया है।

मेकप्रो-हिल कंस्ट्रक्शन (फाइनेन्शियल), यूएसए द्वारा प्रकाशित इंजीनियरिंग न्यूस रिकार्ड (ईएनआर) के अनुसार इरकॉन वर्ष 2009-10 से निरंतर शीर्ष 225 अंतरराष्ट्रीय कांट्रैक्टरों की सूची में बना हुआ है। इनके अगस्त 2014 के संस्करण के अनुसार इरकॉन उन चार भारतीय कंपनियों में से एक है जो वर्ष 2014 के लिए शीर्ष 250 अंतरराष्ट्रीय कांट्रैक्टरों की सूची में अपना नाम स्थापित कर पाई हैं।

परियोजना निष्पादन

मलेशिया और श्रीलंका में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करना आपकी कंपनी के लिए गर्व के क्षण हैं। मलेशिया में, 1 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सेरेम्बन-गेमास दोहरीकरण रेलपथ परियोजना व्यापक स्तर पर पूरी हो गई है। यह विदेश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी की गई अब तक की सबसे बड़ी परिवहन परियोजना है। श्रीलंका में कोलंबो-मतारा तटीय रेलवे लाइन के स्तरोन्नयन का कार्य तथा मेदवच्चिया से मधु रोड रेलवे लाइन की बहाली का कार्य पूरा हो गया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान पीर पंजाल सुरंग तथा बनिहाल से काजीगुंड खंड पर रेल लाइन, मुगलसराय-सुल्तानपुर-उतरातई रेल विद्युतीकरण परियोजना, बिहार में आरएसवीआई परियोजना के अंतर्गत राज्य राजमार्गों का विकास, तथा दो विद्युतीकरण परियोजनाओं

का कार्य पूरा किया है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिरत परियोजनाएं हैं - पटना में गंगा नदी के ऊपर रेल-सह-सड़क परियोजना, राजस्थान और बिहार में सड़क उपरिपुलों का निर्माण, रायबरेली रेल डिब्बा कारखाना, शिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना, धरम-काजीगुंड नई रेल लाइन परियोजना, झारखंड में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजनाओं का क्रियान्वयन, और नेपाल में रेल संपर्क के लिए दो परियोजनाएं।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के माध्यम से रेल अवसंरचना

आपकी कंपनी अपनी दो सहायक कंपनियों यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल - इरकॉन की 100% सहायक कंपनी) तथा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी- इरकॉन की 51% भागीदारी सहित आरएलडीए के साथ एक संयुक्त उद्यम) के माध्यम से रेल अवसंरचना के क्षेत्र में भी योगदान कर रही है।

आपकी कंपनी मार्च 2013 में सृजित दो संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) - छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीआईआरएल) तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला सम्पर्कता रेल कॉरिडोर के विकास के कार्य में सक्रीय रूप से शामिल होगी। इन दोनों संयुक्त उद्यम कंपनियों में इरकॉन की 26% की इक्विटी भागीदारी है।

शासन तथा धारणीयता

सीएसआर एवं धारणीय विकास: आपकी कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सृजित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अनुसार अपनी सीएसआर तथा धारणीय विकास नीतियों को संरेखित किया है। आपकी कंपनी ने अपनी परियोजनाओं के आसपास रवास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और कौशल विकास के क्षेत्र में 8.49 करोड़ रुपए मूल्य की सीएसआर तथा धारणीय परियोजनाओं को निष्पादित किया है। पिछले वर्ष आपकी कंपनी द्वारा किए गए कार्यों को पहचान प्राप्त हुई है और आपकी कंपनी को दो पुरस्कार अर्थात मिनि-रत्न श्रेणी के अंतर्गत "इंडिया टुडे पीएसयू अवार्ड, 2014" तथा "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रतिक्रियात्मकता के लिए स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार" प्रदान किए गए हैं।

निगमित शासन: आपकी कंपनी निगमित शासन के संबंध में विधिक अपेक्षाओं और सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। आपकी कंपनी ने निरंतर 8वें वर्ष, 2013-14 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से "शून्य" टिप्पणियां प्राप्त की हैं।

एकीकृत संधि को स्वीकार करने तथा क्रियान्वित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसे 5 करोड़ या ऊपर के मूल्य की सभी भारतीय परियोजनाओं में क्रियान्वित किया जा रहा है।

भविष्य में संभावनाएं

कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र में निर्माण व्यवसाय का परिदृश्य चुनौती पूर्ण बना हुआ है, इसके बावजूद आपकी कंपनी भारत के भीतर तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अवसरों का कुशलतापूर्वक दोहन कर रही है। देश भर में रेल नेटवर्क, उत्पादन इकाइयों तथा कारखानों को सुदृढ़ बनाने के भारतीय रेल के प्रयासों से कंपनी के रेल व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

आपकी कंपनी मलेशिया, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे देशों में अपना ध्यान केन्द्रित करना जारी रखेगी, जहां कंपनी की व्यापक उपस्थिति है और अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का उत्कृष्ट ट्रैक रिकार्ड है।

उच्च गति रेल लाइन के अभिकल्प और निर्माण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी इस क्षेत्र में तकनीक प्रदाता और विशेषज्ञता प्राप्त निर्माण कंपनियों के साथ नीतिगत गठबंधन के माध्यम से इस भावी व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

सड़क क्षेत्र में नई गति की संभावना है, और चूंकि आपकी कंपनी का इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव है तथा इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, इसलिए आपकी कंपनी ईपीसी तथा बीओटी दोनों क्षेत्रों में नए अवसरों का लाभ प्राप्त करने की अच्छी स्थिति में है।

रियल इस्टेट के क्षेत्र में संभावित विकास के दृष्टिगत, आपकी कंपनी अपने स्वामित्व वाली भूमि पर वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों के निर्माण द्वारा अपनी उपस्थिति में संवर्धन करने का प्रयास कर रही है।

आभारोक्ति

समापन से पूर्व मैं निदेशक मंडल की ओर से अपने सभी शेयरधारकों, रेलवे बोर्ड और अन्य मंत्रालयों, दूतावासों, बैंकों, तथा सभी स्ट्रेकधारकों को उनके मूल्यवान सुझावों, सहयोग तथा साख के लिए हार्दिक आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ, जिसकी हमें सदैव आवश्यकता रहेगी।

मैं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई निष्कपट और समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करना चाहता हूँ। मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों द्वारा कंपनी को सुदृढ़ बनाने में उनके मूल्यवान योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ व हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके निरंतर सहयोग और कर्मचारियों की समर्पणभावना और सक्षमता से आपकी कंपनी आगामी वर्षों में प्रगति के अनेक अन्य धारणीय कीर्तिमान स्थापित करेगी।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2014

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

गणमान्य शेयरधारकगण

कम्पनी के निदेशकों को वित्त वर्ष 2013-14 की कम्पनी की 38वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है।

कार्य निष्पादन

आपकी कम्पनी ने 4066.82 करोड़ रुपए की अपनी प्रचालनिक आय प्राप्त की है, जिसमें से 52.56% विदेशी परियोजनाओं से है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कम्पनी में फिर से लाभप्रदता में व्यापक वृद्धि हुई है जिसके अंतर्गत कर पूर्व लाभ में 23.05% से अधिक की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 में 1015 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 1249 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2013-14 में कर पश्चात लाभ में 24.25% की वृद्धि हुई है जो 2012-13 में 730 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013-14 में 907 करोड़ रुपए हो गया है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

वित्तीय निष्पादन संकेतन

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	2013-14	2012-13	% वृद्धि / कमी
1.	कुल आय/सकल बिक्री	4307	4471	(3.67)
2.	कुल प्रचालन आय	4067	4232	(3.90)
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	2137	1975	8.20
4.	कर पूर्व लाभ	1249	1015	23.05
5.	कर पश्चात लाभ	907	730	24.25
6.	निवल सम्पत्ति	2993	2300	30.13
7.	प्रति शेयर आमदनी (रुपए में)	457.92	368.76	24.18
8.	कुल विदेशी विनियम आमदनी	2185	1997	9.41
9.	विदेशी विनियम निर्गम	1143	1175	(0.027)
10.	निवल विदेशी विनियम आमदनी	1042	822	26.76
11.	लाभांश	180.12	148.47	22.66

विदेशी मुद्रा अर्जन

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन में 26.76% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2012-13 में 822 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 1042 करोड़ रुपए हो गई है और ऐसा भारतीय रुपए में उच्चतर व्यय और विदेशी मुद्रा में अर्जित राजस्व तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में उच्च संवर्धित मार्जिन के कारण हुआ है, जबकि पिछले एक वर्ष में विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में 8.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए जनवरी, 2014 में 19.796 करोड़ रुपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 51 रुपए प्रति शेयर की दर से यथा 510%, 100.96 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जिसका भुगतान शेयरधारकों को फरवरी, 2014 में किया गया था। निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के विचारार्थ 41 रुपए प्रति शेयर की दर से प्रदत्त शेयर पूँजी पर 410% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो लगभग 81.16 करोड़ रुपए होगा। इस प्रकार, 2013-14 के लिए कुल लाभांश प्रत्येक 10 रुपए के शेयर के लिए 92.00 रुपए की दर से 182.12 करोड़ रुपए हो गया है जो 148.47 करोड़ रुपए के कर पूर्व लाभ का लगभग 20.09% है जो पिछले वर्ष के दौरान 75 रुपए प्रति शेयर की दर पर था। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन एवं भुगतान के पश्चात 2013-14 तक शेयरधारकों को दिया गया संचित लाभांश लगभग 757.13 करोड़ रुपए हो गया है।

विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1	अंतरिम लाभांश	100.96	49.49
2	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	81.16	98.98
3	अंतरिम लाभांश पर कर	17.16	8.03
4	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर	14.56	18.06
5	सीएसआर गतिविधियां आरक्षित निधि में/ (से) अंतरण	(1.19)	2.90
6	सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण	693.85	554.53

आईर बुक

कंपनी को वर्ष 2013-14 के दौरान 4449 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए हैं। 31.03.2014 को कार्य का भार लगभग 12071 करोड़ रुपए है।

सहायक कंपनी की वित्तीय स्थिति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 अगस्त 2014 को आयोजित अपनी आस्थगित बैठक (31 जुलाई 2014 की बैठक की निरंतरता में आयोजित) में कंपनी के वार्षिक लेखों सहित वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें सहायक कंपनी, इरकॉन आईएसएल तथा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) की वित्तीय सूचना उपलब्ध होती है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा 8 फरवरी 2011 के सामान्य परिपत्र सं. 2/2011 के संदर्भ में निदेशक मंडल की सहमति के आधार पर सहायक कंपनी के लाभ व हानि विवरण तथा रिपोर्ट सहित पृथक तुलन पत्र को इरकॉन की वार्षिक रिपोर्ट का भाग नहीं बनाया गया है। इसके स्थान पर, लाभ व हानि विवरण तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित समेकित तुलन पत्र वाले समेकित वित्तीय विवरणों के एक सेट को आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल किया गया है। सहायक कंपनी की प्रमुख वित्तीय स्थितियों का सार नोट सं 36(ग) में शामिल किया गया है जो समेकित वित्तीय विवरणों का भाग है। निगमित कार्य मंत्रालय के उक्त परिपत्र के अनुसार, आपकी कंपनी या सहायक कंपनी के किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर आपकी कंपनी इरकॉन आईएसएल के तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, निदेशक की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। ये अभिलेख कंपनी की वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध है तथा किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए कंपनी तथा सहायक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं

मलेशिया

- एमवाईआर 3366 मिलियम मूल्य पर परिवहन मंत्रालय, मलेशिया सरकार के लिए किए जाने वाले मलेशिया में दोहरी रेलपथ परियोजना (सभी विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और संचार कार्यों सहित अभिकल्प और निर्माण आधार पर सेरेबन से गेमास के बीच (लगभग 98 किमी लंबी) का कार्य 31 जुलाई 2013 को समाप्त हो गया है। यह परियोजना अब दो वर्ष की अनुरक्षण अवधि के अधीन है। यह कार्य विदेश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा एकल संविदा के अंतर्गत पारवहन की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है।



मलेशिया स्थित रेम्बाठ रेलवे स्टेशन

श्रीलंका

2. 442.46 करोड़ रुपए (81.31 मिलियन अमरीकी डॉलर) मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में मेदवच्चिया से मधु रोड रेलवे लाईन की बहाली के लिए रेलपथ निर्माण का कार्य 31 मार्च 2013 को समाप्त कर लिया गया था। वर्ष के दौरान इस खंड के लिए परीक्षण रन 23 अप्रैल 2013 को की गई थी और 19 मई 2013 को इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
3. वर्ष के दौरान श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में ओमंथई से पल्लई तक रेल लाइन के पुनर्निर्माण का कार्य 1071 करोड़ रुपए (193.66 मिलियन अमरीकी डॉलर) के संशोधित मूल्य पर पूरा हो गया है। 14 सितंबर 2013 को श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षा द्वारा ओमंथई से किलिंओच्ची (63 किमी) तक इस परियोजना के प्रथम भाग का उद्घाटन किया गया था। यह एक ऐतिहासिक अवसर था क्योंकि इस खंड पर 23 वर्षों के पश्चात पुनः रेल सेवा आरंभ की गई थी। इस परियोजना के किलिंओच्ची से पल्लई (27 किमी) तक के शेष खंड को भी प्रचालन के लिए 4 मार्च 2014 को खोल दिया गया था।



उत्तरी श्रीलंका के ओमंथई से किलिंओच्ची तक रेलवे लाइन का प्रचालन

इथोपिया

4. आपकी कंपनी ने 66.5 करोड़ रुपए के मूल्य पर इथोपियन विद्युत ऊर्जा निगम (ईईपीसीओ) के लिए उप-स्टेशन हेतु उपकरणों की आपूर्ति, परीक्षण व उनका प्रचालन आरंभ करने की परियोजना को 30 अप्रैल 2013 को पूरा कर लिया है।

अफगानिस्तान

5. आपकी कंपनी ने 30 अप्रैल, 2013 को 51 करोड़ रुपए के मूल्य पर अफगानिस्तान में मौजूदा मजार-ए-शरीफ उपस्टेशन पर 220/20 कि.वा. के नए एबैक उपस्टेशन की आपूर्ति और संस्थापन तथा बे विस्तार का कार्य पूरा कर लिया है।

ख. नई/चालू विदेशी परियोजनाएं:

नई परियोजनाओं सहित सात परियोजनाएं प्रगति पर हैं - मलेशिया में एक, श्रीलंका में तीन, अल्जीरिया में एक तथा बांग्लादेश में दो परियोजनाएं।

मलेशिया

1. आपकी कंपनी लगभग 6.988 मिलियन अमरीकी डॉलर वार्षिक मूल्य के लिए पट्टा और अनुरक्षण संविदा के अनुसार मलेशियन रेल प्रणाली (केटीएमबी) पर 25 मीटर गेज डीजल इंजनों के प्रचालन को जारी रखे हुए है, जिसे 13.976 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल मूल्य की संविदा पर 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ा दिया गया है।

श्रीलंका

2. श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में मधु रोड से तलई मन्नार (लगभग 882 करोड़ रुपए अर्थात 160.12 मिलियन अमरीकी डॉलर) तक रेल लाइन के पुनर्निर्माण की परियोजना के दिसंबर 2014 तक जाफना तक पूरा होने की संभावना है।

3. श्रीलंका में अन्य दो चालू परियोजनाएं हैं:

- (i) लगभग 916 करोड़ रुपए अर्थात (155.26 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस में पल्लई से कन्केसनथुरई के बीच रेल लाइन के पुनर्निर्माण के कार्य के दिसंबर 2014 तक पूरा होने की संभावना है।
- (ii) लगभग 563 करोड़ रुपए (98.51 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य) पर श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस में (अनुराधापुरा से कन्केसनथुरई ओर मेडिवच्चिया से तलई मन्नारजे तक) सम्पूर्ण रेलवे नेटवर्क के लिए अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा सिगनलिंग व दूरसंचार प्रणाली को आरंभ करना, जिसकी कार्य समाप्ति सीमा जून 2015 है।

अल्जीरिया

- 6. 1103 करोड़ रुपए (230 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर अल्जीरिया सरकार से ओयडरले तथा यल्लेल के बीच 93 किमी के दोहरे ट्रैक को बिछाने के कार्य, जिसमें अल्जीर-ओमन खंड पर आयडरले से यल्लेल तक दूसरी लाइन बिछाने का कार्य तथा मौजूदा लाइन के स्तरोन्नयन का कार्य शामिल है, के मार्च 2016 तक पूरा होने की संभावना है। दोहरी लाइन के युक्तिकरण के लिए अतिरिक्त कार्य सहित संविदा का मूल्य संशोधित करके 1692 करोड़ रुपए (353 मिलियन अमरीकी डालर) कर दिया गया है।

बांग्लादेश

7. वर्ष 2013-14 के दौरान, आपकी कंपनी को बांग्लादेशी रेलवे से नई परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं:

- (i) लगभग 267 करोड़ रुपए (इरकॉन का भाग) के कुल मूल्य पर सितंबर 2013 में (लाट-ए) इरकॉन-एफकॉन संयुक्त उपक्रम द्वारा पहुंच रेल लाइनों सहित दूसरे भैरब रेल पुल के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है।
- (ii) लगभग 60 करोड़ रुपए के मूल्य पर बांग्लादेश के इशुरदी-दरसाना खंड के बीच 11 स्टेशनों पर टर्नकी आधार पर कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग कलर लाइटिंग सिगनलिंग प्रणाली के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन आरंभ का कार्य।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

मलेशिया, ओमान, बांग्लादेश, म्यानमार तथा श्रीलंका में ठेके प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित उपाय किए जा रहे हैं।

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

वर्ष के दौरान भारत में पांच परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

- (i) कश्मीर और जम्मू क्षेत्र व देश के शेष भाग को जोड़ने वाली बनिहाल से काजीगुंड तक नवनिर्मित पीर पंजाल सुरंग और रेलवे लाइन को 26 जून 2013 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। पीर पंजाल सुरंग - भारत में सबसे लंबी परिवहन सुरंग के रास्ते बनिहाल से पहली डीईएमयू रेलगाड़ी को भारत सरकार के गणमान्य अधिकारियों तथा इरकॉन के अधिकारों की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।



जम्मू-कश्मीर में 11 किमी. लम्बी पीर पंजाल सुरंग से गुजरती हुई ट्रेन का दृश्य

- (ii) केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) के लिए मुगलसराय-सुल्तानपुर-उतरातई खंड के लिए विद्युतीकरण कार्य।
- (iii) गोवा बिजली विभाग के लिए कनकोलिम, गोवा में 220/33 किवा उपस्टेशन का प्रचालन आरंभ।
- (iv) केरल राज्य बिजली बोर्ड के लिए 11 किवा संवितरण नेटवर्क (एपीडीआरपी कोच्ची शहर योजना) का निर्माण कार्य।
- (v) आरएसवीवाई योजना, बिहार के अंतर्गत राज्य राजमार्गों का विकास।

ड. भारत में नई परियोजनाएं:

वर्ष 2013-14 के दौरान आपकी कंपनी ने अतिरिक्त कार्यों सहित भारत में निम्नलिखित नई प्रमुख परियोजनाएं प्राप्त की हैं:

- (क) 71.85 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के चरण-III - संविदा सीटी-4 की दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के बंदरपुर से फरीदाबाद (लाइन 6) तक भाग 3 के मानक गेज कॉरीडोर तथा अजरौदा तथा बादली के डिपो में गिट्टी सहित/गिट्टी रहित रेलपथ के साथ ऐलिवेटेड खंड में जहांगीरपुरी से बादली (लाइन-2) पर ब्राड गेज कॉरीडोर के गिट्टी रहित रेलपथ की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन आरंभ कार्य।
- (ख) 85.73 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के लिए बिहार के गया जिले में मानपुर बायपास से प्रथम किलोमीटर पर उसकी निधियों के माध्यम से बिहार में राज्य स्वामित्व वाली सड़क (राष्ट्रीय राजमार्गों से इतर) पर एक सड़क उपरिपुल का निर्माण।
- (ग) 90 करोड़ रुपये की कुल मूल्य पर नवीनगर ऊर्जा निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना (3x660 मे.वा.) के लिए कोयला पारवहन प्रणाली का निर्माण तथा डीपीआर एवं विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन।
- (घ) 25 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर लेंगपुई, आइजवाल, मिजोरम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम के लिए टॉपोग्राफिक तथा भू-तकनीकी सर्वेक्षण, मास्टर योजना तैयार करना, नियोजन, अभिकल्पन और चारदीवारी का निर्माण और संबंधित आरंभिक कार्य।
- (ङ) 303.45 करोड़ रुपये के संशोधित मूल्य पर उत्तर रेलवे के उधमपुर, श्रीनगर, बारामुला रेल संपर्क परियोजना (यूएसबीआरएल) के भाग यथा बनिहाल-बारामुला खंड (137.73 कि.मी.) के लिए रेल विद्युतीकरण कार्य।
- (च) जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विभाग के जम्मू प्रांत (कलस्टर-I, जम्मू लेफ्ट), (कलस्टर-II, जम्मू राइट), तथा (कलस्टर-IV) अखनूर, राजौरी, पूंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवार तथा भदेरवा के अंतर्गत आरएपीडीआरपी-भाग ख परियोजना।
- (छ) 190.05 करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर उत्तर फ्रंटियर रेल के अमरतला-अखौरा नई रेल लिंक (भारतीय भाग)।
- (ज) छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ़ में खरसिया से धरमजाग्रह के बीच पूर्वी कॉरीडोर।
- (झ) जम्मू और कश्मीर में केआरसीएल द्वारा इरकॉन को हस्तांतरित उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला नई रेल लाइन परियोजना (यूएसबीआरएल-II) में अतिरिक्त कार्य।

च. भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाएं प्रगतिरत हैं:

- (क) वर्ष के दौरान प्राप्त अतिरिक्त कार्यों सहित जम्मू और कश्मीर में धरम से काजीगुंड (धरम काजीगुंड) तक किमी 100.88 से किमी 168 में बीजी नई रेल लाइन का डिजाइन और निर्माण।
- (ख) 1589.70 करोड़ रुपये के संशोधित मूल्य पर पटना में गंगा नदी के ऊपर रेल-सह-सड़क पुल के स्टील सुपर-स्ट्रक्चर का निर्माण और अनुषंगी कार्य।
- (ग) वर्ष के दौरान प्राप्त अतिरिक्त कार्यों के अतिरिक्त 1810 करोड़ रुपये के संशोधित मूल्य पर रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना।
- (घ) 1339.48 करोड़ रुपये के संशोधित मूल्य पर सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना।
- (ङ) 318.61 करोड़ रुपये के संशोधित मूल्य पर जोगबनी (बिहार) भारत से बीराटनगर (नेपाल) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।

- (च) 577.10 करोड़ रुपए के संशोधित मूल्य पर भारत-नेपाल सीमा पर बर्दीबस तक विस्तार सहित जयनगर (भारत)-बीजलपुरा (नेपाल)(आमान परिवर्तन)के बीच रेल संपर्क का निर्माण।
- (छ) 506.81 करोड़ रुपए तथा 1073.26 करोड़ रुपए के संशोधित मूल्य पर क्रमशः राजस्थान और बिहार में सड़क उपरिपुलों का निर्माण।
- (ज) 168.46 करोड़ रुपए के संशोधित मूल्य पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए कलिसिंध पावर परियोजना, चरण-1, झलावर, राजस्थान के लिए रेल साइडिंग का डिजाइन, इंजीनियरिंग आदि और उसे प्रचालन के लिए आरंभ करना।
- (झ) 204.85 करोड़ रुपए के संशोधित मूल्य पर दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अनिवार्य यात्री सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शालिमार में कोचिंग टर्मिनल का विकास।
- (त) 210.21 करोड़ रुपए के संशोधित मूल्य पर दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागावी में सर्कुलेटिंग क्षेत्र तथा अनिवार्य यात्री सुविधाओं और कोनाएक्सप्रेसवे के लिए सड़क संपर्कता का विकास।
- (थ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार के लिए 685 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों (घरवा, गुमला, रांची, लोहरांग सिमडेगा) में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण/स्तरोन्नयन।
- (द) 234.95 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर दिल्ली एमआरटीएस परियोजना, चरण-III के लिए डीएमआरसी के सीई-6, लॉट-1 के अंतर्गत ग्रिड उप-स्टेशन से उच्च वोल्टता केबलिंग और मौजूदा रिसीविंग उप-स्टेशन के लिए संवर्धन कार्य सहित रिसीविंग-सह-घर्षण तथा अनुषंगी मुख्य उप-स्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन का कार्य।
- (ध) 234.48 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर बोंडामुंडा (दक्षिण पूर्व रेलवे), दौंड (मध्य रेलवे), तथा मुगलसराय (उत्तरी रेलवे) में 200 तीन फेज इंजनों के लिए तीन इलैक्ट्रिक लोको शेडों की स्थापना।

छ) संयुक्त उद्यम कंपनी

मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कंपनी

वर्ष 2004 के दौरान मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कंपनी कम्पैनिया डोस कमीनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी) का गठन किया गया था जिसमें, आपकी कंपनी की 25% की इक्विटी हिस्सेदारी है तथा राइट्स की 26% की और मोजांबिक के रेल उपक्रम, सीएफएम की 49% की इक्विटी हिस्सेदारी है।

सीसीएफबी में निवेश की स्थिति निम्नानुसार है:

	आज की तारीख को कुल संवितरण (मिलियन अमरीकी डालर)
(क) इक्विटी	1.25
(ख) शेयरधारकों का ऋण	20.08
कुल	21.33

सीसीएफबी ने 31.03.2014 तक उपर्युक्त ऋण पर 7.34 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के ब्याज सहित मूल राशि के पुनर्भुगतान में चूक थी जिसमें 28.02.2013 को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के शेयरधारक ऋण का आंशिक पुनर्भुगतान शामिल नहीं है। नीचे वर्णित रियायत की समाप्ति के कारण 1 अप्रैल 2011 के पश्चात उपर्युक्त ऋण पर संचित ब्याज को लेखा बहियों में शामिल नहीं किया गया है। एक परंपरागत दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए इस निवेश के प्रति एक उपयुक्त प्रावधान भी किया गया है।

रियायत की समाप्ति:

लाइन का पुनरुद्धार किया गया था और कोयला ले जाने के लिए रेलगाड़ियों का निर्बाध संचलन आरंभ हो गया है, तथापि, संबंधित प्राधिकरण (परिवहन एवं संचार मंत्रालय, मोजांबिक सरकार)द्वारा रियायत को समाप्त कर दिया गया था और दिसंबर 2011 में रियायत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। सीसीएफबी ने ईसीसी नियमों के अंतर्गत मोजांबिक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थता की कार्यवाई आरंभ कर दी है और मई 2013 को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता के लिए अनुरोध दायर कर दिया है। हालांकि मध्यस्थता प्रक्रिया प्रगति पर है, इस विवाद के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए जुलाई 2014 में मोजांबिक सरकार द्वारा पहल की गई है।

भारत में संयुक्त उद्यम कंपनी

1. इरकॉन सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड

'इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड' (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन 19 अप्रैल, 2005 को इरकॉन तथा सोमा इन्टरप्राइस लिमिटेड (निर्माण कंपनी) की 50% की इक्विटी साझेदारी के साथ की गई थी और इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के पीपलगांव-धूले खंड को चार लेन का बनाने की बीओटी परियोजना निष्पादित करने के लिए किया गया है जिसे 2010-11 में पूरा कर लिया गया है।

आईएसटीपीएल में इरकॉन के निवेश का मूल्य 63.87 करोड़ रुपये है जो कि आईएसटीपीएल की इक्विटी पूंजा का 50 प्रतिशत है। जहां तक शेयरधारकों की स्वीकृति द्वारा अपनी अपेक्षित निधियों को पूरा करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान आईएसटीपीएल द्वारा पीएनबी से लिए गए 521.53 करोड़ रुपये के ऋण का संबंध है, इसमें 31 मार्च 2014 को 444.29 करोड़ रुपये का बकाया ऋण शेष है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 2011-12 में पीएनबी को दिए गए शपथ के अंतर्गत आईएसटीपीएल में इरकॉन की मौजूदा शेयरधारिता के 30 प्रतिशत के शपथ को इरकॉन द्वारा पीएनबी और आईएसटीपीएल के साथ एक त्रिपक्षीय शपथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. छत्तीसगढ़ पूर्वी रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड

दो परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में दो कोयला संपर्कता रेल कॉरीडोर, कॉरीडोर-1: पूर्वी कॉरीडोर (लंबाई 180 किमी), और कॉरीडोर-III: पूर्व पश्चिम कॉरीडोर (लंबाई 122 किमी) के विकास के लिए 3 नवंबर 2012 को इरकॉन, छत्तीसगढ़ सरकार और साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, दो संयुक्त उद्यम कंपनियां यथा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) तथा छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) का सृजन क्रमशः 12 मार्च, 2013 तथा 25 मार्च, 2013 को किया गया था जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 26%, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ़ राज्य की नामिति) की इक्विटी भागीदारी 10% और एसईसीएल की इक्विटी भागीदारी 64% है।

सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल दोनों ने 07 मई, 2013 को कार्य आरंभ करने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। दोनों कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक के लिए 4.055 करोड़ रुपये है और उनकी प्रदत्त व अंशदायी शेयर पूंजी प्रत्येक के लिए 5 करोड़ रुपये है। दोनों कंपनियों ने इरकॉन का निवेश प्रत्येक के लिए 1.17 करोड़ रुपये है क्योंकि सीईआरएल तथा सीईडब्ल्यूआरएल दोनों में इक्विटी पूंजी का 26% है।

दोनों कंपनियों ने रेल गलियारों के निर्माण को सुलभ बनाने के लिए इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में प्रदेश किया है।

छ. सहायक कंपनियां

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. (इरकॉन आईएसएल)

आपकी कंपनी ने 30 सितम्बर, 2009 को "इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड" (इरकॉन आईएसएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल की प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ रुपये है। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों (एम.एफ.सी) हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी मुद्दे। वर्ष के दौरान, इरकॉन आईएसएल हायर पर्वेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण उपायों सहित सभी प्रकार से सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

इरकॉन आईएसएल को रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा रेल प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। सभी 23 स्टेशनों पर कार्य पूरा हो गया है, जिसमें से 17 बहुउद्देशीय परिसरों यथा इलाहबाद, हुबली, कानपुर, रायपुर, जम्मू, उदयपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, जोधपुर, मैसूर, हैदराबाद, बिलासपुर, बर्धमान, रामपुरहाट, राजगीर, तथा हरिद्वार, को इरकॉन आईएसएल द्वारा तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया गया है।

वर्ष के दौरान, इरकॉन आईएसएल ने म्यांमार में कलादन बहु-मॉडल ट्रांजिट परियोजना के प्लेटवा रो भारत म्यांमार सीमा तक सड़क भाग का डीपीआर तैयार करने हेतु विदेश मंत्रालय के लिए परामर्श का कार्य निष्पादित किया है। इरकॉन आईएसएल ने म्यांमार के

तमु-कलेवा खंड में 71 पुलों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए विदेश मंत्रालय से परामर्शदात्री परियोजना प्राप्त की है।

31 मार्च, 2014 को, इरकॉन आईएसएल में निवेश में शामिल है:

विवरण	कुल निवेश (रुपए करोड़ में)
इक्विटी (100% शेयरधारिता)	40
ऋण (प्रतिबद्ध 64.90 करोड़ रुपए)	48.15
कुल	88.15

2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

आपकी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ 12 अप्रैल 2012 को "भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)" नामक एक सहायक कंपनी का निर्माण किया था। आईआरएसडीसी में आपकी कंपनी की शेयरधारिता 51 प्रतिशत है। रेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण की शेयरधारिता 49 प्रतिशत है। इसने 9 मई 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। आईआरएसडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए और इसकी प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड़ रुपये है।

समझौता ज्ञापन में निर्धारित अनुसार आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन सहित मौजूदा/नए रेलवे स्टेशन (स्टेशनों) का विकास पुनर्विकास करना तथा भूमि/वायु क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करना है।

आईआरएसडीसी को विकास/पुनर्विकास के लिए चंडीगढ़, हबीबगंज (भोपाल), शिवाजी नगर (पुणे), बिजवासन तथा आनंद विहार (नई दिल्ली) में 5 स्टेशनों पर कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना को स्व. विकास मॉडल या तीसरे पक्ष विकास या दोनों के संयोजन के आधार पर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है जिसमें आईआरएसडीसी को स्टेशन विकास तथा पुनर्विकास कार्यों के प्रयोजन से वाणिज्यिक विकास के लिए पट्टाधारित अधिकार, मार्गाधिकार तथा लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

वर्ष के दौरान, आईआरएसडीसी रेल मंत्रालय तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किए जाने हेतु सभी पांच स्टेशनों के लिए मास्टर तथा अवधारणा योजना तैयार तथा प्रस्तुत कर दी है। इनमें से, हबीबगंज तथा शिवाजी नगर स्थित स्टेशनों के लिए योजनाओं को रेल मंत्रालय तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, और चंडीगढ़ में स्थित स्टेशन को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, दोनों सहायक कंपनियों यथा इरकॉन आईएसएल तथा आईआरएसडीसी ने डीपीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार इरकॉन (धारक कंपनी) के साथ वर्ष 2014-15 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुपालन

क) लेखांकन उपचार का प्रकटन

बेरा रेल रियायत परियोजना की देय राशि - सीसीएफबी को दिए गए ऋणों की मूल राशि तथा संचित ब्याज को लेखांकन मानक-11 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान दरों के स्थान पर विवेक के आधार पर 31 मार्च 2011 को प्रचलित विनिमय दर (यथा 1 अमरीकी डालर = 44.23 रुपए) पर रुपांतरित किया गया है। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरणों के नोट सं 40 में दिया गया है।

ख. राष्ट्रपति का आदेश

वर्ष 2013-14 के दौरान कोई राष्ट्रपति आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. राजभाषा

नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाता है और यूनिकोड प्रणाली तथा राजभाषा के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटरों और मोबाइल फोनों के लिए द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

घ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी तथा एक सहायक जन-सूचना अधिकारी के साथ-साथ कंपनी के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्यालय के एक राज्य स्तरीय जन-सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कंपनी की वेबसाइट में डाल दी गई है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रूप से सेवा संबंधी मुद्दों और उनके ब्यौरों तथा ठेकेदारों व वेंडरों के कार्य से संबंधित होती हैं।

वर्ष के दौरान, प्रथम तथा द्वितीय अपीलों सहित 136 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 125 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और 11 आवेदन लंबित हैं - 4 आवेदन अतिरिक्त शुल्क के अभाव के कारण तथा शेष आवेदनों पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रियाधीन हैं, तथा वर्ष की समाप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर दिए गए।

ड. कर्मचारियों का विवरण

वर्ष 2013-14 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए या अधिक या प्रतिमाह 5 लाख रुपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

च. कंपनी अधिनियम, 2013

कंपनी अधिनियम, 2013 (नया अधिनियम) को 30 अगस्त 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, जहां 12 सितंबर, 2013 से वर्ष के दौरान नए अधिनियम के केवल कतिपय अनुच्छेद ही प्रभावी हुए और नए अधिनियम का प्रमुख भाग 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ था। निगमित मामले मंत्रालय ने अपने दिनांक 4 अप्रैल 2014 के सामान्य परिपत्र सं. 08/14 के तहत यह स्पष्ट किया कि, वित्त वर्ष 2013-14 के संबंध में वित्तीय विवरणों (और इनके साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा बोर्ड की रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों/अनुसूचियों/नियमों द्वारा शासित होंगे और कि नए अधिनियम के प्रावधान वर्ष 2014-15 से आगे लागू होंगे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 तथा नए अधिनियम के प्रावधानों का इस रिपोर्ट तथा इसके अनुबंधों में उल्लेख किया गया है।

कार्मिक विकास

कंपनी में वर्षभर कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां बाहरी शिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए अधिकारियों को प्रख्यात संस्थानों के साथ नामित किया गया था। कार्यपालकों के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई थीं जिसे कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ा गया था तथा संगठनात्मक संस्कृति के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए गए थे। कंपनी व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है।

31 मार्च 2014 को कार्मिकों की कुल संख्या 1579 है जिनमें 91 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा इनमें से अधिकतर (71) को विदेशी परियोजनाओं में लगाया गया है। 1344 नियमित कार्मिकों में से 1130 कार्मिक भारतीय परियोजनाओं पर तैनात हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 72 है, जिनमें से 42 कार्यपालक हैं। कंपनी के 573 (36.29%) कार्मिक इंजीनियर हैं।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैसे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक बार शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। निगमित कार्यालय में होम्योपैथी उपचार की मौजूदा सुविधा के अतिरिक्त, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता तथा मार्गदर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। निगमित कार्यालय, राय बरेली में परियोजना कार्यालय तथा गुड़गांव में प्रशिक्षण केन्द्र में जिम सुविधा उपलब्ध है।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है। वर्ष के दौरान कंपनी ने निगमित कार्यालय में महिलाओं के लिए स्व-रक्षा तथा जागरूकता संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

कंपनी ने मानव संसाधनों के प्रबंधन के लिए सक्षमता आधारित फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान, ग्रोव (उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन तथा विजय के लिए तैयार रहें) नामक पहल आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के लिए सक्षमता मार्ग का निर्माण करना तथा सभी स्तरों पर कर्मचारियों के सक्षमता पूल की पहचान करना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार उपलब्ध श्रमशक्ति

के कौशलों के संरेखण के लिए सक्षमता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। मानव संसाधन विभाग ई-लर्निंग प्रणाली के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है, जिसके द्वारा संयुक्त ज्ञान और अनुभव के एक पूल का निर्माण किया जाएगा।

28 अप्रैल, 2014 को 38वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा भारत तथा विदेशी परियोजनाओं तथा चुनिंदा परियोजनाओं में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया। कर्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

गुणवत्ता, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। सितम्बर, 2011 में कंपनी को टीयूवी एसयूवी दक्षिण एशिया द्वारा अद्यतन संशोधित कोड आई.एस.ओ 9001-2008 के अनुसार लेखापरीक्षा के पश्चात पुनः प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र सितम्बर, 2014 तक वैध है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात, मई 2014 में पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा की गई थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और कंपनी के लिए पुनः प्रमाणन की सिफारिश की गई है।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और इसे अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 14001 : 2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र अक्टूबर, 2014 तक वैध है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात, मई 2014 में पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा की गई थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और कंपनी के लिए पुनः प्रमाणन की सिफारिश की गई है।

आपकी कंपनी को टीयूवी एसयूवी साउथ एशिया द्वारा दिसम्बर, 2012 को व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएस-बीएस 18001 : 2007) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र दिसम्बर, 2015 तक वैध रहेगा। निर्माण गतिविधियों के दौरान संभावित खतरों के जोखिम प्रबंधन का कार्य ओएचएसएस की अपेक्षाओं की अनुसार परियोजनाओं में किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों, यथा आठ परियोजनाओं के लिए ओएचएसएस हेतु निगरानी लेखापरीक्षा को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है।

निगमित गुणवत्ता परिषद तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमशः निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की गई थी ताकि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा जाता है तथा इनकी समीक्षा की गई थी। सभी कार्यालयों तथा परियोजनाओं में प्रतिवर्ष आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया जाता है। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल ऑडिट के दौरान सामने आए गैर अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हों, आदि का भी उल्लेख होता है।

गुणवत्ता प्रबंधन विभाग द्वारा पर्यावरण के चिह्नित प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए प्रचालनिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की स्थापना की गई है और अधिकारियों, परियोजना कर्मिकों तथा स्टाफ को निर्माण गतिविधियों, संयंत्रों तथा मशीनरी, वाहनों आदि से होने वाले पर्यावरणिक प्रभावों के संबंध में जागरूक करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सभी भारतीय परियोजनाओं में सुरक्षा और पर्यावरण अधिकारियों को नामित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय भवन में विभिन्न अत्याधुनिक प्रणालियां संस्थापित की गई हैं और पर्यावरण सहिष्णु प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। वर्ष के दौरान, गुणवत्ता प्रबंधन विभाग ने सभी भारतीय परियोजनाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण लगी चोटों के लिए रिपोर्टिंग तंत्र आरंभ किया है और गुणवत्ता परिषद की बैठकों के दौरान निगमित कार्यालय में ऐसी सूचनाओं की केन्द्रीय मॉनीटरिंग के उपाय किए हैं।

कंपनी ने निर्माण गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए जम्मू में पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना की थी।

अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी कोई विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रूप में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है।

वर्ष के दौरान अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में वेब आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली का विकास, 2300 एचपी इंजनों के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली को शामिल किया जाना तथा इंजन कैबिन में सुधार, तथा भारतीय रेल में गिट्टी रहित रेलपथ को अपनाने के लिए अभिकल्प तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल हैं। कंपनी ने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी पर विशिष्ट बल देत हुए तथा तकनीकी श्रमशक्ति के कौशलों में सुधार करने के लिए परियोजना सुपुर्दगी में सुधार करने, लागत में कमी करने तथा स्थायी सामान्य व्यवसाय के उद्देश्य से प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित वस्तुओं के लिए अनुसंधान तथा विकास प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन तथा समावेशन

आपकी कम्पनी ने प्रौद्योगिकी तथा निर्माण तकनीकों के निरन्तर स्तरोन्नयन के लिए एक 'इंजीनियरिंग नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा कक्ष' स्थापित किया है, और यह उपयुक्त अभिकल्पन तथा बहुमूल्य इंजीनियरिंग के पहलुओं पर निगरानी रखता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अभिकल्प तथा आरेखों की समीक्षा भी करता है, तथा संरक्षण अभिकल्प, भू-तकनीकी आदि क्षेत्रों में तकनीकी बैक-अप के साथ नई परियोजनाओं के विपणन प्रयासों व अवधारणीकरण में सहयोग देने के लिए अभिकल्प डाटा के मानकीकरण के साथ इंजीनियरिंग उपाय उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है। जम्मू और कश्मीर में हाल में आरंभ किए गए पीर पंजाल सुरंग में सुरंग संवातन प्रक्रिया में पहली बार सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए विद्युतीय उपकरणों की ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा मॉनिटरिंग के नियंत्रण के लिए 11 केवी प्रणाली हेतु पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) का प्रयोग किया गया है और इसका प्रयोग रायबरेली में रेल डिब्बा कारखाना परियोजना में भी किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ईआरपी का विकास

कंपनी ने वित्त तथा मानव संसाधन (एचआर) में उन्नत व्यावसायिक प्रक्रियाओं सहित बेहतर क्रियात्मक संवर्धनों के लिए एसएपी ईसीसी 6.0 के नवीनतम वर्जन का प्रयोग आरंभ कर दिया है। निकट भविष्य में अन्य विभागों और परियोजनाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा।

आपकी कंपनी एक अत्याधुनिक केन्द्र का अनुरक्षण कर रही है। यह डाटा केन्द्र समर्पित लीज लाइनों के माध्यम से हर समय राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ जुड़ा रहता है। यह डाटा केन्द्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग तथा डाटा हेतु उच्च गति लेन तथा वेन सम्पर्कता के लिए नेटवर्क तथा इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से भी सुसज्जित है।

घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की मॉनीटरिंग और नियंत्रण विडियो कान्फ्रेंसिंग जैसी लागत कुशल संचार सुविधाओं सहित कम्प्यूटर आधारित आरेखन एवं अभिकल्प सॉफ्टवेयर सहित परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयरों के प्रयोग से किया जा रहा है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मुद्दों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की गई है।

यह विभाग निविदा और संविदाओं, कार्यों के निष्पादन, तथा अन्य क्रियाओं की निवारक जांचों के साथ-साथ शिकायतों की जांचों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस वर्ष विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं/इकाइयों में 08 निरीक्षण किए हैं। विभिन्न प्राधिकारियों (सीवीसी/रेलवे बोर्ड सतर्कता विभाग) द्वारा अधिकारियों, प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच तार्किक निष्कर्ष के आधार पर की थी। निष्कर्षों के आधार पर निविदा एवं संविदा, वित्त आदि से संबंधित कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में और परियोजना प्रबंधन में भी प्रणाली सुधारों पर परिपत्र जारी किए गए थे ताकि अनियमितताओं/प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और खामियों को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निवारण के लिए कदम उठाए गए थे। कर्मचारियों के अचल संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण, चर्चा, प्रतिस्पर्धाओं आदि के माध्यम से कार्य निष्पादन में नियमों/प्रक्रियाओं/सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का सृजन करना आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।



इरकॉन में उन्नत पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उद्घाटन विषय पर कार्यशाला का आयोजन

बेहतर पारदर्शिता के लिए "प्रौद्योगिकी के उत्तोलन" हेतु एक कदम के रूप में वर्ष 2013-14 के दौरान रेल सार्वजनिक क्षेत्र के अनुक्रमों के अनुभवों को बांटने के लिए तथा ऑनलाइन अनुशासनिक और सतर्कता क्लियरेंस के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु "उन्नत पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उत्तोलन" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर सतर्कता अनुभाग/पोर्टल में शिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति की सुविधा तथा अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति रिटर्न को ऑनलाइन जमा कराने की प्रणाली उपलब्ध है। बेहतर पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से संगठन में पहले ही ई-प्रापण प्रणाली आरंभ की गई है। सतर्कता विभाग अनैतिक पद्धतियों के निवारण के लिए कदम उठाकर संगठन की कार्यप्रणाली में भेदभाव रहित, न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी वातावरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

सत्यनिष्ठा संधि

मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सरकारी संगठनों में प्रमुख प्रापणों के संबंध में सत्यनिष्ठा संधि को अपनाए जाने की सिफारिश की है। तदनुसार, सत्यनिष्ठा संधि को स्वीकार करने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए 22 अप्रैल 2014 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी ने सभी भारतीय परियोजनाओं पर 5 करोड़ रुपये या अधिक के अनुमानित मूल्य वाले कार्यों और आपूर्तियों के लिए निविदाओं/संविदा के लिए सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। आपकी कंपनी ने गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति की है, और अन्य आईईएम की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

पुरस्कार

वर्ष के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

1. जन उपक्रम संस्थान द्वारा "मानव संसाधन विकास वाले सीईओ" के लिए "एशिया पैसेफिक एचआरएम कांग्रेस पुरस्कार, 2013" प्रदान किया गया जिसे 5 सितंबर, 2013 को बंगलूरु में आयोजित एक समारोह में श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्राप्त किया गया था।



एचआर ओरिएंटेशन वाले सीईओ के लिए वैश्विक एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए इरकॉन के सीएमडी

2. इरकॉन को दो इन एंड ब्रेटस्ट्रीट इन्फ्रा अवार्ड, 2013 प्रदान किए गए, एक रजत ट्रॉफी निर्माण-अवसंरचना विकास-मिड श्रेणी के लिए तथा दूसरा जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क परियोजना के काजीगुंड-बनिहाल खंड के लिए "रेल" श्रेणी के अंतर्गत सर्वोत्तम परियोजना के लिए प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार 29 अक्टूबर, 2013 को मुम्बई में आयोजित एक समारोह में इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री मोहन तिवारी द्वारा प्राप्त किया गया था।
3. "सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम - भारत छवि संवर्धन में उत्कृष्टता" के लिए इंडिया प्राइड अवार्ड, 2013-14 प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार 19 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. एम.एम. पल्लम राजू द्वारा इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान किया गया था।
4. वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी को शीर्ष मर्यद निर्यातक की श्रेणी में निर्यात उत्कृष्टता के लिए ईईपीसी से स्वर्ण ट्रॉफी प्राप्त हुई। यह पुरस्कार 22 जनवरी, 2014 को मुम्बई में आयोजित एक समारोह में युगांडा के माननीय उद्योग एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जेम्स ए.एस. मुटेंडे द्वारा श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान किया गया था।

5. 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनी के सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रबंधन की श्रेणी में तथा जम्मू और कश्मीर में पीर पंजल रेल सुरंग के लिए सर्वोत्तम निर्माण परियोजना के लिए दो "सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार, 2014" प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार 7 मार्च 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सीआईडीसी) के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया था।
6. वर्ष 2012-13 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रतिक्रियात्मकता की श्रेणी के अंतर्गत स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार का प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था।



निर्माण क्षेत्र में शीर्ष अवसरचना कंपनी पुरस्कार-अवसरचना विकास-मिड

एकीकृत रिपोर्ट

"सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट", प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट तथा "कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट" इनके उप अनुबंधों सहित निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें क्रमशः इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" "ख" तथा "ग" के रूप में रखा गया है।

सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट वर्ष के दौरान की गई सीएसआर तथा धारणीय विकास योजना, नीति तथा गतिविधियों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वर्ष की समाप्ति के पश्चात सृजित सीएसआर नीति आदि को दर्शाने वाली रिपोर्ट है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी, इसके कानूनी स्तर और रवायत्ता, उसके व्यावसायिक परिवेश, लक्ष्य एवं उद्देश्यों, दृष्टिकोण, क्षेत्रीय तथा वर्गवार प्रचालनिक निष्पादन, विशेषताओं, अवसरों, सीमाओं, जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं, नीतियों, भावी सम्भावनाओं आदि का प्रारूप प्रस्तुत करती है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2013-14 तथा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं।

- (i) वर्ष 2013-14 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुलग्नक 'ग'-1 पर);
- (ii) वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा विश्वसनीयता, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 'ग'-2 पर); और
- (iii) सनदी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 'ग'-3 पर)

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

1. वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।
2. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2013-14 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।
3. जैसा कि वार्षिक लेखे में घोषित है, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (जहां कहीं लागू हो) के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. वार्षिक लेख-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है।

निदेशक मंडल

अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित हुई थीं जिनमें से जून, 2013, सितंबर 2013, दिसम्बर, 2013 तथा मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की गई थी।

आज की तारीख को निम्नलिखित निदेशकों ने पद ग्रहण किए हुए हैं:

	नाम	से प्रभावी
1	श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01/02/2009 से प्रभावी
2	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	03/11/2009 से प्रभावी
3	श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	16/04/2010 से प्रभावी
4	श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य	07/03/2011 से प्रभावी
5	प्रो. (डॉ.) एस.एस. चटर्जी स्वतंत्र निदेशक, अंशकालीन (गैर-सरकारी)	16/09/2011 से प्रभावी
6	श्री बी.एम. शर्मा स्वतंत्र निदेशक, अंशकालीन (गैर-सरकारी)	19/09/2011 से प्रभावी
7	श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	15/07/2013 से प्रभावी
8	श्री ए.के. रावल अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	28/01/2014 से प्रभावी

2013-14 के दौरान तथा तत्पश्चात् इस रिपोर्ट की तारीख तक निम्नलिखित निदेशकों ने अपने पद को छोड़ा है :

1.	श्री डी.के. सराफ, अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	दिनांक 30.06.2013 (अ.) को अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड के पद से अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद को छोड़ा। 17.02.2012 (पू.) से 30.06.2013 (अ.) तक पद पर रहे।
2.	डॉ. जी.वी. राव स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन) गैर-सरकारी	07.10.2013 (अ.) को 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर पद को छोड़ा। 08.10.2010 (पू.) से 07.10.2013 (अ.) तक पद पर रहे।

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2013-2014 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं:

सांविधिक लेखापरीक्षक :	
विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स	कम्पनी के लिए समग्र रूप से
भारत में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक	
ए एस पी एन एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
प्रवेश जैन एंड कंपनी, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत सभी परियोजनाएं (श्रीनगर क्षेत्र के रूप में नामित)
जे.एल.सेनगुप्ता एंड कंपनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
एम.एस.एस.वी. एंड कंपनी, बंगलुरु (कर्नाटक)	दक्षिणी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं तथा पश्चिमी क्षेत्र की एक परियोजना
विदेश में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक	
विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स	मलेशिया, इथोपिया, मोजांबिक तथा अफगानिस्तान में सभी परियोजनाएं
कैबिनेट डी.ऑडिट ऐट सीएसी, अल्जीरिया	अल्जीरिया
गजमा एंड कंपनी, कोलंबो, श्रीलंका	श्रीलंका

लागत लेखाकार

वर्ष 2013-14 के दौरान, निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत लागू नियमों/मार्गदर्शी नोटों के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण तथा उन पर अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी लागत लेखाकार के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है।

निर्धारित समय-सीमा के भीतर एक्सबीआरएल फॉर्मेट में वर्ष 2012-13 के लिए लागत अनुपालन रिपोर्ट और उसके अनुबंधों को निगमित कार्य मंत्रालय में दायर किया गया था।

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, विभिन्न बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, राजदूतावासों, आप्रवासन प्राधिकारियों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रुचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सहायता करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के कार्यनिष्ठादन तथा लक्ष्यप्रदत्ता में सुधार करने के लिए कम्पनी के कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण तथा कृतज्ञता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट
(लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों के उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट:

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखों में कंपनी द्वारा शामिल की गई विभिन्न टिप्पणियां और लेखांकन नीतियों का संदर्भ दिया गया है। यह नोट स्व:वर्णनात्मक हैं।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

पैरा सं.	प्रबंधन के उत्तर
(iv)	कंपनी ने दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।
(vii)	भारतीय परियोजनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्मों को नियुक्त किया गया है और विदेशी परियोजनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का विचार है कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है और यही विचार कंपनी के लेखापरीक्षकों की छह पीठों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार कंपनी की एक सतत प्रक्रिया है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2014

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सीएसआर एवं धारणीय विकास रिपोर्ट

अनुबंध क

क. सीएसआर तथा धारणीय विकास: 2013-14

01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी "सीपीएसई के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता" पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2013-14 से आगे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा धारणीय विकास (एसडी) गतिविधियों को दिशा-निर्देशों के एक समूह के अंतर्गत निष्पादित किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने सीएसआर तथा धारणीयता के लिए एक संयुक्त नीति का निर्माण किया था, तथा अप्रैल, 2013 के दौरान पूर्ववर्ती एसडी समिति के स्थान पर बोर्ड स्तरीय सीएसआर - एसडी समिति (स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में) का गठन किया था।

वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर - एसडी के लिए बजट 2012-13 के कर पश्चात लाभ के एक प्रतिशत तक यथा 7.30 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर - एसडी गतिविधियों पर 8.49 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान निष्पादित सीएसआर-एसडी गतिविधियों/परियोजनाओं पर एक संक्षिप्त सार निम्नानुसार है:

(i) स्वास्थ्य

(क) सरकारी अस्पतालों की मौजूदा क्षमता में संवर्धन करने के लिए, बीकानेर तथा जोधपुर, राजस्थान के विभिन्न हस्पतालों को चिकित्सा उपकरण जैसे एक्स-रे मशीन, डायलसिस उपकरण आदि की आपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में सुधार करने तथा मूलभूत दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनिहाल, जम्मू और कश्मीर में निवारक स्वास्थ्य जांच कैंम्पों का आयोजन किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान बनिहाल, लालगंज (रायबरेली), सीवोक (पश्चिम बंगाल), तथा श्रीलंका में मनाकूलम तथा मेदवच्चिया में परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों में नेमी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 05 स्वास्थ्य इकाईयां प्रचालित की गई थीं। पिछले वर्ष के दौरान उक्त 05 परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्र में जो एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं उन्हें वर्ष 2013-14 में भी जारी रखा गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना क्षेत्र के आसपास संगलदाम, जम्मू और कश्मीर तथा अल्जीरिया में चिकित्सा उपकरणों वाली दो एम्बुलेंसों भी उपलब्ध कराई गई थी।

(ii) शिक्षा

भदवासयी (राजस्थान), जम्मू, बनिहाल तथा प्राणगम (जम्मू और कश्मीर), सीवोक तथा रंगपो (पश्चिम बंगाल) तथा ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में सरकारी स्कूल के भवनों के स्तरोन्नयन द्वारा शिक्षा संबंधी अवसंरचना में सुधार किया गया था। बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में महिला इंटर कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

स्कूल भवनों की मरम्मत और अनुरक्षण, स्वच्छ शौचालय, स्कूल बैग तथा स्टेशनरी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर श्रीलंका के कलूतारा जिले के सरकारी स्कूलों को उन्नत शिक्षा अवसंरचना उपलब्ध कराई गई थी।

(iii) अवसंरचना - सड़क, पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र आदि

(क) दूरस्थ गांवों को हर मौसम के लिए संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु, बिहार के 06 जिलों में पक्की सड़कें उपलब्ध कराई गई थीं। इसके अतिरिक्त, आसपास से गांवों से समीपवर्ती नगरों तक संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए जम्मू और कश्मीर में बनिहाल से लंबर तक सड़क का स्तरोन्नयन भी किया गया था। जम्मू और कश्मीर के चरील गांव में सुरक्षा दीवार तथा कंक्रीट के फुटपाथ उपलब्ध कराए गए थे।

(ख) सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनिहाल (जम्मू और कश्मीर) में एक शिरोपरि टैंक तथा पाइप लाइन उपलब्ध कराई गई थी, रायबरेली के गांवों के लिए 02 वाटर कूलर तथा 15 सौर उर्जा से चलने वाले वाटर पम्प उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में बस स्टैंड पर महिला शौचालय ब्लॉक का निर्माण किया गया है।

(घ) वर्ष के दौरान किलाबाजार, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में सामुदायिक भवन के निर्माण का कार्य समाप्ति के अंतिम चरण पर है।

(iv) कौशल विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उन्नत संभाव्यताएं उपलब्ध कराने के लिए, आईटीआई धौलपुर, राजस्थान के समन्वय के साथ व्यावसायिक-सह-कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, और बनकूट (जम्मू और कश्मीर) द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए टेलरिंग तथा इंड्राइडरी आदि व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका के कलूतारा जिले में महिलाओं के लिए ऐरो एक ओर केन्द्री की स्थापना की गई है।

(v) हरित उपाय

पर्यावरण सहिष्णु प्रचालनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रति, कंपनी ने दिन-प्रतिदिन के बढ़ते प्रदूषण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न उपायों को अपनाया है जैसे रायबरेली जिले में सौर उर्जा के पानी के पम्प तथा सौर प्रकाश उपलब्ध कराना और इरकॉन कार्यालय में सौर पैनलों का संस्थापन।

उर्जा कुशलता को संवर्धित करने और पर्यावरण सहिष्णु अंत्येष्टि प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए निष्पादक एजेंसी के रूप में गैर सरकारी संगठन मोक्षदाह के माध्यम से रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में 02 मोक्षदाह हरित अंत्येष्टि प्रणालियों (एमजीसीएस) की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में परंपरागत अंत्येष्टि प्रणाली की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार प्रदूषण कम होता है और वृक्ष सुरक्षित रहते हैं।



कूड़ा में रायबरेली स्थित मोक्षदाह हरित अंत्येष्टि प्रणाली

(vi) राहत निधि में अंशदान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने उत्तराखंड राज्य में बाढ़ पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.25 करोड़ रुपये का अंशदान किया था।

(ख) सीएसआर: 2014-15

"निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में समाविष्ट प्रावधान 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हुए थे।" तथापि, वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी ने अपनी मौजूदा सीएसआर तथा धारणीयता नीति में संशोधन किया है, और इस अधिनियम में समाविष्ट प्रावधानों की तर्ज पर "सीएसआर नीति" का निर्माण किया है। इस सीएसआर नीति में अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्धारित सभी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त नीति के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों को कंपनी की वेबसाइट में शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल ने 31 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों में समाविष्ट प्रावधानों की तर्ज पर संदर्भ शर्तों में आवश्यक संशोधनों सहित मौजूदा सीएसआर-एसडी समिति का नाम बदलकर "सीएसआर समिति" कर दिया है।

वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट आवंटन 4.93 करोड़ रुपये है जो कि पिछले 03 वित्तीय वर्षों यथा 2011-12 (154.24 करोड़ रुपये), 2012-13 (292.22 करोड़ रुपये) तथा वर्ष 2013-14 (293.24 करोड़ रुपये) के औसत निवल लाभ (भारतीय परियोजनाओं से) का 2 प्रतिशत है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

(एस.एस. चटर्जी)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष/
सीएसआर समिति

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट**एक विहंगावलोकन**

आपकी कंपनी टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे और राजमार्ग निर्माण कार्य की विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में निरन्तर क्षेत्रक अगुआ बनी हुई है। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् सन् 1985 से इसने उत्तरोत्तर विविध कार्यों तथा सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाई अड्डा निर्माण, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निष्पादित किया है। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से एक है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही है तथा सरकार को निरन्तर प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही है।

आपकी कंपनी ने पिछले 38 वर्षों से देश और विदेश दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भूभागों और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कार्य निष्पादित करने के लिए जानी जाती है।

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण, और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित कंपनी तथा अनुसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है तथा मिनिरल श्रेणी-1 की कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है जिसे, वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है, और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरूपता लाने के लिए सरकार दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यवसाय वातावरण

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.5% थी जोकि इस दशक में सबसे कम रही। वर्ष 2013-14 निरन्तर दूसरा वर्ष है जिसके दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पांच प्रतिशत से कम रही है अर्थात् 4.7%, जिसका श्रेय वैश्विक वित्तीय मंदी, तथा उच्च मुद्रा रफ़ीति तथा बड़े करंट एकाउंट और वित्तीय घाटों सहित अनेक बाहरी तथा आंतरिक कारण हैं जिनके कारण घरेलू आपूर्ति संकट उत्पन्न हुआ।

वर्ष 2013 में देखे गए धीमे सुधारों के परिणामस्वरूप 2014-15 में वैश्विक विकास में सुधार होने की संभावना है। फरवरी, 2014 में आईएमएफ द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2013 में 3.0%, वर्ष 2014 में 3.6% तथा वर्ष 2015 में 3.9% वृद्धि होने का अनुमान है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 में पूर्वानुमान लगाया गया है कि उच्च विकास को बनाए रखने के लिए अवसंरचना विकास प्रमुख क्षेत्र रहेगा। समग्र आर्थिक विकास के लिए विनियामक स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहणों तथा पुनर्वासन, पर्यावरणीय स्वीकृतियों आदि में विलंबों जैसे विषयों के समाधान द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए निवेश को सुलभ बनाने तथा इनके त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इरकॉन अति उच्च प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालन कर रहा है जहां निजी अवसंरचनात्मक कंपनियों ने आर्थिक मंदी के कारण सीमित अवसरों का लाभ उठाने के रूप में परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए सक्रीय कोटिंग को अपनाया है।

वस्तुओं की कीमतों और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से निर्माण उद्योग अत्यधिक प्रभावित होती है और अनेक अवसंरचनात्मक कंपनियां हाल के वर्षों में उच्चावचन की अति उच्च दर से प्रभावित हुए हैं। इरकॉन इन जोखिमों से निपटने में सफल रहा है और अति उच्च जोखिमपूर्ण संविदाओं को प्राप्त करने से बचा है।

भौतिक अवसंरचना के सृजन में कंपनी के लिए अवसर निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्यमान हैं:

रेलवे: "भारतीय रेल विजन 2020" में 25000 किमी नई रेल लाईन बिछाने, यात्री तथा मालभाड़ा रेल लाईनों के पृथक्करण के साथ 6000 किमी नेटवर्क को चौगुना करने, 14000 किमी रेल विद्युतीकरण, आमाम परिवर्तन के कार्य को पूरा करने, 2000 किमी उच्च गति गलियारे के निर्माण कार्यों पर बल दिया गया है। समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) परियोजना में मुम्बई से रेवाड़ी तक पश्चिमी कॉरीडोर तथा लुधियाना से दनकुनी तक पूर्वी कॉरीडोर को द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण, बजटीय सहायता तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के मिश्रित प्रयासों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इन गलियारों को 12वीं योजना के अंतिम वर्ष यथा 2016-17 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन तथा रेलवे स्टेशनों का विकास वे दो अन्य क्षेत्र हैं जहां कंपनी के लिए अवसर विद्यमान हैं और इरकॉन पहले से ही इरकॉन आईएसएल और आईआरएसडीसी नामक अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से इनका लाभ उठा रहा है।

सड़कें: सड़क क्षेत्र में मुख्य बल न्यूनतम स्वीकार्य दो-लेन मानक तक संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को विकसित करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गति सड़क विकास कार्यक्रम, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास, जम्मू और कश्मीर राज्य में सड़कों के निर्माण/पुनःनिर्माण के लिए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना, प्रगतिरत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएनजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण आदि पर दिया गया है।

विद्युतीय परियोजनाएं: बीओटी/बीओओटी/बीओएलटी के अंतर्गत विद्युतीय परियोजनाएं प्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के सदस्य के रूप में कंपनी को अवसर उपलब्ध करा सकती हैं। महत्व के अन्य क्षेत्र हैं रेल विद्युतीकरण तथा अति उच्च वोल्टता (765 किवा) वाले उप-स्टेशन।

सिगनलिंग और दूरसंचार परियोजनाएं: कंपनी के पास सिगनलिंग और दूरसंचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए अवसर विद्यमान हैं।

आपकी कंपनी ने पहले से ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है और भारतीय रेलवे तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण कार्य तथा विद्युतीय उप-स्टेशनों, रेल विद्युतीकरण, ऊर्जा आपूर्ति वितरण नेटवर्क, औद्योगिक विद्युतीकरण परियोजनाओं तथा सिगनलिंग और दूरसंचार परियोजनाओं आदि का निष्पादन कर रही है।

कंपनी मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तथा अल्जीरिया में भी परियोजनाएँ निष्पादित कर रही है। इसके अतिरिक्त, म्यांमार और ओमान में भी अवसर विद्यमान हैं।

दृष्टिकोण

वर्ष 2014-15 के लिए रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

- i) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसर संरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।
- ii) सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

उद्देश्य

- i) कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों के आकार व मूल्य को बढ़ाना ताकि वर्ष 2016-17 तक 5500 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया जा सके।
- ii) लगाई गई पूँजी से इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2013-14 में कंपनी ने 4307 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित की है जो वर्ष 2012-13 में प्राप्त 4471 करोड़ रुपए की कुल आय से अधिक है। कुल आय (4067 करोड़ रुपए) का लगभग 94% निर्माण कार्यों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 53% (2137 करोड़ रुपए) विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है। पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में लगभग 8.2% की वृद्धि हुई है। कर पूर्व

लाभ 2012-13 में 1015 करोड़ रुपए से बढ़कर 2013-14 में 1249 करोड़ रुपए हो गई है जो 23.05% की वृद्धि को दर्शाता है और कर पश्चात लाभ में भी 24.25% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2012-13 में 730 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 907 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष के दौरान निवल आय में 30.13% की वृद्धि हुई है। प्रति शेयर आमदनी 2012-13 में 368.76 रुपए से बढ़कर 2013-14 में 453.88 रुपए हो गई है जो कि 23.08% की वृद्धि है।

निदेशक मंडल ने 41 रुपए प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 410%) की दर से लाभांश की घोषणा व भुगतान पर विचार करने की सिफारिश की है। कंपनी ने पहले ही फरवरी, 2014 में 51 रुपए प्रति शेयर (510%) की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वार्षिक साधारण बैठक की घोषणा के पश्चात देय 81.16 करोड़ रुपए का लाभांश तथा पहले से भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (100.96 करोड़ रुपए), मिलकर वर्ष 2013-14 के लिए 182.12 करोड़ रुपए का कुल लाभांश होगा, जो कि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 920% है।

प्रचालनिक निष्पादन

क्षेत्रीय निष्पादन

रेलवे लाभ का मूल क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान प्रचालन आय-रेल से 96%, हाईवे से 3% तथा शेष 1% भवनों, विद्युत उप-स्टेशनों आदि से प्राप्त हुई। क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है। तालिका राजमार्ग निर्माण कार्यों की तुलना में रेलवे के कार्यों में पिछले तीन वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाती है। रेलवे निर्माण कार्यों से प्रचालनिक आय का अनुपात वर्ष 2011-12 में 81% से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 96% हो गया है, जबकि राजमार्ग क्षेत्र में यह अनुपात 2011-12 में 14% से घटकर 2013-14 में 3% हो गया है। विद्युतीय परियोजनाओं तथा उप-स्टेशनों (जो कि 'अन्यों' का भाग है) से आय के भाग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60% की कमी हुई है।

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%
रेलवे	2907	81	3906	92	3884	96
राजमार्ग	489	14	225	5	136	3
भवन	76	2	42	1	24	0.5
अन्य*	129	3	59	2	23	0.5
कुल	3601		4232		4067	

*विद्युतीय परियोजनाओं से आय सहित (वर्ष 2011-12 के दौरान 124 करोड़ रुपए, 2012-13 के दौरान 52 करोड़ रुपए तथा 2013-14 के दौरान 21 करोड़ रुपए)।

सेगमेंट-वार कार्यनिष्पादन

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान क्रमशः 49% तथा 45% है जो कि 2013-14 में 50% रहा। पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	1865	49	1995	45	2146	50
घरेलू	1917	51	2476	55	2161	50
जोड़	3782		4471		4307	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं विशाल वित्त व्यवस्था जो (निरंतर लाभ प्रदत्ता तथा कम्पनी के स्वस्थ तुलनपत्र से प्रदर्शित होता है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, विशेष रूप से रेलवे सेक्टर में पिछले दो वर्षों में अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पुनः जागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है। कम्पनी रेलवे तथा राजमार्गों, दोनों परियोजनाओं और रियल इस्टेट की परियोजनाओं में ईपीसी तथा डीबीएफओटी परियोजनाएं के विद्यमान अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रीय हो रही है ताकि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके। कम्पनी भारत तथा विदेश में आगामी मेट्रो लाइट रेल ट्रांसिट (एलआरटी) परियोजनाओं को भी लक्ष्य बना रही है।

बाध्यताएं

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में कम्पनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। विदेशी प्रतियोगियों के पास आसान ऋण की उपलब्धता तथा निजी निवेशकों के पास प्रापण तथा प्रचालन का लचीलापन जैसे कुछ अन्य कारक हैं।

रणनीति

उभरती हुई भारतीय निर्माण अवसंरचनात्मक कम्पनियों, जो विदेशी बाजार की ओर देख रही हैं, से संभावित प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत, इरकॉन को बाजार में बने रहने के लिए अपनी नीति की समीक्षा करनी होगी। इरकॉन के समक्ष निवेश परियोजनाओं विशेष रूप से पीपीपी आधार पर विदेशों में परियोजनाओं को लेने के लिए सीमितताएं हैं। इरकॉन को विदेश में परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए नई नीतियां तैयार करनी होंगी। हाल के वर्षों में परियोजनाओं में वर्तमान जोखिमों में वृद्धि हुई है। इरकॉन को इन जोखिमों की व्यवस्था करते रहनी होगी।

आगामी वर्षों में अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए व्यावसायिक वातावरण कठिन बना रहेगा और केवल सर्वाधिक कुशल कम्पनियां ही उच्च प्रतिस्पर्धी और जोखिमपूर्ण बाजार में बने रहेंगे। अपने महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता यथा रेलवे, विद्युतीकरण उपस्टेशन, रेल विद्युतीकरण तथा वाणिज्यिक परिसरों को और अधिक समेकित किया जा रहा है।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन

अगरत 2007 से एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क उपलब्ध है। कम्पनी में पूर्णकालीन निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर का एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एमआईएस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फॉर्मट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। जोखिमों के प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए त्वरित कार्यदल से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है।

जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं को जोखिम उठाना पड़ता है और यहाँ जोखिम की सम्भावना रहती है तथा कर्मचारियों की जान, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। बहरहाल, कम्पनी राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में गर्व का अनुभव करती है। कम्पनी ने सरकार की मदद से पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बीमा आदि जैसे उपाय किए हैं। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीति और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएसईएल-11 मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनलाइसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए 'सीएआरई एए' रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ए1+ रेटिंग (इसे पहले 'पीआर 1+' रेटिंग कहा जाता था और इसे अब सेबी द्वारा 15 जून 2011 को जारी परिपत्र के अनुसार मानकीकृत कर दिया गया है) प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा नवंबर, 2013 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुनः पुष्टि की गई है।

इस्कॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचलित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है। विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थाई रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरफ्लस निधियों को विनिमयित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनप्लो तथा आऊटप्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। उचित तथा पारदर्शी रूप से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। विदेशी परियोजनाओं में मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए समीक्षा की जा रही है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक प्रभावपूर्ण और परियोजना विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए दिशानिर्देशों सहित वृहत आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका तैयार की गई है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्मेट के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग की जाती है और मासिक आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रमुख कार्य निष्पादन सूचकांकों की मानीटरिंग की जा रही है।

कंपनी में एक संरचनात्मक संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ व्यापक आंतरिक एमआईएस प्रणालियां (ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्मेट), उपयुक्त सूचनाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग की जा सके। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान दो चरणों में आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विद्यमानता पर टिप्पणी करनी होती है और उचित जोखिम आंकलन तथा अल्पीकरण तंत्र के अस्तित्व पर विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त इसके अनुपालन पर भी टिप्पणी करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म होती हैं जो सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करती हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अनुपालनों सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के सार-संग्रह को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। जहां कहीं निरन्तर सुधार के भाग के रूप में इनकी आवश्यकता होती है। ई-शिकायतों को गोपनीय बनाए रखने की सुविधा सहित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लौवर नीति विद्यमान है।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी परियोजना आधारित कंपनी है इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसका समाधान प्रतिनियुक्ति, संविदा तथा सेवा संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती द्वारा किया जाता है। इन्हें कंपनी की समग्र नीति की तर्ज पर निर्धारित करने के लिए भर्ती नीतियों का पुनर्निर्धारण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों का संवर्धन किया जा सके।

दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की तर्ज पर सभी परियोजनाओं और कार्यों के लिए प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करके सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

कंपनी मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए सक्षमता आधारित फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, और ग्राव (उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन तथा विजय के लिए तैयार रहें) नामक पहल आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के लिए सक्षमता मार्ग का निर्माण करना तथा सभी स्तरों पर कर्मचारियों के सक्षमता पूल की पहचान करना है।

कंपनी अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा सेवानिवृत्ति पश्चात एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से अंतरण चिकित्सा लाभ उपलब्ध करा रही है। कंपनी दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिवर्षिता लाभ के भाग के रूप में एक पेंशन योजना तैयार कर रही है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी का दर्शन

1.1 कंपनी का कॉर्पोरेट शासन कोड है "व्यावसायिक, लाभकारी एवं उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना"

1.2 निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कंपनी के आधारभूत मूल्य हैं:-

- क) रचनात्मक दृष्टिकोण
- ख) एक टीम के रूप में कार्यरत
- ग) कार्य में उत्कृष्टता
- घ) कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा
- ङ) जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में 08 निदेशक हैं जिनमें 02 स्वतंत्र निदेशक, 04 पूर्णकालीन निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक वित्त, निदेशक, परियोजना तथा निदेशक निर्माण) दो सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालीन-सरकारी) निदेशक हैं।

एक स्वतंत्र निदेशक (डॉ. जी. वी. राव) का कार्यकाल 7 अक्टूबर 2013 को समाप्त हो गया। इरकॉन के बोर्ड में अन्य स्वतंत्र निदेशक (इनके स्थान पर) की नियुक्ति का अनुरोध पहले ही रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। बोर्ड स्तर के रिक्त पदों पर आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से रेल मंत्रालय को भेजी जाती है जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की त्वरित नियुक्ति का विशेष अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व अर्हता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 के अनुसार बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना अनिवार्य है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इरकॉन के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय को एक पृथक अनुरोध भी भेजा गया है।

2.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक / अंशकालिक (सरकारी) / स्वतंत्र	स्वतंत्र कंपनियों निगमित निकायों के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनीयों/निकाय कॉर्पोरेट में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
मोहन तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - पूर्णकालीन	1 (आईआरएसडीसी)	शून्य	शून्य
के.के. गर्ग	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	3 (सीईडब्ल्यूआरएल, सीईआरएल तथा सीसीएफबी)	1	3
दीपक सबलोक	निदेशक परियोजना - पूर्णकालीन	2 (आईएसटीपीएल और आईआरएसडीसी)	शून्य	3
हिलेश खन्ना	निदेशक कार्य - पूर्णकालीन	1 (इरकॉन आईएसएल)	शून्य	1
एस.एस. घटर्जी	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	1 (आरवीएनएल)	3	4
बी.एम.शर्मा	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	1 (ओपीडीपीएल)	1	3
अंजुम परवेज (15.07.2013 से)	अंशकालीन (सरकारी)	शून्य	1	3
ए.के. रावल (28.01.2014 से)	अंशकालीन (सरकारी)	1 (एमआरबीसी)	शून्य	शून्य

पदमुक्त हुए निदेशक

(वर्ष 2013-14 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक / अंशकालिक सरकारी / स्वतंत्र	कंपनियों/निगमित निकायों में निदेशक पद के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनीयों/निगमित निकायों में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
डी.के. सराफ	अंशकालीन (सरकारी)	1 (एमआरवीसी)	1	2
जी.बी.राव	स्वतंत्र - अंशकालीन (गैर-सरकारी)	1 (एसएमजीएसपीएल)	1	2

टिप्पणियाँ:

- क) निदेशकों की संख्या अधिकतम सीमा के भीतर है:
- कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 15 कंपनियां, और
 - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 20 कंपनियां (जिनमें से अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां)
- ख) अंतिम कॉलम में शामिल की गई समितियां हैं लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति, पारिश्रमिक समिति, आई.डी. समिति, सीएसआर-एसडी समिति तथा शेयर जारी समिति तथा निवेश समिति।
- ग) निदेशकों की समिति सदस्यता की संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
- घ) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त "पूर्णकालिक निदेशक" पद का आशय प्रकार्यात्मक/कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
- ङ) इस रिपोर्ट में "अंशकालिक निदेशक" पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
- च) 'सरकारी' शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।
- छ) शब्द 'गैर-सरकारी स्वतंत्र' उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।
- ज) पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिया है, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।
- झ) संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम:
- एमआरवीसी - मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड
 - आरवीएनएल - रेल विकास निगम लिमिटेड
 - सीसीएफबी - कंपैनिया डोज कैमिनोज डी फेरो डा बेरा (सीसीएफबी) मोजाम्बिक में एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसमें इरकॉन की 25% इक्विटी है।
 - आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत) में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की 50% की इक्विटी है।
 - इरकॉनआईएसएल - इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।
 - आईआरएसडीसी - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि., जो नई दिल्ली (भारत) में इरकॉन का एक संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनी (51% इक्विटी) है।
 - सीईआरएल - छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की 26% की इक्विटी है।

- viii) सीईडब्ल्यूआरएल - छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ़ में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की 26% की इक्विटी है।
- ix) ओपीडीपीएल - ओमनी प्रोटेक्ट ड्रग प्राइवेट लिमिटेड
- x) एसएमजीएसपीएल - साई मास्टर जियोइन्वार्चनमेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन:

कंपनी (मंडल बैठक और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध में नहीं होगा। दो निदेशक (अंशकालीन सरकारी) प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटरों से संबंधित हैं।

चूंकि अंशकालीन निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्त कंपनी के हाथ में नहीं है और यह कार्य सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड-152 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस में मद को रखना संभव नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालीन निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है (ना कि कंपनी) और वह भी निर्धारित कार्यकाल के लिए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष रोटेशन द्वारा किसी निदेशक की वार्षिक सेवा निवृत्ति की संभावना नहीं है और इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 152 लागू नहीं होता है।

बोर्ड की प्रथम बैठक में, वित्त वर्ष 2014-15 में कंपनी के दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की थी कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(6) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं।

3.1 कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

क. श्री अंजुम परवेज, (डीआईएन 06682287) कार्यपालक निदेशक (परियोजना मॉनीटरिंग), रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय द्वारा जारी 08 जुलाई 2013 के राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत 15 जुलाई 2013 (उनकी सहमति की तिथि) से इरकॉन के अंशकालीन सरकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं।

इनका जन्म 17.09.1966 को हुआ। श्री परवेज ने दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) से बी.ई (सिविल इंजीनियरिंग) की है। वे भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं और इन्होंने वर्ष 1991 को भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण किया। इन्हें रेलपथ आधुनिकीकरण, सिविल इंजीनियरिंग संरचना तथा विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के नियोजन, निष्पादन और कमीशनिंग सहित भारतीय रेलवे में विभिन्न क्षमताओं में कार्य का 22 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

कार्यपालक निदेशक (परियोजना मॉनीटरिंग), रेलवे बोर्ड के रूप में वे रेल परियोजनाओं यथा नई लाईन, आमाम परिवर्तन, तथा दोहरीकरण परियोजनाओं की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए उत्तरदायी हैं।

ख. श्री ए.के. रावल (डीआईएन 06806261) अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 जनवरी 2014 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार दिनांक 28 जनवरी 2014 (उनकी सहमति की तिथि से) इरकॉन के अंशकालीन सरकारी निदेशक हैं।

श्री रावल का जन्म 6 मार्च 1955 को हुआ और उन्होंने आईआईटी रुड़की से बी.ई (इलैक्ट्रिकल) तथा आईआईटी, बम्बई से एम.टैक (पावर अपरेचस एंड सिस्टम्स) की डिग्री प्राप्त की। वे 1976 बैच के भारतीय रेल सेवा के इलैक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी (आईआरएसई) हैं और इन्होंने नवंबर 1977 में भारतीय रेल में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इन्हें भारतीय रेल में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 36 वर्षों का अनुभव है जिसमें राजधानी एक्सप्रेस के लिए 750 वॉट की उच्च क्षमता ऊर्जा कार का डिजाइन तैयार करना, तथा भारतीय रेल के लिए 'हैड-ऑन जनरेशन प्रणाली' नामक एक नई जनरेशन प्रणाली तैयार करना शामिल है, जिसे विज्ञान भवन, दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अनुसंधान और विकास, रेल डिब्बा प्रचालन और अनुरक्षण, कर्षण संचितरण और विद्युत इंजनों के क्षेत्र में विविध अनुभवों के अतिरिक्त वे भारतीय रेल संस्थानों में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं।

उन्होंने रेल इंजीनियरिंग स्कूल, यूके; स्टर्न बिजनेस स्कूल, यूएसए जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा; यूपी एकेडमी तथा एचईसी पैरिस, फ्रांस से प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड के रूप में वे रेलवे में नियोजन और निवेश निर्णयों के लिए उत्तरदायी थे।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10-बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रूप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस प्राधिकार का अनुसरण करते हुए निदेशक मंडल ने 26 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000 रुपये का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।

4.1 2013-14 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन

(रुपये में)

क्र. सं०	निदेशकों के नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्व	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस/कमीशन/अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	श्री मोहन तिवारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2013-14 में वर्ष भर)	3298693	827721	419496	243660	-	-	4789570
2	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त (2013-14 में वर्ष भर)	2465469	624889	-	218076	-	-	3308434
3	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (2013-14 में वर्ष भर)	2325995	591333	-	215080	-	-	3132408
4	श्री हितेश खन्ना, निदेशक निर्माण (2013-14 में वर्ष भर)	2358991	586149	-	211677	-	-	3156817

4.2 वर्ष 2013-14 के दौरान स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

(रुपये में)

क्र. सं०	स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
1.	डॉ. जी. वी. राव (07.10.2013 तक)	20000	40000	60000
2.	प्रो. (डॉ.) एस. एस. चटर्जी (2013-14 में वर्ष भर)	40000	90000	130000
3.	श्री बी. एम. शर्मा (2013-14 में वर्ष भर)	40000	60000	100000

5. बोर्ड प्रक्रिया

5.1 निदेशक मंडल चार्टर

- क) कंपनी में निदेशक मंडल से स्वीकृत औपचारिक बोर्ड चार्टर तथा निगमित शासन उद्देश्य तथा दृष्टिकोण तथा निदेशक मंडल (पूर्णकालीन निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों सहित) तथा प्रबंधन (वरिष्ठ प्रबंधन) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यमान हैं।
- ख) यह निदेशक मंडल चार्टर अनिवार्य रूप से निगमित शासन उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल की कंपोजिशन व संरचना और भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।
- ग) अंशकालीन अध्यक्ष सहित अंशकालीन निदेशकों को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन को सुलभ बनाने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्वतंत्र कार्यालय कक्ष निर्धारित किया गया है।

5.2 वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

- क) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल ने 27 अप्रैल 2013, 26 जुलाई 2013, 31 अक्टूबर, 2013 तथा 31 जनवरी 2014 को 4 बैठकों में भाग लिया।
- ख) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 283 (1) (ख) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।
- ग) वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार है :-

निदेशक	2013-14 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्याकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
मोहन तिवारी	4	4	हां
के.के. गर्ग	4	4	हां
दीपक सबलोक	4	4	हां
हितेश खन्ना	4	4	हां
जी.वी. राव	2	2	हां
एस.एस. चटर्जी	4	4	हां
बी.एम. शर्मा	4	4	हां
डी.के. सराफ	1	शून्य	लागू नहीं
अंजुम परवेज	3	3	हां
ए.के. रावल	1	1	लागू नहीं

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) ने 2013-14 के दौरान चार बोर्ड बैठकों में से दो बैठकों में भाग लिया। अन्य दो बैठकों (अक्टूबर 2013 तथा जनवरी 2014 को आयोजित), जिनमें वे अनुपस्थिति थीं, में सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले ने भाग लिया था।

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव तथा महाप्रबंधक (विधि) 30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत्ति हुई और 1 मई 2014 से सुश्री इति माटा, सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. कंपनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य

कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात् निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहिता तथा कंपनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं। ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हैं तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट में शामिल किया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **संलग्नक "सी-1"** पर उपलब्ध है।

7. निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.1.1 संदर्भ शर्तें:

वर्ष की समाप्ति के पश्चात, कंपनी ने, अपने बोर्ड की स्वीकृति से, कंपनी अधिनियम, 2013; डीपीई सी.डी. के निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010; तथा सूचीकरण करार के संशोधित खंड-49 की तर्ज पर लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों को संशोधित किया था। लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों शामिल हैं:-

- (क) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।
- (ख) लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग, तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता;
- (ग) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षों के साथ तथा संबंधित पक्ष के लेनदेन के विवरण की समीक्षा के बाद स्वीकृति या कंपनी के लेनदेन की कोई सम्बोधन
- (घ) अंतर-निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।
- (ङ.) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- (च) सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, प्रतिस्थापन, आदि तथा लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं अन्य अनुमेय सेवाओं के लिए शुल्क की स्वीकृति सहित उनके लेखापरीक्षा शुल्क की सिफारिशों की समीक्षा करना इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 144 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं।
- (छ) निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भों सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा:
 - (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3) के खंड (ग) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।
 - (ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।
 - (iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
 - (iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
 - (v) वित्तीय विवरणों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
 - (vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और
 - (vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
- (ज) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
- (झ) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।
- (प) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।
- (फ) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- (ब) ऐसे अन्य मदों/विषयों पर विचार करना जैसा कि बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति के लिए वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखों पर सिफारिश करने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त द्वारा देय अनुपालन की घोषणा, लेखापरीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की भूमिका आदि सहित उक्त संदर्भ शर्तों के अनुसार मुद्दों की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा समिति ने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की थी।

7.1.2 संरचना व उपस्थिति:

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरल की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से मूलतः 28.4.2000 को लेखापरीक्षा समिति का गठन कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इनकी पुनस्थापना की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 292क तथा डीपीई के निगमित शासक दिशानिर्देशों के अनुसरण में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन अंतिम बार अक्टूबर 2013 में सभी शासित नियमों के पूर्ण अनुपालन में दो स्वतंत्र निदेशकों तथा एक अंशकालीन (सरकारी) निदेशक के साथ हुआ था:

श्री बी.एम.शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
प्रॉ. (डॉ) एस.एस. चतर्जी, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	-	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की वर्तमान संरचना भी कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुपालन में है।

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित हुईं।

26 अप्रैल, 2013, 25 जुलाई, 2013, 30 अक्टूबर, 2013 तथा 30 जनवरी, 2014

उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री बी.एम.शर्मा	अध्यक्ष	4	4
एस.एस. चतर्जी	सदस्य	4	4
जी.वी. राव	सदस्य (01.10.13 तक)	2	2
अंजुम परवेज	सदस्य (01.10.13 से)	2	2

वर्ष 2013-14 के दौरान सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) लेखापरीक्षा समिति की सचिव रही और उन्होंने लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकों में से दो बैठकों में भाग लिया। अन्य दो बैठकों (अक्टूबर 2013 तथा जनवरी 2014 को आयोजित), जिनमें वे अनुपस्थिति थीं, में सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले ने भाग लिया।

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव तथा महाप्रबंधक (विधि) 30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत्ति हुई और 1 मई 2014 से सुश्री इति माटा, सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

7.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कम्पनी ने 6 जून 2001 को निदेशकों की एक शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है। निदेशकों के पदों में परिवर्तन के कारण समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है।

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव तथा महाप्रबंधक (विधि) 30 अप्रैल 2014 तक अनुपालन अधिकारी रही और 1 मई 2014 से सुश्री इति माटा, सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले और कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी हैं। अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और अंतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है।

एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 'शेयरों के हस्तांतरण, तुलन पत्र के प्राप्त न होने, घोषित लाभांश के प्राप्त न होने के संबंध में कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है', को इस समिति के सभी सदस्यों को परिपत्रित किया गया है।

पिछली बार समिति का पुनर्गठन जुलाई 2013 में किया गया था जिसकी संरचना निम्नानुसार है:

श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	-	सदस्य
श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	-	सदस्य

7.3 पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पे-पूल तथा कार्यपालकों व गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए नीति का निर्धारण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के खंड-5.1 का अनुसरण करते हुए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। जब कि भी निदेशक पद में परिवर्तन होता है तो इसकी पुनर्संरचना की जाती है।

वर्ष 2012-13 के लिए समिति की बैठक 04 अक्टूबर 2013 को पीआरपी के भुगतान के संबंध में की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव और महाप्रबंधक (विधि) तथा पारिश्रमिक समिति की सचिव इस बैठक में भाग नहीं ले पाई और सहायक प्रबंधक/कंपनी मामलों ने इस बैठक में भाग लिया।

सुश्री ललिता गुप्त, कंपनी सचिव तथा महाप्रबंधक (विधि) 30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत्ति हुई और 1 मई 2014 से सुश्री इति माटा, सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

पिछली बार समिति का पुनर्गठन अक्टूबर 2013 में किया गया था जो निम्नानुसार है:

प्रो. (डॉ) एस.एस. चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री बी.एम. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	सदस्य

7.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व - धारणीय विकास (सीएसआर-एसडी) समिति

डीपीई ने सीएसआर तथा एसडी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं (सीएसआर और एसडी के लिए पृथक दिशानिर्देशों के स्थान पर) जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं।

एसडी समिति के स्थान पर अप्रैल 2013 में सीएसआर और धारणीय विकास के लिए एकीकृत निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है, ताकि कंपनी की सीएसआर और धारणीय नीति के क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके और कंपनी के सीएसआर व धारणीयता एजेंडा को वांछित दिशा में अग्रसर करने के लिए उपयुक्त नीतियां और ऋण नीतियां तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान किया जा सके।

समिति का गठन अप्रैल 2013 को निम्नलिखित किया गया था:

प्रो. (डॉ) एस.एस. चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	-	सदस्य
श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	-	सदस्य
श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य	-	सदस्य

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तिथियों को हुईं:

27 अप्रैल 2013, 26 जुलाई 2013, 31 अक्टूबर 2013 तथा 31 जनवरी 2014

उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

सदस्य	स्थिति	आयोजित बैठकें बैठकें	जिनमें भाग लिया गया
एस.एस. चटर्जी	अध्यक्ष	4	4
के.के. गर्ग	सदस्य	4	4
दीपक सबलोक	सदस्य	4	4
हितेश खन्ना	सदस्य	4	4

वर्ष के दौरान सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) सीएसआर-एसडी समिति की सचिव रहीं और उन्होंने सीएसआर-एसडी समिति की चार बोर्ड बैठकों में से दो बैठकों में भाग लिया। अन्य दो बैठकों (अक्टूबर 2013 तथा जनवरी 2014 को आयोजित), जिनमें वे अनुपस्थिति थीं, में सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले ने भाग लिया।

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव तथा महाप्रबंधक (विधि) 30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत्ति हुई और 1 मई 2014 से सुश्री इति माटा, सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

निदेशक मंडल ने 31 जुलाई 2014 को आयोजित अपनी बैठक में 'सीएसआर-एसडी समिति' का नाम बदल कर 'सीएसआर समिति' कर दिया है।

7.5 शेयर इश्यू समिति

कंपनी ने शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1956 के अनुसार शेयर इश्यू समिति का गठन किया है। पिछली बार समिति का पुनर्गठन अक्टूबर 2013 में निम्नानुसार किया गया था:

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	-	अध्यक्ष
श्री बी.एम. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
श्री अंजुम परवेज, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	सदस्य

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) 30 अप्रैल 2014 तक शेयर इश्यू समिति की सचिव रहें और अब सुश्री इति माटा, सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले इस समिति की सचिव हैं।

7.6 निवेशक समिति

निदेशक मंडल ने 26 जुलाई 2013 को इस तथ्य के दृष्टिगत निवेश समिति को भंग कर दिया कि निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत निधियों के निवेश पर नीति के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर नामित अधिकारी/प्रधान अधिकारी द्वारा अल्पकालीन निवेश (जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 372क के अंतर्गत शामिल नहीं हैं) किया जा सकता है, जबकि कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 372क के अंतर्गत शामिल दीर्घकालीन निवेशों के संबंध में बोर्ड की बैठक में ही निर्णय लिया जा सकता है।

उक्त समिति को भंग किए जाने से पूर्व वर्ष 2013-14 के दौरान कोई समिति बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

7.7 स्वतंत्र निदेशक समिति

कंपनी ने अक्टूबर, 2013 में "गैर सरकारी निदेशकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व" पर 28 दिसम्बर, 2012 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन (20 जून, 2013 के डीपीई-ओएम के तहत संशोधित) के अनुसार "स्वतंत्र निदेशक समिति" नामक स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति का गठन किया है।

उक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के बीच गुणवत्ता, मात्रा के आकलन तथा सूचना के निर्बाध प्रवाह के आकलन के लिए कार्यात्मक तथा सरकारी निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी, जो कि बोर्ड के लिए अपने दायित्वों के कुशल तथा युक्तिसंगत निष्पादन के लिए आवश्यक है।

बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों (आई.डी.) की समिति का गठन अक्टूबर, 2013 में उक्त डीपीई-कार्यालय ज्ञापनों के अनुसरण में बोर्ड की स्वीकृति से कंपनी के निम्नलिखित 03 स्वतंत्र निदेशकों से की गई थी:

डॉ. जी.वी. राव, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
प्रो. (डॉ.) एस.एस. चटर्जी, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
श्री बी.एम. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य

समिति की बैठक 04 अक्टूबर, 2013 को आयोजित की गई थी जिसमें गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना कंपनी के सभी 03 स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। तथापि, 07 अक्टूबर, 2013 को डॉ. राव का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत आज की तिथि तक स्वतंत्र निदेशक समिति में केवल 02 शेष स्वतंत्र निदेशक हैं।

8. सहायक कंपनी (कंपनियों) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) इरकॉन की सहायक कंपनी है और यह इरकॉन और रेल भूमि विकास निगम लि. के बीच एक संयुक्त उपक्रम भी है, जिसमें इरकॉन की इक्विटी 51 प्रतिशत है। इरकॉन आईएसएल तथा आईआरएसडीसी सूचीबद्ध कंपनियां नहीं हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान इरकॉन आईएसएल का टर्नओवर/नेट वर्थ इरकॉन (धारक कंपनी) के टर्नओवर या नेट वर्थ के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसलिए, इरकॉन आईएसएल या आईआरएसडीसी ना तो सूचीकरण करार के अंतर्गत "सामग्रीगत सहायक कंपनी" हैं और ना ही डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक कंपनी ही है।

9. वार्षिक साधारण बैठक

9.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान/स्थल
2012-13	3 सितम्बर 2013	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2011-12	25 सितम्बर 2012	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2010-11	20 सितम्बर 2011	12.30 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

9.2 पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों (2010-11 से 2012-13 तक) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली तथा मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज से इरफान के इक्विटी शेयरों के विसूचीकरण के प्रस्ताव के लिए तथा संवीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 22 सितम्बर 2010 की वार्षिक साधारण बैठक में इस घोषणा के आधार पर वर्ष 2010-11 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

9.3 इरफान की आगामी वार्षिक साधारण बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

10. प्रकटन

10.1 ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था।

10.2 कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीट्यूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है। लेखांकन मानकों से विपथन को वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट सं. 40 में दिए गए स्व-व्याख्यात्मक नोट तथा निदेशक की रिपोर्ट में "अनुपालन" शीर्ष में स्पष्ट किया गया है।

10.3 वर्ष 2013-14 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्व (इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 37 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कम्पनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

10.4 कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारणों को नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय	35.84	23.66	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	38.45	10.87	
कुल व्यय	3057.51	3456.48	
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत में)	1.17	0.68	
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	1.26	0.31	

10.5 कम्पनी आवधिक रूप से बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोजनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित जोखिमों के संबंध में सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा "जोखिम तथा चिंता" शीर्ष के अंतर्गत प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया है।

10.6 कम्पनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति से जालसाजी निवारण, इसका पता लगाने तथा नियंत्रण की नीति विद्यमान है ताकि जालसाजी का पता लगाने तथा निवारण के लिए एक नीति उपलब्ध कराई जा सके और पता लगाए गए या आशंकित किसी मामले की रिपोर्टिंग की जा सके और जालसाजी से संबंधित मामलों से निपटा जा सके।

10.7 कम्पनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वारंशिक या आशंकित जालसाजी, कम्पनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस नीति में उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इसमें आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का भी प्रावधान है।

ये दोनों नीतियां इरकॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- 10.8 लेखापरीक्षा समिति द्वारा किसी कार्मिक को मिलने से इनकार किए जाने का कोई प्रश्न सामने नहीं आया है।
- 10.9 कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान ना तो शेयरों का कोई पब्लिक इश्यू जारी किया है और ना ही कोई प्रोसिक्यूटस या प्रस्ताव पत्र ही जारी किया है।
- 10.10 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।
- 10.11 वर्ष 2012-13 के दौरान डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को उत्कृष्टता ग्रेड प्रदान किया है।
- 10.12 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2013-14 के लिए 100 में से 98 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

11. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के अनुबंध ग-2 पर संलग्न है)

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्मेलन के माध्यम

- क) वार्षिक आम बैठक से पूर्व शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने से पूर्व, लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय निष्पादनों सहित कंपनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट को प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है।
- ख) वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- ग) निम्नलिखित को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है:
 - i) कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न।
 - ii) नोडल अधिकारियों/सीएमडी/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के गोपनीय ई-मेल आईडी सहित महत्वपूर्ण निगमित शासन नीतियां जैसे घोषाघड़ी निवारण, परिचयन तथा नियंत्रण नीति तथा विसल ब्लोवर नीति।
 - iii) वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर नीति तथा सीएसआर गतिविधियां।
 - iv) निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कंपनी के प्रमुख मूल्य।
- घ) अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आई डी वेबसाइट में "इन्वेस्टर कर्नर" शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों में जागरूकता लाई जा सके।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख :	12 सितम्बर, 2014
समय :	शाम 5.00 बजे
स्थान :	कम्पनी का सम्मेलन कक्ष, पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017

12.3 बही बंद करने की तिथियां

सदस्यों का रजिस्टर तथा स्थानांतरण बही 11.09.2014 तथा 12.09.2014 को बंद रहेगी।

12.4 शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति व सरकारी नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	1,97,42,400	99.729
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	48,800	0.247
बैंक आफ इंडिया	4,800	0.024
कुल	1,97,96,000	100

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं है।

12.5 संयंत्र अवस्थिति/प्रचालनिक इकाइयाँ

कंपनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के 14 से अधिक राज्यों तथा 5 अन्य देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयाँ/कार्यालय हैं। इन इकाइयों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

12.6 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में):

कंपनी सचिव
 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
 प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
 साकेत, नई दिल्ली-110017
 टेलीफोन : 91-11-26545265/26530456
 फैक्स : 91-11-26522000/26854000
 ई-मेल : cosecy@ircon.org
 वेबसाइट: www.ircon.org

13. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

13.1 कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए बोर्ड स्वीकृत एक प्रशिक्षण नीति विद्यमान है। इस नीति के अनुसार, कंपनी की यह नियमित प्रथा है कि वह नए बोर्ड सदस्यों को उनकी नियुक्ति के पश्चात निदेशक मंडल की पहली बैठक में और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचार करते समय आवधिक रूप से प्रत्येक वर्ष कंपनी के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें अभिलेख भी प्रदान किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं, ज्ञापन व संगम अनुच्छेद, ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अद्यतन अलेखापरीक्षित परिणाम, समझौता ज्ञापन लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित निगमित योजना, तथा निगमित शासन पर प्रायोगिक पुस्तिका, निदेशकों के कर्तव्य, अधिकार, भूमिका और उत्तरदायित्व।

13.2 वर्ष के दौरान इरकॉन के निदेशकों ने निदेशक संस्थान, एसोचैम, लोक उपक्रम संस्थान, भारतीय, रेल, भारतीय उद्योग संघ, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सहयोग के साथ स्कोप द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। निदेशकों और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों ने "प्रबंधन विकास कार्यक्रम" तथा "निर्माण कंपनी के प्रमुख विधिक अनुपालन" विषयों पर कंपनी द्वारा आयोजित इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया था।

14. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2013-14 के लिए कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक सी-3 पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 01.08.2014

मोहन तिवारी
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.06.2014

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबन्धनिदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

1. इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।
2. ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में हैं।
3. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
4. हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।
5. हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और
6. हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिकानिभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सेक्रेटरीज

बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-IV
नई दिल्ली-110 024 टेली : 91-11-4162 5462
मोबाइल : 98734-26246
ई-मेल : manojbangia.mb@gmail.com

**डीपीई के कार्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत
कार्पोरेट शासन की
शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र**

सेवा में,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी द्वारा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों द्वारा अनुपालन करना अपेक्षित है कि:

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रियाविधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसा कि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सेक्रेटरीज

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
सीपी सं0-3655

निगमित शासित रिपोर्ट में परिशिष्ट

वार्षिक साधारण बैठक की तिथि में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निगमित शासन रिपोर्ट में परिवर्तन निम्नानुसार हैं

उक्त रिपोर्ट में पैरा सं.	मौजूदा	यथा आशोधित
12	शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना	
12.2	"चालू वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक दिनांक: 12 सितंबर 2014"	"चालू वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक दिनांक: 25 सितंबर 2014"
12.3	"बहियों को बंद करने की तिथियां सदस्यों के रजिस्टर तथा अंतरण बहियां 11 सितंबर 2014 तथा 12 सितंबर 2014 को बंद रहेंगी"	"बहियों को बंद करने की तिथियां सदस्यों के रजिस्टर तथा अंतरण बहियां 24 सितंबर 2014 तथा 25 सितंबर 2014 को बंद रहेंगी"

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2014

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था	पुरस्कार की प्रकृति	वर्ष
वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,	राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार *(भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त) अग्रणी अंतरराष्ट्रीय रेल तथा सड़क निर्माण कंपनी के रूप में कार्यनिष्पादन में "उत्कृष्टता पुरस्कार" लोक उपक्रम विभाग	1983, 1984 1991 & 1993* 1988
ईईपीसी इंडिया जिसे पहले इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) के नाम से जाना जाता था (कंपनी के अस्तित्व में आने से अब तक 24 पुरस्कार)	i. निर्यात उत्कृष्टता के लिए अखिल भारतीय शीर्ष निर्यातक शील्ड ii. क्षेत्रीय शीर्ष निर्यातक शील्ड - सिविल इंजीनियरिंग संविदाकार iii. निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड iv. अधिकतम निर्यात के लिए अखिल भारतीय ट्राफी (टर्नकी औद्योगिक परियोजना निर्यातक गैर-एसएसआई) v. "मर्चेन्ट निर्यातकों" की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों हेतु अखिल भारतीय ट्राफी vi. परियोजना निर्यातों के क्षेत्र में बड़े उपक्रम के रूप में स्टार निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड vii. मध्यम उपक्रमों के रूप में शीर्ष निर्यातकों हेतु रजत ट्राफी viii. "मर्चेन्ट निर्यातकों" के रूप में शीर्ष निर्यातकों की श्रेणी में स्वर्ण ट्राफी ix. अखिल भारतीय निर्यात पुरस्कार x. 2010-11 के लिए शीर्ष मर्चेन्ट निर्यातक की श्रेणी में रजन ट्राफी xi. 2011-12 के लिए शीर्ष मर्चेन्ट निर्यातक की श्रेणी में रजन ट्राफी xii. 2012-13 के लिए शीर्ष मर्चेन्ट निर्यातक की श्रेणी में उत्कृष्ट निर्यातक के लिए रजन ट्राफी	1986 to 1993 1995 & 1996 1994, 1997 1997 1998 1999 to 2002 2004 & 2007 2005 2006 2008 2009 2011 2013 2014
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) (पूर्व में भारतीय ओवरसीज निर्माण परिषद-ओसीसीआई) (कंपनी के अस्तित्व में आने से अब तक 45 पुरस्कार)	i. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण ii. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण के लिए दूसरा सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन iii. विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर iv. विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर में दूसरा सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन v. निर्माण संविदाओं में नए क्षेत्रों में अर्जित अधिकतम विदेशी कार्य vi. अधिकतम विदेशी व्यापार प्रयास vii. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन और प्रत्यर्पण viii. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन और भारत में उसके प्रत्यर्पण की श्रेणी में दूसरा सर्वोत्तम पुरस्कार	1985, 1989 से 1993, 1995 1997, 2000 2002 & 2004 1994, 2001, 2003 व 2005 1985 से 1989, 1992 से 1994, 1996, 1999, 2001 व 2002 1990, 1991, 1995 व 2000 1995, 1996, 2000 व 2001 1995 से 1998, 2002 व 2004 2001 व 2003 2006 & 2007
कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड	भारत में सर्वाधिक प्रशंसनीय निर्माण कंपनी	2009
इस्सार स्टील और ई-18 तथा सीएनबीसी टीवी-18	रेल श्रेणी में अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार	2009

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

दैनिक भास्कर और डेली न्यूज एंड एनालिसिस (डीएनए) द्वारा "इंडिया प्राइड अवार्ड"	परिवहन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए रजत ट्राफी	2010
	अवसंरचना विकास में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण ट्राफी	2011
	भारत की छवि संवर्धन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता	2013
निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)	1000 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली सर्वोत्तम व्यावसायिक कंपनी	2012
	1000 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली सर्वोत्तम व्यावसायिक कंपनी	2014
	पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू और कश्मीर के लिए सर्वोत्तम निर्माण परियोजना	2014
इन एंड ब्रॉडस्ट्रीट	इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में वर्ष 2012 के लिए भारत का शीर्ष पीएसयू पुरस्कार	2012
	निर्माण और अवसंरचना की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष अवसंरचना कंपनी के लिए रजत ट्राफी	2013
	जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क के लिए काजीगुंड-बनिहाल खंड को 'रेलवे' श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ परियोजना अवार्ड	2013
लोक उपक्रम संस्थान	"एचआर ओरिएंटेशन वाले सीईओ " के लिए "वैश्विक एचआर उत्कृष्टता" पुरस्कार, श्री मोहन तिवारी, सीएमडी, इरकॉन को प्रदान किया गया।	2013
	"एचआर ओरिएंटेशन वाले सीईओ " के लिए "एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस पुरस्कार 2013" श्री मोहन तिवारी, सीएमडी, इरकॉन को प्रदान किया गया।	

इरकोन की वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
1	प्रचालनिक आय	4,067	4,232	3,801	3,182	3,153	2,654	1,988	1,475	1,058	984
2	एकीकृत संयुक्त उपक्रम में दर्जोवर में कर्मी का शेयर	(9)	(13)	(23)	(7)	(13)	(27)	(65)	(11)	(29)	(47)
3	एकीकृत संयुक्त उपक्रम में लाभ(हानि) में कर्मी का शेयर	(1)	1	2	7	2	7	(7)	1	1	-
4	निधारी प्रचालन आय	4,057	4,220	3,590	3,182	3,142	2,634	1,896	1,465	1,030	917
5	अन्य आय	250	251	181	72	64	85	81	68	55	50
6	कुल आय	4,307	4,471	3,761	3,254	3,206	2,719	1,977	1,533	1,085	967
7	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कर्मी)	3,024	3,412	3,102	2,816	2,901	2,487	1,776	1,368	954	845
8	प्रचालन मार्जिन (पीबीईआईटी)	1,283	1,059	659	438	305	232	201	135	131	122
9	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	मूल्यह्रास	34	44	57	37	41	44	41	24	20	14
11	कर पूर्व लाभ	1,249	1,015	602	401	264	188	160	111	111	108
12	कर परचालन लाभ	907	730	470	241	182	140	114	76	81	89
13	लाभान	182	148	94	49	37	30	30	26	26	20
14	सामान्य अपरिचित निधियां	2,971	2,277	1,733	1,372	1,181	1,012	903	824	768	721
15	विदेशी परियोजना आरक्षित निधियां	-	-	-	-	3	28	30	33	44	45
16	अन्य आरक्षित निधियां	2	3	-	-	5	25	6	7	7	7
17	कर अपरिचित निधियां व अंत्यिक	2,973	2,280	1,733	1,372	1,189	1,055	939	854	819	773
18	बुद्धि विवर परिसंपत्तियां	170	180	195	244	236	260	279	260	160	136
19	दरदूरियां	119	125	135	165	373	430	159	89	42	41
20	विदेशी विनिमय अर्जन (निदली)	1,042	822	444	428	264	96	37	51	56	73
21	शेयर पूंजी	20	20	10	10	10	10	10	10	10	5
22	लगाई गई पूंजी	2,993	2,300	1,743	1,382	1,205	1,078	951	876	830	778
23	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	निवल परिसंपत्तियां	2,993	2,300	1,743	1,382	1,199	1,075	949	874	829	778
25	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ(%)**	42	44	35	29	22	17	17	13	13	14
26	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालनिक मार्जिन (%)**	43	46	38	32	25	22	21	15	16	16
27	शेयर पूंजी पर कर पकड़ाव लाभ (%)**	4,578	3,687	4,747	2,429	1,841	1,416	1,150	765	815	1,795
28	अन्य पर व्यय (%)**	70	76	82	87	90	91	90	91	88	87
29	करमासिकों की संख्या **	1,579	1,704	1,703	1,678	1,751	1,964	1,978	1,830	1,723	1,552
30	प्रति कर्मचारी आय	2,73	2,62	2,21	1,94	1,83	1,39	1,00	0,84	0,63	0,59
31	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0,55	0,46	0,28	0,25	0,15	0,06	0,02	0,03	0,03	0,04
32	चाहू अनुपात **	1,81	1,61	1,47	1,53	1,31	1,24	1,21	1,25	1,41	1,54
33	खण्ड/इसिस्टे अनुपात **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	निवेश	494	295	208	185	130	234	246	234	213	200

नोट: *25 से 28 प्रतिशत में हैं

**29, 32 और 33 रूप में नहीं हैं

इस्कॉन

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण

2013-14



तुलन पत्र
31 मार्च 2014 को

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
I.	इक्विटी और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी	2	19.80	19.80
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	2,973.23	2,280.57
			2,993.03	2,300.37
2	गैर-चालू देयताएं			
	(क) दीर्घकालीन देयताएं	4	172.22	382.61
	(ख) दीर्घकालीन प्रावधान	5	407.15	420.10
			579.37	802.71
3	चालू देयताएं			
	(क) व्यापार देय	6	594.50	633.71
	(ख) अन्य चालू देयताएं	7	1,178.01	1,781.59
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	815.85	692.22
			2,588.36	3,107.52
	कुल		6,160.76	6,210.60
II.	परिसंपत्तियां			
1	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
	(क) नियत परिसंपत्तियां	9		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		153.09	177.93
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		0.01	-
	(iii) प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां	10	1.01	0.80
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	-	0.88
	(v) पारगमन में मशीनरी		15.64	-
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	318.21	230.34
	(ग) आस्थित कर परिसंपत्ति (निवेल)	13	301.37	268.98
	(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	674.52	404.07
	(ङ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	4.89	67.46
			1,468.74	1,150.46
2	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) वर्तमान निवेश	16	176.02	64.95
	(ख) दरसूचियां	17	118.80	124.56
	(ग) व्यापार प्राप्य	18	662.43	1,098.78
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	2,675.36	3,083.77
	(ङ) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	561.06	444.76
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	498.35	243.32
			4,692.02	5,060.14
	कुल		6,160.76	6,210.60
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
IV.	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट	2-50		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

इति माटा
सहायक प्रबंधक/कंपनी
मामले एवं कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

लाभ और हानि विवरण
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
I. राजस्व:			
प्रचालनों से राजस्व	22	4,066.82	4,232.43
घटा:- एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में कंपनी का हर्नओवर भाग		8.81	12.96
जमा: एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में कंपनी का लाभ/(हानि) का भाग		(0.81)	1.37
अन्य आय	23	4,057.20	4,220.84
कुल राजस्व		249.37	250.37
II. व्यय:			
प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	24		
- प्रचालनिक व्यय		2,728.51	3,180.11
- प्रशासनिक व्यय		35.84	23.66
कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	25	221.07	197.61
वित्तीय लागतें	26	38.45	10.87
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	9	33.64	44.23
कुल व्यय		3,057.51	3,456.48
III. कर से पूर्व लाभ (I - II)		1,249.06	1,014.73
IV. कर व्यय			
(1) चालू कर			
- वर्ष के लिए		348.20	302.00
- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		26.75	62.34
(2) आस्थगित कर (निवल)	13	(32.39)	(79.60)
कुल कर व्यय		342.56	284.74
V. वर्ष के लिए लाभ (III - IV)		906.50	729.99
VI. प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित (₹. में)	45	457.92	368.76
VII. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
VIII. पूर्व अवधि समायोजन	28		
IX. वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट	2-50		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

इति माटा
सहायक प्रबंधक/कंपनी
मामले एवं कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

रोकड़ प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	1,249.06	1,014.73
निम्न के लिए समायोजन:		
मूल्यहास	33.64	44.23
निवेश की किस्तों पर छूट	0.35	0.36
निवेश में हानिकरण	-	-
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.19)	(3.04)
ब्याज आय	(229.51)	(208.67)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल	140.02	101.95
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतर पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	7.72	(13.07)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	1,201.09
निम्न के लिए समायोजन:		
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)	284.55	(29.70)
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)	6.76	9.95
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)	(213.61)	74.25
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)	(39.21)	103.80
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)	(1,198.94)	(258.11)
	(2)	(1,161.45)
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1+2)	39.64
प्रदत्त आयकर	(234.95)	(282.67)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी	(क)	(195.31)
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
पूँजी डबल्यूआईपी सहित स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	(25.62)	(30.24)
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री	2.03	5.54
प्राप्त ब्याज	250.66	157.85
इतिवृत्ति और बांडों में निवेश	(199.29)	(87.35)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)	27.78
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)	(233.16)	(132.30)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	(233.16)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतर पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	(7.72)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	(408.41)
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	3,083.77
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)	2,675.36
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(च-ड.)	(408.41)

- नोट: 1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति 272.31 करोड़ रु. (470.40 करोड़ रु.) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है, नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)

कुंते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

मुकेश बघीच
भागीदार
स.सं. 511741
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

इति मादा
सहायक प्रबंधक/कंपनी
मामले एवं कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ**(i) तैयार करने के आधार**

- क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।
- ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूप में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रूप से सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(ii) अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः रवीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(iii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार**क) भारतीय प्रचालनों के संव्यवहार**

विदेशी मुद्रा सौदों को रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

- 1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपान्तरण सौदे की तारीख पर प्रचलित दर पर किया जाता है।
- 2) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।
- 3) मूल्यहास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यहास का परिकलन किया गया है।
- 4) विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को प्रचलित समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

- 1) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को विद्यमान दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- 2) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख को विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 3) मूल्यहास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है, जिन पर मूल्यहास का परिकलन किया गया है।
- 4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रचलित अंतिम क्रय का उपयोग करके परिवर्तित की जाती हैं।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निबल विनियम अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिया गया है।**घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार**

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता है -

- 1) परिसंपत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।
- 2) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को दर पर रूपांतरित किया जाता है।
- 3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(iv) स्थिर परिसंपत्तियाँ

मूर्त परिसंपत्तियाँ

- क) मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास तथा अर्जन घाटों, यदि कोई हो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत तथा ऐसी मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर मूल्यह्रासित/परिशोधन किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप हैं, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनीयता के साथ मापन किया जा सके। अपूर्ति परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

(v) निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए के लिए नहीं है, निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानियाँ, यदि कोई हो, के निवल के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

(vi) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनीयता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं हैं उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(vii) रोकड़ एवं बैंक शेष

रोकड़ एवं बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध बैंक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(viii) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकी ठेकों के मामलों में कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो। तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बटुटे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब:-

- 1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- 2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और
- 3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(ix) **संविदा राजस्व का लेखांकन**

“संविदा राजस्व” का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है:

- (क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।
- (ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए अनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है। पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है।

इस अर्वाध में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यू सीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं।

(x) **संयुक्त उद्यम ठेकों के लिए लेखांकन:**

- (i) कार्य भागीदारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों को स्वतंत्र ठेकों के रूप में लेखांकित किया गया है;
- (ii) संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय द्वारा निष्पादित ठेकों के संबंध में,

(क) गैर-निगमित संयुक्त उपक्रम:

- लाभों और हानियों में कंपनी के भाग को उक्त संयुक्त उपक्रमों को हुए लाभों और हानियों के निर्धारण पर लेखांकित किया जाता है।
- निवेशों को पहचाने गए लाभों और हानियों में कंपनी के भाग की निवल लागत के रूप में लिया जाता है और निवल निवेश को निवेशों, ऋणों तथा अग्रिमों या चालू देयताओं, जैसा भी मामला हो, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

(ख) निगमित संयुक्त नियंत्रित निकाय

- निवेशों पर आय की पहचान तब की जाती है जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- ऐसे संयुक्त उपक्रमों में निवेश के मूल्य में ऐसे ह्रास के लिए प्रावधान किए जाने के पश्चात लागत पर किया जाता है, जो कि अस्थायी प्रकृति से इतर हो।

(xi) पट्टे

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(xii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

- 1) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रूप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।
- 2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiii) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान से संबंधित राजस्व व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ हानि विवरण में तब तक प्रभारित नहीं किया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध न हो जाए और ऐसे मामले में ऐसे व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है।

(xiv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xv) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

- क) भारत में मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई हैं:-

क. सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख. कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग. यूपीएस और इनवर्टर व मोबाईल सेट सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ. वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड. फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च. स्पीड बोट्स	19.00%

- ख) विदेशों में मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत में मूर्त परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है (जैसा कि उपर्युक्त पैरा xv(क) में बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसंपत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती हैं तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

- ग) पट्टे की भूमि के संबंध में (पट्टे से इतर) मूल्यहास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।
 ड) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रु. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियाँ तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रु. तक हासिल मूल्य की मूर्त परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

मूर्त परिसंपत्तियां

25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयरों को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशर्ते प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। 25 लाख रुपए तक के मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयर को क्रय के वर्ष में पूर्णतः परिशोधित किया जाएगा।

(xvi) उधार लागतें

- क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।
 ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xvii) सेवानिवृत्ति लाभ

- क) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।
 ख) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।
 ग) पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान को संचित आधार पर लाभ व हानि विवरण से प्रभारित किया जाएगा।

(xviii) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

- क) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रु से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।
 ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xix) कर

- क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।
 ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xx) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालन (पट्टा व प्रचालन) पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxi) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पत्तियाँ

- क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।
1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
 2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
 3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।
- ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।
 ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।
 घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2 शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
प्राधिकृत 25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रु. (25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रु.)	25.00	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त 1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रु. के पूर्णतः प्रदत्त (1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रु. के पूर्णतः प्रदत्त)	19.80	19.80
कुल	19.80	19.80

i) धारित शेयरों की संख्या का वितरण:

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	19,742,400	99.729%	19,742,400	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	48,800	0.247%	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	4,800	0.024%	4,800	0.024%
कुल	19,796,000	100%	19,796,000	100%

ii) रोकड़ से इतर जारी शेयर

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बांड शेयर: वित्त वर्ष 2012-13 में 1:1 के अनुपात में पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में प्रत्येक 10 रुपये के 98,98,000

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार:

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) लाभांश

कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

(ग) निर्णयन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

iv) इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्विनियोजन:

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपये	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपये
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णतः प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	19,796,000	19.80	9,898,000	9.90
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर (बोनस)	-	-	9,898,000	9.90
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णतः प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80

3 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधियाँ			
अधिशेष		2.90	-
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण से अतिरिक्त में अंतरित		-	2.90
घटा: लाभ और हानि विवरण में अतिरिक्त से अंतरित	(i)	1.19	-
		1.71	2.90
ख. सामान्य आरक्षित निधि			
अधिशेष		2,277.67	1,733.04
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अतिरिक्त से अंतरित			
(नीचे (ख) का संदर्भ लें)		693.85	554.53
घटा: बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग		-	9.90
		2,971.52	2,277.67
ग. लाभ और हानि विवरण में अतिरिक्त			
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ		906.50	729.99
विनियोजन			
जमा:			
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि में अंतरण		1.19	-
घटा:			
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि में अंतरण		-	2.90
- अंतरिम लाभांश		100.96	49.49
(प्रति शेयर लाभांश ₹. 51/- (₹. 25/-))			
- प्रस्तावित लाभांश		81.16	98.98
(प्रति शेयर लाभांश 41/- (₹. 50/-))			
- अंतरिम लाभांश पर कर		17.16	8.03
- प्रस्तावित लाभांश पर कर		14.56	16.06
- सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण		693.85	554.53
		-	-
कुल		2,973.23	2,280.57

फुटनोट:

- (i) कंपनी ने 7.30 करोड़ रुपए की आवश्यकता के प्रति वर्ष के दौरान 8.49 करोड़ रुपए खर्च किए हैं (2012-13 के कर पश्चात लाभ का 1%) न्यूनतम आवश्यकता से अतिरिक्त 1.19 करोड़ रुपए की राशि को पिछले वर्ष से संबंधित सीएसआर बजट की अव्यय राशि से सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रयोग की गई है।

4 दीर्घकालीन देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) व्यापार देययोग्य			
"- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 44 का संदर्भ लें)"		-	-
- अन्य		2.46	33.51
(ख) अन्य देयताएं			
- ग्राहकों से अग्रिम	(i)	49.48	236.04
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा		120.28	113.06
कुल		172.22	382.61

फुट नोट:

(i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - ₹ 2.13 करोड़ (₹ 9.35 करोड़)

5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) "कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 42 का संदर्भ लें)"		
i) उपदान	57.76	50.61
ii) छुट्टी वेतन के लिए	73.54	58.50
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.20	1.31
iv) पेंशन	-	17.88
v) यात्रा छुट्टी रियायत	0.13	0.05
	132.63	128.35
(ख) अन्य प्रावधान:		
i) विसंग्रहण के लिए	24.01	4.97
ii) अनुरक्षण के लिए	55.37	46.87
iii) डिजाईन गारंटी	172.20	221.86
iv) अन्य व्यय	22.94	18.05
	274.52	291.75
कुल	407.15	420.10

6 व्यापार देय योग्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
व्यापार देय राशियां			
"- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 44 का संदर्भ लें)"		-	-
- अन्य			
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता		576.65	624.03
(ख) संबंधित पक्ष		17.85	9.68
कुल		594.50	633.71

7 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां		109.78	530.86
(ख) ग्राहकों से अग्रिम राशियां	(i)	604.59	776.21
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि	(ii)	412.16	348.20
(घ) सांविधिक देय राशियां		196.09	183.86
घटा : विरोध में जमा राशि		(168.80)	(88.97)
(ड.) बहि ओवरड्राफ्ट		0.24	-
(घ) स्टाफ		2.82	16.19
(च) अन्य	(iii)	21.13	15.24
कुल		1,178.01	1,781.59

फुटनोट:

- ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - ₹ 67.96 करोड़ (₹ 34.09 करोड़)
- इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.ए पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से अग्रिम शामिल है - शून्य (0.79 करोड़ रुपए)
- बकाया व अन्य देयताओं सहित।

8 अल्पकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) "कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 42 का संदर्भ लें)"		
i) उपदान	(4.09)	3.26
ii) छुट्टी वेतन के लिए	6.56	6.20
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	0.09	0.11
iv) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	17.50	9.36
v) पेंशन	23.61	-
vi) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन	22.42	11.44
vii) छुट्टी यात्रा खर्चा	0.01	0.03
	74.28	30.40
(ख) अन्य प्रावधान:		
i) विसंग्रहण के लिए	23.92	32.27
ii) अनुरक्षण के लिए	161.37	94.99
iii) प्रत्याशित घाटा	10.12	7.25
iv) अभिकल्प गारंटी	56.99	-
v) कानूनी मामले	47.93	64.52
vi) अन्य व्यय	28.05	25.66
vii) आय कर तथा संपत्ति कर	868.46	819.74
घटा: अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	(550.23)	(497.65)
viii) लाभांश (प्रस्तावित)	81.16	98.98
ix) लाभांश पर कर (प्रस्तावित)	13.80	16.06
	741.57	661.82
कुल	815.85	692.22

9 नियत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

नियत परिसंपत्तियां	फुटनोट	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यवृद्धि				निवल ब्लॉक	
		01.04.2013 को	जमा	बिक्री/समायोजन	31.3.2014 को	31.3.2013 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/समायोजन	31.3.2014 तक	31.03.2014 को	01.04.2013 को
क मूल परिसंपत्तियां											
स्वामित्व भूमि	(vi)	3.42	-	(1.12)	2.30	-	-	-	-	2.30	3.42
पट्टे की भूमि	(v)	36.39	-	-	36.39	0.17	0.01	-	0.18	36.21	36.22
पट्टे के भवन	(iv)	42.44	-	-	42.44	5.12	0.87	-	5.79	36.65	37.32
पूर्णस्वामित्व भवन/प्लैट आवासीय		9.30	-	-	9.30	2.53	0.18	-	2.69	6.61	6.77
पूर्णस्वामित्व भवन/प्लैट गैर आवासीय		10.64	-	-	10.64	1.53	0.19	-	1.72	8.92	9.11
संयंत्र और मशीनरी	(i, ii & viii)	345.07	8.18	(11.50)	341.75	254.63	29.35	(10.84)	283.14	58.61	80.44
सर्वेक्षण संयंत्र		3.68	0.42	(0.64)	3.46	3.37	0.49	(0.61)	3.25	0.21	0.31
कम्प्यूटर		8.46	0.49	(0.52)	8.43	7.65	0.56	(0.52)	7.69	0.74	0.81
मोबाइल हैंडसेट		0.24	0.03	(0.05)	0.22	0.20	0.04	(0.05)	0.19	0.03	0.04
कार्यालय उपकरण		7.17	0.51	(0.47)	7.21	6.14	0.75	(0.46)	6.44	0.77	1.03
फर्नीचर, जुड़नार और फर्निचिंग		8.01	0.35	(0.30)	8.06	7.36	0.50	(0.30)	7.56	0.50	0.65
कैबिन, कैम्प और उपस्थायी हैंड		6.26	0.24	(0.50)	6.00	6.25	0.24	(0.50)	5.99	0.01	0.01
वाहन	(i)	14.63	0.38	(0.38)	14.63	12.83	0.63	(0.36)	13.10	1.53	1.80
चालू वर्ष का जोड़		495.71	10.60	(15.48)	490.83	317.76	33.90	(13.64)	337.74	153.09	177.93
पिछले वर्ष के आंकड़े		497.29	31.17	(32.75)	495.71	303.85	44.19	(30.26)	317.75	177.93	193.44
ख अमूल परिसंपत्तियां											
सॉफ्टवेयर		1.71	0.05	-	1.76	1.71	0.04	-	1.75	0.01	-
चालू वर्ष का जोड़		1.71	0.05	-	1.76	1.71	0.04	-	1.75	0.01	-
पिछले वर्ष के आंकड़े		1.68	0.04	(0.01)	1.71	1.67	0.04	-	1.71	-	0.01
चालू वर्ष का सकल योग		497.42	10.65	(15.48)	492.59	319.49	33.64	(13.64)	339.49	153.10	177.93
पिछले वर्ष के आंकड़े		498.97	31.21	(32.76)	497.42	305.62	44.23	(30.26)	319.49	177.93	193.45

फुटनोट:

- i) नियत परिसंपत्तियां जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और निपटान के लिए रखी गई हैं उन्हें बिक्री/समायोजना कॉलम में शामिल किया गया है और निवल बहि मूल्य पर अन्य चालू परिसंपत्तियों में हस्तांतरित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति ब्लाक	मार्च 2014 को		मार्च 2013 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र मशीनरी	7.69	0.57	13.40	1.20
वाहन	0.04	-	-	-
कुल	7.73	0.57	13.40	1.20

- ii) अल्प पट्टा प्रचालन व स्टैंडबाय पर इंजन सहित
iii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
लाभ हानि विवरण		
चालू	33.64	44.23
पूर्व अर्द्ध	-	1.27
कुल	33.64	45.50

- iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य 5.30 करोड़ ₹) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।
v) कंपनी द्वारा केंद्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 करोड़ ₹) भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।
vi) फ्रीहोल्ड भूमि में बिक्री/समायोजना कॉलम में वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश परिसंपत्ति में हस्तांतरित 1.12 करोड़ ₹ शामिल हैं।
vii) मई 2013 को एक 48 टन का डीजल इंजन 777 (1.84 करोड़ ₹ का सकल ब्लॉक), (31.03.2013 तक 1.75 करोड़ ₹ का संचित मूल्यह्रास) लापता हो गया था। इसके कारण 31.03.2013 को बहि मूल्य में 0.09 करोड़ ₹ की हानि को संचित मूल्यह्रास के बिक्री/समायोजना कॉलम में दर्शाया गया है और बिविध व्ययों में शामिल किया गया है।

10 प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
सेप का क्रियान्वयन		
आरंभिक शेष	0.80	0.25
वर्ष के दौरान जोड़	0.21	0.55
कुल	1.01	0.80

11 पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
आरंभिक शेष	0.88	2.40
वर्ष के दौरान जमा:		
- कार्यशील व्यय	0.73	0.82
घटा :-		
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	2.34
निवेश परिसंपत्ति में हस्तांतरित	1.61	-
कुल	-	0.88

12 गैर-मौजूदा निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क निवेश संपत्ति पुराने एयरपोर्ट रोड, बंगलोर में इलाआरआर भवन कुल (क)			2.73		-
ख व्यापार निवेश (लागत पर) कोट न किए गए पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश सहायक कंपनियों में					
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर		4,00,00,000	40.00	4,00,00,000	40.00
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम - प्रत्येक 10 रुपए के 2,04,00,000 इक्विटी शेयर		20,400,000	20.40	10,200,000	10.20
निगमित संयुक्त उपक्रम/उपक्रमों में सीसीएफबी, मोजाबीक					
मैट्रीशियस 24000 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1,250,000 इक्विटी शेयर	(i)	12,50,000	5.53	12,50,000	5.53
घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान (नोट सं 40 का संदर्भ लें)			5.53		5.53
इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) 10 रु. प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर	(ii क व ख)	6,38,70,000	63.87	6,38,70,000	63.87
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 13,000 इक्विटी शेयर		13,000	0.01	-	-
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 13,000 इक्विटी शेयर		13,000	0.01	-	-
कुल (ख)			124.29		114.07
ग अन्य निवेश (लागत पर) कोट किए गए बांडों में निवेश					
8.00% भारतीय रेलवे विल्ट कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		-	-	5,000	50.00
8.00% भारतीय रेलवे विल्ट कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		163,131	16.31	163,131	16.31
7.21% भारतीय रेलवे विल्ट कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		500	49.96	500	49.96
8.23% भारतीय रेलवे विल्ट कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		500,000	50.00	-	-
8.35% भारतीय रेलवे विल्ट कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड		500	49.92	-	-
घटा: प्रीमियम का परिशोधन	(iii)		49.92		-
म्यूचुअल फंड में निवेश एस्बीआई ग्रेट फंड फंड सीरीज - ए -14		25,000,000	25.00	-	-
कुल (ग)			191.19		116.27
कुल			315.21		230.34

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-

	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	124.29	114.07
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	191.19	116.27
	190.95	115.11

फुट नोट:

- मैट्रीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है।
- (क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2014 को बकाया देय राशि 444.30 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरिक्त) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमाने किए जाने के कारण कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।
(ख) आईएसटीपीएल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद 5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि आदि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएमशन अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।
- यह राशि 0.01 करोड़ से कम है अर्थात् 1,794/-

13 आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2013 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2014 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	48.94	21.17	70.11
- भावी हानियाँ	2.46	0.98	3.44
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	33.69	(2.62)	31.07
- उपदान के लिए	18.31	2.71	21.02
- छुट्टी यात्रा रियायत	0.03	0.02	0.05
- विधिक मामलों के लिए	21.93	(5.64)	16.29
- अभिकल्प गारंटी	75.41	2.49	77.90
- अन्य खर्चे	14.86	1.37	16.23
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.01	-	0.01
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	40.88	8.21	49.09
- मूल्यहास	12.46	3.70	16.16
	268.98	32.39	301.37
देयता			
	-	-	-
	-	-	-
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयता	268.98	32.39	301.37
पिछले वर्ष	189.38	79.60	268.98

14 दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.68		1.73	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	22.44		-	
		24.12		1.73
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
भूमि के क्रय के लिए पूंजी अग्रिम		244.82		-
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	0.58		0.61	
- ग्राहक	33.81		6.32	
- अन्य	0.21	34.60	4.88	11.81
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
- कंपनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सल्ल (नोट 40 का संदर्भ लें)	61.16		58.96	
सहायक कंपनियां				
- इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.	48.15	109.31	34.01	92.97
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.05		1.26	
सरकारी विभागों में जमा	0.02		0.13	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	103.11		102.24	
ग्राहकों से वसूलनीय राशि	7.45		14.75	
मांग के प्रति आयकर विभाग को जमा राशि	142.72		166.53	
अग्रिम कर/टीडीएस	5.93		11.01	
घटा: कर के लिए प्रावधान	-	5.93	-	11.01
पूर्व भुगतान व्यय	1.39	261.67	1.64	297.56
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध				
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उद्यम				
- कंपनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सल्ल (नोट 40 का संदर्भ लें)	27.66		29.86	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	8.62		8.48	
जमा राशियां तथा प्रतिधारण राशि	-		0.02	
	36.28		38.36	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	36.28	-	38.36	-
कुल		674.52		404.07

फुटनोट

- (i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर, शून्य (रु. शून्य) है।

15 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. रक्षित वसूली योग्य		
पर अर्जित ब्याज :		
- स्टाफ को अग्रिम	0.88	0.96
ख. अरक्षित वसूली योग्य		
संचित ब्याज:		
- स्टाफ को अग्रिम	0.34	0.31
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यो को अग्रिम,	3.47	33.96
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	0.20	0.41
- आस्थगित देय	-	31.82
	4.01	66.50
ग. संदिग्ध समझे गए		
निम्न पर अर्जित ब्याज :		
संयुक्त उधम		
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 40 का संदर्भ लें)	0.19	0.19
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यो को अग्रिम,	0.40	0.40
	0.59	0.59
घटा: संदिग्ध के लिए प्रावधान	0.59	-
कुल	4.89	67.46

फुटनोट

- (i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

16 चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
क कोट किया गया गैर व्यापार निवेश				
म्यूचुअल फंड में निवेश				
यूटीआई म्यूचुअल फंड, दैनिक लाभान्श योजना	227,274	23.17	45,156	4.60
यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVI - I	25,000,000	25.00	-	-
यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVIII - IV	25,000,000	25.00	-	-
एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज - 40	25,000,000	25.00	-	-
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	278,452	27.85	-	-
प्रतिदिन डिविडेंड प्लान		126.02	-	4.60
ख दीर्घकालीन बांडों की वर्तमान परिपक्वता				
1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.85% कर मुक्त भारतीय अवसंरचना वित्तीय कंपनी लिमिटेड के बांड	-	-	6,000	60.71
घटा : निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का विनियोजन	-	-	0.36	60.35
1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.00% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्तीय कंपनी लिमिटेड के बांड	5000	50.00	-	60.35
कुल		176.02		64.95

कोट किए गए निवेश क प्रति प्रकटन :

कोट किए गए निवेश का योग		करोड़ रुपए में	करोड़ रुपए में
- बुक वैल्यू		176.02	64.95
- बाजार मूल्य		179.24	63.88

17 मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. सामग्री एवं भंडार:		
- हाथ में	34.66	37.22
- तृतीय पक्षों के पास	0.83	1.06
- मार्गस्थ	0.33	0.37
	35.82	38.65
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य	82.98	85.91
कुल	118.80	124.56

18 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
अनारक्षित :		
भुगतान के लिए		
वसूली योग्य	134.32	159.97
संदिग्ध समझे गए वे प्रवधान किया गया	17.91	21.03
	152.23	181.00
अन्य व्यापार प्राप्य		
वसूली योग्य	528.11	938.81
संदिग्ध समझे गए तथा प्रवधान किया गया	-	0.58
	528.11	939.39
	680.34	1,120.39
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	17.91	21.61
कुल	662.43	1,098.78

फुट नोट

- (i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य (शून्य) है।
- (ii) सहायक कंपनियों को देय राशि शामिल है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2014	31.03.2013
भुगतान के लिए	-	1.58
अन्य व्यापार प्राप्य	2.82	5.10
कुल	2.82	6.68

19. रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य			
क) हाथ रोकड़	(i)	0.16	0.24
ख) हाथ में बैंक/ड्राफ्ट		7.57	0.02
ग) बैंकों में शेष			
चालू खातों में		45.57	124.39
फलैक्सी खातों में	(ii)	127.37	194.55
जमा खातों में (तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(ii)	1,344.14	1,517.08
घ) पारगमन में प्रेषण		-	1,243.74
			1562.68
अन्य बैंकों में शेष			4.19
जमा खातों में (तीन महीने से अधिक 12 महीनों तक से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(ii)	1,150.55	1516.64
कुल		2,675.36	3,083.77

फुटनोट:

i) रोकड़ इंस्ट्रुमेंट सहित हरथ रोकड़ 0.02 करोड़ रुपए (0.02 करोड़ रुपए)

ii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2014	31.03.2013
फलैक्सी खाते में	73.65	72.55
जमा खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	272.31	470.00
जमा खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक परिपक्वता अवधि सहित)		0.40
कुल	345.96	542.95

20 अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. रक्षित वसूली योग्य		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.67	0.70
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम	3.45	31.53
	4.12	32.23
ख. अरक्षित, वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा		
- सरकारी विभाग	6.44	7.08
- ग्राहकों से	65.21	90.65
- अन्य	1.75	0.61
	73.40	98.34
निम्न से वसूलनीय राशियां :		
संयुक्त उपक्रम		
- रीकन सीटा एराएआरएल	0.80	1.10
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सल	4.67	0.67
- रीकन	9.41	9.48
- अंतर्राष्ट्रीय सिविल मेट्रो कंट्रैक्टर	3.21	3.01
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप	5.51	5.13
सहायक कंपनियां		
- इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	0.93	1.95
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि.	0.30	-
अन्य	0.57	-
	25.40	21.34
कर्मचारी ऋण व अग्रिम	1.78	2.39
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	225.35	93.97
ग्राहकों के पास धारित राशि	82.42	72.46
(टी.डी.एस सहित)- बिक्री कर	197.53	118.06
घटा:- विरोध में जमा राशि	(168.80)	(88.97)
मूल्य संवर्धित कर	109.40	84.66
सेवा कर इनपुट ऋण	0.39	1.07
पूर्वप्रदत्त व्यय	5.28	5.39
अन्य	4.79	3.82
	458.14	292.85
ग. संदिग्ध समझे गए		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.01	0.01
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण	8.49	8.62
सरकारी विभागों से जमा	2.26	2.25
प्रतिधारण राशि सहित जमा	13.30	16.93
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	12.56	10.73
	36.62	38.54
घटा:- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	36.62	38.54
कुल	561.06	444.76

फुटनोट:

(i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर, शून्य(शून्य) है।

(ii) निदेशकों से देय राशियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.02	0.03
	0.02	0.03

21 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:			
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		0.15	0.16
बांड	8.63		3.41
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		0.09	0.09
त्रण हेतु			
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		0.20	0.20
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड		6.14	7.82
निम्न पर जमा व अग्रिम			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		55.38	0.53
- बैंकों में जमा राशि		77.08	94.04
ख प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)	(iii)	330.09	135.87
ग) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति	(i)	1.59	1.20
घ) इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई में निवेशित राशि	(ii)	19.00	-
कुल		498.35	243.32

फुटनोट:

- (i) मितव्ययी रूप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियाँ (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	19.91	1.59	13.40	1.20
वाहन	0.04	-	-	-
कुल	19.95	1.59	13.40	1.20

- (ii) 31.03.2014 को इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई म्यूचुअल फंड को 19,00,00,000.00 (असीस करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया था। चूंकि 31.03.2014 तथा 01.04.2014 यूटीआई म्यूचुअल फंड में लेनदेन के लिए बैंक अवकाश का दिन थे, इसलिए 02.04.2014 को ही फॉयल सं. 509270058623 में इकाइयां आवंटित की गई थीं।

- (iii) एक परियोजना में, ग्राहक ने 144.02 करोड़ रुपये के कार्य को यह कहते हुए प्रमाणित किया है कि संविदा करार की शर्तों और जांच सूचियों के अनुसार निष्पादित गुणवत्ता पर दावित मदों/बिनों की विधिवत संवीक्ष के पश्चात भुगतान जारी किया जाएगा। यह कार्य 31.03.2014 से पूर्व निष्पादित किया गया था और बिल 01.05.2014 को प्रस्तुत किया गया। इसे वर्ष के लिए संविदा प्राप्तियों के रूप में देखा गया है और निर्गमित मूल्य पर प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में दर्शाया गया है किन्तु इसे पिछले वर्ष में ऋणदाता के रूप में दर्शाया गया है (166.00 करोड़ रुपये)।

- (iv) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर, शून्य(शून्य) है।

निदेशकों से देय राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिम पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	0.005	0.003
	0.005	0.003

22 प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
ठेका राजस्व	3,850.10	4,171.92
एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में टर्नओवर में कंपनी का भाग	8.81	12.96
लोको पट्टा	41.49	35.60
मशीन किराया प्रभार	0.04	0.08
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	11.85	11.22
पूर्व अवधि संविदा राजस्व (नोट 28 का संदर्भ लें)	154.53	0.65
कुल	4,066.82	4,232.43

23 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
कर मुक्त बॉन्ड पर ब्याज	13.78	9.66
बैंक ब्याज - सकल	227.88	235.35
घटा: ग्राहकों को वापस किए जाने वाला ब्याज	35.20	48.37
वापस आए आयकर पर ब्याज	8.74	7.51
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज	0.34	0.41
इरकॉन आईएसएल को ऋण पर ब्याज	6.82	8.69
अन्य अग्रिमों पर ब्याज	4.10	4.11
सावधि परिपक्वता योजना पर ब्याज	3.05	-
विनिमय उच्चावचन लाभ	-	27.53
घटा: विनिमय उच्चावचन हानि	-	14.46
लाभांश आय	4.05	3.05
घटा: ग्राहकों को दिया गया लाभांश	-	0.76
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.19	3.44
विविध	14.44	13.28
पूर्व अवधि अन्य आय (नोट 28 का संदर्भ लें)	1.18	0.93
कुल	249.37	250.37

24 प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण					
आरंभिक शेष		38.28	67.75	-	-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद		257.82	392.39	-	-
		296.10	460.14	-	-
घटा: अंतिम शेष		35.49	38.28	-	-
कार्यगत व्यय		2,169.10	2,360.51	-	-
डब्ल्यूआईपी में (इंद्रि) / कमी		2.94	(19.37)	-	-
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास, एजेंसी व परामर्श प्रभार		48.42	102.36	-	-
निरीक्षण, भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		5.74	3.69	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		42.14	30.62	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		15.41	9.41	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि				40.10	-
घटा: विनिमय उच्चावचन लाभ				32.38	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि				7.72	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 33 (iii)) का संदर्भ लें)		3.77	4.30	0.20	0.15
दर एवं कर		8.97	135.69	1.40	0.36
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		11.71	14.19	0.82	0.78
मरम्मत और रखरखाव					
- भवन		0.14	0.26	0.84	0.38
- कार्यालय तथा अन्य		3.51	3.17	2.05	3.17
विजली, विद्युत व जल प्रभार		3.66	3.81	1.35	1.45
ढोमा		7.16	10.17	0.03	0.18
यात्रा और वाहन		9.26	9.96	1.84	1.54
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.82	1.96	0.85	0.98
हाक टिकट, टेलीफोन, टेलीक्स		2.42	2.55	0.49	0.50
वित्तीय और व्यावसायिक प्रभार		4.32	2.59	1.26	3.69
सुरक्षा सेवाएं		3.79	3.16	0.15	0.16
व्यवसाय संवर्धन		1.02	1.12	0.23	0.11
बटुटा खाता:					
अशोध्य ऋण		31.98	0.10	-	-
अशोध्य अग्रिम		7.15	0.60	-	-
परिसंपत्तियां		0.01	-	-	-
परिसंपत्ति तथा भंडार की बिक्री से हानि		-	-	-	0.40
निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का परिशोधन		-	-	0.35	0.36
निदेशकों की फीस		-	-	0.03	0.03
चंदा		-	-	0.01	-
लेखापरीक्षकों की फीस	(i)	-	-	0.63	0.77
विज्ञापन और प्रचार		-	-	4.43	3.30
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.49	0.60
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-	-	0.96	2.42
क्षारणीय विकास		-	-	-	0.80
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-	-	8.49	9.84
विविध व्यय		4.29	2.46	1.24	1.08
पूर्व अवधि व्यय (नोट 28 का संदर्भ लें)		0.41	4.91	0.18	0.35
प्रावधान (जमा - पश्चलिखित)	(ii)	140.02	101.95	-	-
प्रावधान / उपयोग की गई आरक्षित निधियां	(iii)	(61.26)	(31.92)	-	(9.84)
कुल		2,728.51	3,180.11	35.84	23.68

फुट नोट

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

	2013-14	2012-13
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.31	0.20
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.08	0.06
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.05	0.08
(iv) खर्च की प्रतिपूर्ति		
- स्थानीय	0.14	0.35
- विदेशी	0.05	0.08
कुल	0.63	0.77

(ii) ब्यौरा नोट सं. 27 पर उपलब्ध है

25 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	
		प्रचालनिक	प्रशासनिक	प्रचालनिक	प्रशासनिक
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस (नोट 33(ii) का संदर्भ लें)	(i)	136.81	25.68	118.22	32.62
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में योगदान		6.55	2.69	6.19	2.52
विदेश सेवा अंशदान		0.49	0.58	0.75	0.39
सेवानिवृत्ति लाभ		11.48	34.16	10.62	23.82
स्टाफ कल्याण		2.15	0.48	2.24	0.44
उप कुल		157.48	63.59	138.02	59.59
कुल		221.07		197.61	

फुटनोट:

- (i) गैर-मौद्रिक पद पर आयकर शामिल है 0.35 करोड़ रुपए (0.23 करोड़ रुपए)

26 वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	26.32	0.08
अन्य वित्त लागत			
- बैंक गारंटी तथा अन्य एवं बैंक प्रभार		12.13	10.79
कुल		38.45	10.87

फुटनोट:

- (i) 26.30 करोड़ रुपए (शून्य) के आयकर पर ब्याज शामिल है।

27 प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2013 को शेष			2013-14 के दौरान			31.3.2014 को शेष		
	दीर्घ कालीन	अल्प कालीन	कुल	जमा	बट्टा खाता	उपयोग	कुल	दीर्घ कालीन	अल्प कालीन
प्रावधान :									
क कर्मचारी संबंधित									
(i) सेवानिवृत्ति लाभो									
उपदान	50.61	3.26	53.87	10.33	-	2.35	61.85	57.76	4.09
छुट्टी वेतन के लिए	58.50	6.20	64.70	24.36	0.51	8.45	80.10	73.54	6.56
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.31	0.11	1.42	-	0.12	0.01	1.29	1.20	0.09
सेवानिवृत्ति पूर्व विक्रित लाभ	-	9.36	9.36	8.14	-	-	17.50	-	17.50
पेंशन	17.88	-	17.88	5.73	-	-	23.61	-	23.61
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	128.30	18.93	147.23	48.56	0.63	10.81	184.35	132.50	51.85
(ii) अन्य									
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	11.44	11.44	11.22	-	0.24	22.42	-	22.42
छुट्टी यात्रा रिचार्ज	0.05	0.03	0.08	0.06	-	0.02	0.14	0.13	0.01
अन्य लाभों का योग (ii)	0.05	11.47	11.52	11.30	-	0.26	22.56	0.13	22.43
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	128.35	30.40	158.75	59.86	0.63	11.07	206.91	132.63	74.28
ख अन्य									
विसंग्रहण के लिए	4.97	32.27	37.24	13.65	0.43	2.53	47.93	24.01	23.92
अनुरक्षण के लिए	46.87	94.99	141.86	105.97	5.51	25.58	216.74	55.37	161.37
प्रत्याशित हानि	-	7.25	7.25	8.97	-	6.10	10.12	-	10.12
अभिकल्प गारंटी	221.86	-	221.86	26.67	19.34	-	229.19	172.20	56.99
संदिग्ध ऋण के लिए	-	21.61	21.61	0.14	3.66	0.16	17.91	-	17.91
संदिग्ध अग्रिम के लिए	38.95	38.54	77.49	1.84	3.65	2.19	73.49	36.87	36.62
निवेश की हानि	5.53	-	5.53	-	-	-	5.53	5.53	-
देयताएं (विधि मामले)	-	64.52	64.52	6.66	1.25	22.00	47.93	-	47.93
अन्य व्यय	18.05	25.66	43.71	28.16	18.18	2.70	50.99	22.94	28.05
आयकर और संपत्ति कर	-	819.73	819.73	392.20	14.27	329.20	868.46	-	868.46
लाभान्श (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	98.98	98.98	182.12	-	199.94	81.16	-	81.16
लाभान्श पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	16.06	16.06	31.72	-	33.98	13.80	-	13.80
कुल अन्य प्रावधान (ख)	336.23	1,219.61	1,555.84	798.10	66.31	624.38	1,663.25	316.92	1,346.33
सकल योग (ग = क+ख)	464.58	1,250.01	1,714.59	857.96	66.94	635.45	1,870.16	449.55	1,420.61
घ घटा: अलग से विचार किए गए									
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	21.61	21.61				17.91	-	17.91
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रिम के लिए	38.95	38.54	77.49				73.49	36.87	36.62
नोट 12 में विचारित निवेश की हानि	5.53	-	5.53				5.53	5.53	-
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				48.56	0.63	10.81			
वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी				11.30	-	0.26			
भुगतान किए गए/पृथक विचारित कर				392.20	14.27	329.20			
भुगतान किए गए/पृथक रूप से विचारित लाभान्श				182.12	-	199.94			
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				31.72	-	33.98			
कुल (घ)	44.48	60.15	104.63	665.90	14.90	574.19	96.93	42.40	54.53
निवल: चालू वर्ष (ग-घ)	420.10	1,189.86	1,609.96	192.06	52.04	61.26	1,773.23	407.15	1,366.08
पिछले वर्ष	415.74	686.61	1,102.35	168.79	66.84	41.76	1,609.96	420.10	1,189.86

नोट:

नोट 24 के विचारार्थ निवल प्रावधान (जमा/बट्टा खाता)	140.02
नोट 24 के विचारार्थ उपयोग किए गए प्रावधान	61.26
नोट 25 के विचारार्थ सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधान	37.12
वेतन एवं पारिश्रमिक में नोट 25 के विचारार्थ निष्पादन संबंधी वेतन एवं एलटीसी	11.04

28 पूर्व अवधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
पूर्व अवधि मदें		
आय :		
प्रचालन से राजस्व (i)	154.53	0.65
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	0.21	0.71
विविध	0.97	0.22
	155.71	1.58
व्यय:		
कार्य व्यय	0.41	1.75
प्रशासनिक व्यय	0.01	0.01
मूल्यहास	-	1.27
ब्याज और वित्तीय प्रभार	-	0.22
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रभार	-	3.15
अन्य	0.17	0.13
	0.59	6.53
कुल	155.12	(4.95)

- (i) दिनांक 20.05.2014 के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मतानुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उच्चावचनों के प्रभावों को ध्यान में रखें बिना राजस्व निर्धारण के लिए अपनी विदेशी परियोजनाओं के प्रतिशत समापन परिकलन की विधि में परिवर्तन किया है। इसके परिणामस्वरूप 31.03.2013 तक की अवधि के लिए 154.68 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व बुक हुआ है।

29. प्रासांगिक देयताओं में शामिल हैं:

- क) कम्पनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 1291.10 करोड़ रुपए (597.21 करोड़ रुपए) हैं। इसके विपरीत, कम्पनी ने 303.06 करोड़ रुपए (265.48 करोड़ रुपए) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरुद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 434.65 करोड़ रुपए (88.14 करोड़ रुपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।
- ख) कम्पनी के विरुद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।
- ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 302.29 करोड़ रुपए (145.91 करोड़ रुपए) हैं। जिनमें से 107.27 करोड़ रुपए (23.06 करोड़ रुपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।
- घ. भविष्यनिधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर के दावे के लिए 1.75 करोड़ रुपए (1.75 करोड़ रुपए) हैं।
- ड) रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में देयों में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, के 50 प्रतिशत की वसूली के लिए आईएसटीपीएल के आवधि ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को अंडरटेकिंग और ऋण की शेष राशि के 50% के लिए 31.03.2014 को कंपनी का दायित्व 222.15 करोड़ रुपए (260.77 करोड़ रुपए होगा) है।
- च) ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदनों के निपटान के लंबित होने के कारण, 44.33 करोड़ रुपए (शून्य) के स्तर तक निर्णीत क्षतियों के भुगतान के लिए आकरिमक रुप से दायी है।

30. प्रतिबद्धताएं

- (क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 15.92 करोड़ रुपए (0.51 करोड़ रुपए) है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

निधि अंशदानकर्ता/संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के प्रति को प्रतिबद्धता:

- क. 16.75 करोड़ रुपए (30.89 करोड़ रुपए) की शेष इक्विटी के प्रति इरकॉन आईएसएल (इरकॉन की 100% सहायक कंपनी) को।
- ख. 10 करोड़ रुपए (10 करोड़ रुपए) की बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक की गैर वित्तपोषित ऋण सीमा के उपयोग के लिए इरकॉन आईएसएल (इरकॉन की 100% वाल सहायक कंपनी) को।
- ग. 20.40 करोड़ रुपए (30.60 करोड़ रुपए) (51%) के शेष इक्विटी शेयर के प्रति भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. को।
- घ. 2.58 करोड़ रुपए (2.60 करोड़ रुपए) (26% प्रत्येक) की इक्विटी के प्रति छत्तीसगढ़ पूर्वी रेलवे लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड को।
- ड. आईएसटीपीएल (संयुक्त उपक्रम) में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपथपत्र, 13.41 करोड़ रुपए (13.41 करोड़ रुपए)।

अत्यधिक विवरण से बचने के लिए व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में विक्रय/प्रापण से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताओं का प्रकट नहीं किया गया है।

- 31. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी ऊपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।
- ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर (टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- ग) प्रबन्धन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

32. क. विदेशी मुद्रा में आय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	2172.97	1974.55
बैंक ब्याज	9.75	6.11
अन्य ब्याज	0.20	0.15
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	-	13.07
अन्य	1.84	2.91
कुल	2184.76	1996.79

ख. विदेशी मुद्रा में आय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
प्रचालन व्यय	982.11	980.32
परामर्शदात्री प्रभार	40.13	93.26
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि (निवल)	7.72	-
प्रशासनिक और अन्य व्यय	112.97	101.24
कुल	1142.93	1174.82

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
सामग्री	60.02	55.74
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	-	-
कुल	60.02	55.74

घ. प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2012-13	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आयातित	60.02	23.03	55.74	13.21
स्वदेशी	200.59	76.97	366.12	86.79
कुल	260.61	100.00	421.86	100.00

33. पट्टे संबंधित प्रकटन

1. इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे

क. कंपनी द्वारा 31.03.2014 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	42.20 (25.20)	31.80 (0.26)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के लिए प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पत्ति पर मूल्यहास का प्रकटन :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2014 को	31.03.2013 को
परिसंपत्तियों की सकल राशि	35.66	26.79
संचित मूल्यहास	33.87	25.45

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
वर्ष के लिए मूल्यहास	1.16	1.87

2. परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए हैं तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय (नोट 25) के 6.52 करोड़ रुपए (5.55 करोड़ रुपए) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गैस्ट हाउसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान 3.97 करोड़ रुपए (4.45 करोड़ रुपए) को नोट 24 में दर्शाया गया है।

34. खण्डरिपोर्टिंग:

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
क. आवर्त						
प्रचालन से राजस्व	2137.49	1974.63	1929.33	2257.80	4066.82	4232.43
घटा: संयुक्त उपक्रमों में आय का भाग	1.30	-	7.51	12.96	8.81	12.96
संयुक्त उपक्रमों में लाभ का भाग	(1.06)	-	0.25	1.37	(0.81)	1.37
अन्य आय	11.07	20.09	238.30	230.28	249.37	250.37
अंत: खण्ड	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	2146.20	1994.72	2160.37	2476.49	4306.57	4471.21
ख. परिणाम						
प्रावधान मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	1115.46	863.65	333.58	297.34	1449.04	1160.99
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	134.43	106.25	5.59	(4.30)	140.02	101.95
मूल्यहास	25.21	34.89	8.43	9.34	33.64	44.23
ब्याज	-	-	26.32	0.08	26.32	0.08
कर पूर्व लाभ	955.82	722.51	293.24	292.22	1249.06	1014.73
कर व्यय	258.07	223.79	84.49	60.95	342.56	284.74
कर पश्चात् लाभ	697.75	498.72	208.75	231.27	906.50	729.99
ग. अन्य सूचना						
परिसंपत्तियां	2214.19	2514.62	3946.57	3695.98	6160.76	6210.60
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	69.04	71.11	100.71	108.50	169.75	179.61
देयताएं	1516.40	1817.65	1651.33	2215.71	3167.73	4033.36
पूँजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	7.32	28.42	3.33	2.79	10.65	31.21

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
निर्माण आदि	4024.80	4196.42	6129.94	6179.78	8.57	29.16
पट्टा और प्रचालन	42.02	36.01	30.82	36.00	2.08	2.05
कुल	4066.82	4232.43	6160.76	6210.60	10.65	31.21

35) संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2014	2013
1	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रिट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रक्चर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	65.08 21.87 13.05	65.08 21.87 13.05
2	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
3	इरकॉन-एफसीओएनएस	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	53.00 47.00	- -

(ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2014	2013
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	49.00 51.00	49.00 51.00
2	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकॉन, भारत सी इ टी ए, मोजाबिक	49.00 51.00	49.00 51.00
3	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	61.22 34.35 4.43	61.22 34.35 4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	24.21 75.79	24.21 75.79
5	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	55.00 45.00	55.00 45.00
6	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांस्ट्रक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2014	2013
7	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8	इरकॉन-गन्नौन डंकली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकला	55.70 44.30	55.70 44.30

ख) संयुक्त उद्यम कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	शेयरधारक व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का सहभागिता	
			31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फेरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	25.00 26.00 49.00	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज लि. भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
3	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि. (सीईआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
4	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00

ग) संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	रिपोर्ट		आईएमसीसी		एमटीजी		इरकॉन एसपीएससीपीएल		इरकॉन-एफकॉन्स		कुल	
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
1	आय	0.42	0.82	-	0.01	-	0.64	7.09	11.49	1.30	-	8.81	12.96
2	व्यय	0.33	0.39	0.01	0.13	(0.18)	(0.15)	7.09	11.22	2.36	-	9.61	11.59
3	नियत परिसंपत्तियां	0.00	0.01	-	-	-	-	0.03	0.01	0.03	-	0.06	0.02
4	चालू परिसंपत्तियां	10.31	10.07	4.61	4.47	8.15	7.92	6.57	6.56	22.85	-	52.49	29.02
5	चालू देयताएं	0.89	0.59	1.41	1.46	2.64	2.79	6.67	6.87	22.80	-	34.41	11.71

घ) संयुक्त उद्यमों में कंपनी के अपनुपातिक शेयर के प्रति आकस्मिक दयेताएं:

- आईएमसीसी के मामले में क्षतिपूर्ति बांड 1.24 करोड़ (1.24 करोड़)
- आईएमसीसी के मामले में बिक्री कर देयता 4.25 करोड़ रुपए (4.25 करोड़ रुपए) है और सेवा कर 1.01 करोड़ रुपए (1.01 करोड़ रुपए) है।
- एमटीजी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारंटी 1.54 करोड़ रुपए (1.54 करोड़ रुपए) है।
- इरकॉन-आरसीएस-पीफिलडेरर के मामले में बैंक गारंटी 1.40 करोड़ रुपए (0.91 करोड़ रुपए) है।

- (iv) आई.एम.सी.सी.(संयुक्त उद्यम) के मामले में आय कर देयता 5.29 करोड़ रुपए (5.29 करोड़ रुपए) है तथा एमटीजी के मामले में 0.88 करोड़ रुपए(0.40 करोड़ रुपए)।
- (vi) 31.03.2013 को मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा आई.एम.सी.सी. के प्रति वसूली मामला 0.02 करोड़ (0.02 करोड़) है।
- (vii) आईएमसीसी के लिए शून्य (0.07 करोड़ रुपए) के लिए उप-ठेकेदार को भुगतान के प्रति कंपनी केशेयर के प्रति आकस्मिक देयता।
- (viii) इरकॉन-एफकान्स के मामले में भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए 56.71 करोड़ रुपए (शून्य) की बैंक गारंटी।

36. संबंधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

- (i) सहायक कंपनियां:
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)।
 - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)।
- (ii) संयुक्त उपक्रम:
- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम: उपर्युक्त नोट सं 35(क) के अनुसार।
 - संयुक्त उद्यम कंपनियां: उपर्युक्त नोट सं 35(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

निदेशक: सर्वश्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग, दीपक सबलोक तथा हितेश खन्ना

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2013-14	2012-13	31-3-2014 को	31-3-2013 को
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख') तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं. 37 के अनुसार		-	0.44
सहायक कंपनी तथा संयुक्त उपक्रम में निवेश	10.22	45.30	124.29	119.60
सहायक कंपनियां				
इरकॉनआईएसएल	-	35.10	40.00	40.00
आईआरएसडीसी	10.20	10.20	20.40	10.20
संयुक्त उपक्रम				
आईएसटीपीएल	-	-	83.87	83.87
सीईआरएल/सीईडब्ल्यूआरएल	0.02	-	0.02	-
सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों को ऋण	14.14	(21.33)	136.97	122.83
सहायक कंपनियां				
इरकॉनआईएसएल	14.14	(16.91)	48.15	34.01
संयुक्त उपक्रम				
सीसीएफबी	-	(4.42)	88.82	88.82
सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	7.78	10.94	14.03	4.93
सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों को देय राशि	28.08	4.28	17.30	13.77
सहायक कंपनियां				
इरकॉनआईएसएल	30.05	10.90	8.36	2.86
संयुक्त उपक्रम				
आईएसटीपीएल	(2.35)	(3.80)	-	2.35
सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों से आय	12.29	24.77	18.66	31.21
सहायक कंपनियां				
इरकॉनआईएसएल	11.87	22.15	8.68	14.51
सहायक कंपनियों से प्रतिपूर्ति	0.91	1.60	0.30	0.54
संयुक्त उपक्रमों से प्रतिपूर्ति	0.24	-	-	-

37. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2013-14	2012-13
1.	वेतन और भत्ते	0.96	1.94
2.	भविष्य निधि में अंशदान	0.09	0.08
3.	सेवानिवृत्ति सहित अधिवार्षिकता लाभ	0.10	0.03
4.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.04
5.	बैठक फीस	0.03	0.03
6.	अन्य हित लाभ	0.26	0.22
	जोड़	1.47	2.33

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

38. कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एस 28 की अधिसूचना "परिसंपत्तियों का ह्रास" के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसंपत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। कोई ह्रास हानि शून्य रूप (शून्य रूप) नहीं हुई है।
39. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण 31.12.2015 को किया गया है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेशा अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लाने का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ़ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपुर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।
40. (क) बीओटी आधार पर मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था जिसमें कंपनी की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है और उसने 1.25 एमएन अमरीकी डालर (गैर-चालू निवेशों में दर्शाए गए 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12)) का भुगतान किया है। कंपनी ने सीसीएफबी को शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और 31.03.2011 तक संचित ब्याज सहित कुल राशि 21.124 मिलियन अमरीकी डालर (31.03.2011 को 93.43 करोड़ रुपए को विनिमय दर में परिवर्तित किया गया है, जिसके प्रति 28.02.2013 को सीसीएफबी से 1 मिलियन अमरीकी डालर (4.42 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई है 93.24 करोड़ रुपए को दीर्घकालीन आवधिक ऋण तथा अग्रिमों (नोट 14(ख) तथा (ग) में दर्शाया गया है) और इस प्रकार 88.82 करोड़ रुपए (88.82 करोड़ रुपए) को दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम (नोट 14(बी) तथा (सी) और 0.19 (0.19)) को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नोट 15 (सी) में दर्शाया गया है)। 1 मिलियन अमरीकी डालर के नकदीकरण पर शून्य रुपए (1.08 करोड़ रुपए) के विनिमय लाभ को लेखांकित किया गया है। हालांकि, परियोजना पूरा हो गया था, मोजांबीक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।
- (ख) सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध तथा गैरकानूनी है और उसने मोजांबीक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपन मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबिन निष्कर्ष के कारण, विद्यमान विनिमय दर पर ब्याज सहित ऋण और संभावित लाभ के प्रति 33.38 करोड़ रुपए (35.57 करोड़ रुपए) [29.77 करोड़ रुपए (29.77 करोड़ रुपए)] ऋण तथा उस पर ब्याज के प्रति, 3.21 करोड़ रुपए (3.21 करोड़ रुपए) (नोट 12, 14 तथा 15 का संदर्भ लें) के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए सीसीएफबी द्वारा संभावित पूंजीगत व्यय के प्रति प्रावधान किया गया है। देय ब्याज सहित ऋण की राशि को 31.03.2011 की प्रचलित विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित कारणों से वर्ष के लिए 3.79 करोड़ रुपए (4.28 करोड़ रुपए), संवयी 8.59 करोड़ रुपए (7.66 करोड़ रुपए) की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।
- (ग) यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2014 को समाप्ति विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 20.15 करोड़ रुपए (13.10 करोड़ रुपए) अधिक होते और कर पूर्व लाभ 13.10 करोड़ रुपए अधिक होता (वर्तमान वर्ष पर प्रभाव 7.05 करोड़ रुपए तथा पूर्ववर्ती वर्षों पर प्रभाव 13.10 करोड़ रुपए)।

41. कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत छूट का दावा किया है। सभी आकलन वर्षों के लिए आकलनकर्ता अधिकारी द्वारा छूट की नामजुरी नहीं दी गई है। हालांकि, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए हमारे दावे को अनुमति प्रदान की है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। तदनुसार, अनुच्छेद 80आईए के अंतर्गत कटौतियों पर विचार किए बिना आय कर के लिए प्रावधान किया गया है। आकलन वर्ष 2013-2014 तक कटौती 799.79 करोड़ रुपये (700.53 करोड़ रुपये) है। आकलन वर्ष 2000-01 से आकलन वर्ष 2013-14 तक 80आईए कटौती का कर पर प्रभाव 272.92 करोड़ रुपये है। 272.92 करोड़ रुपये की इस राशि में से 154.21 करोड़ रुपये का समायोजन कर के भुगतान के रूप में किया गया है और 118.71 करोड़ रुपये की शेष राशि को 31.03.2014 को आय कर के प्रावधान में शामिल किया गया है। यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है।

42. एस-15 के अंतर्गत प्रकटन, कर्मचारी लाभ

भविष्यनिधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार उपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपये के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट में दिनांक 31.03.2014 को 31.82 करोड़ रुपये (30.57 करोड़ रुपये) की संयुक्त निधि है। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 17.50 करोड़ रुपये (9.36 करोड़ रुपये) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	0.08 (-)	1.41 (1.57)
ब्याज लागत	4.04 (3.72)	4.60 (4.17)	0.01 (-)	0.11 (0.12)
चालू सेवा लागत	3.16 (2.90)	4.72 (5.09)	- (-)	0.06 (0.07)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.35) ((3.51))	(7.16) ((3.56))	(0.02) (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) ((0.35))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

ii) योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)		- (-)
योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)		- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)		- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)		- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)		- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)		- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक वापसी	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषित स्थिति	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.29) ((1.41))
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(3.12) ((1.13))	(13.45) ((0.04))	(0.07) -	0.28 (0.35)
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) ((0.35))
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) ((0.35))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.29) ((1.41))
अनुमानित के ऊपर वास्तविक में अधिक	- ((-))	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.29) ((1.41))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

vi) लाभ हानि का विवरण में मान्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	3.16 (2.89)	4.72 (5.09)	- (-)	0.06 (0.07)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	0.01 (-)	- (-)
ब्याज लागत	4.04 (3.72)	4.60 (4.17)	- (-)	0.11 (0.12)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ वापसी	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) ((0.35))
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	10.33 (7.75)	22.77 (9.30)	0.08 (-)	(0.12) ((0.16))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

vii) चालू अवधि के लिए राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)
योजना परिसम्पतियां	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
सरप्लस (डिफिसिट)	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.28) ((1.41))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(3.12) ((1.13))	(13.45) ((0.04))	(0.07) (-)	0.28 (0.35)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

viii) वास्तविक अनुमान

i)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	8%
iii)	उपभोग स्तर में वृद्धि की दर	8%
iv)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	12.96 वर्ष
v)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	12.96 वर्ष

43. प्रगति के अनुबंध के सम्बन्ध में प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.14 तक	31.3.13 तक
क	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटा: निर्धारित हानियां)	18309.48	16716.79
		31.03.14 को	31.03.13 को
ख	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	314.77	1141.93
ग	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	106.32	144.33

* 31.3.2014 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर।

44. (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2014 तक कोई देय नहीं है।
- (ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औद्योगिक इकाई भी है। इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2014 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औद्योगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रूप (शून्य) है।
45. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 906.50 करोड़ रुपए (729.99 करोड़ रुपए) को 197,42,400 (197,42,400) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां कोई विलयन शामिल नहीं है।
46. वर्ष के दौरान, कंपनी ने दरसूचियों के रुपांतरण संबंधी अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया है जिन्हें "प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित दर" से परिवर्तित करके "लेनदेन की तिथि को क्रय दर" पर कर दिया गया है। तथापि, इससे दरसूचियों तथा वर्ष के लिए करपूर्व लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
47. वर्ष के दौरान, कंपनी ने ठेकेदारों से निर्णीत क्षतियों की वसूली संबंधी अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया है जिन्हें "वास्तविक वसूली पर लेखांकन" से परिवर्तित करके "वसूली के अंतिम निर्णय पर लेखांकन" कर दिया गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी में 9.71 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और वर्ष के लिए प्रचालनिक आय में 10.69 करोड़ रुपए तथा कर पूर्व लाभ में 0.98 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
48. वर्ष के दौरान कंपनी ने संविदा राजस्व निर्धारण संबंधी अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार बिक्री कर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवा कर को राजस्व से अलग रखा गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए प्रचालनिक आय तथा व्यय में 27.54 करोड़ रुपए की कमी हुई है। तथापि, कंपनी के लाभ/हानि में इसका निवल प्रभाव शून्य रहा है।
49. कंपनी लागत जमा आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य में यूएसबीआरएल नामक ब्रॉड गेज रेल लिंग परियोजना को निष्पादित कर रही है। उत्तर रेलवे, ग्राहक, ने कंपनी द्वारा किए गए कतिपय व्ययों/किए गए व्ययों पर देय संविदा संवर्धन के औचित्य पर कतिपय प्रश्न उठाए हैं और परियोजना में किए गए कार्य की गुणवत्ता पर कतिपय टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिनका उपयुक्त रूप से उत्तर भी दिया गया है। कंपनी को इस संबंध में किसी प्रकार के दायित्व की संभावना नहीं है। तथापि, इन मुद्दों से उत्पन्न समायोजनों, यदि कोई हो, को आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा।
50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए उन्हें कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 002304एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

मुकेश दधीच

भागीदार

स.सं.511741

इति माटा

सहायक प्रबंधक/कंपनी

मामले एवं कंपनी सचिव

के.के. गर्ग

निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.08.2014

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01.08.2014

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा (उसी) के संदर्भ में लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह की वास्तविक एवं उचित स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी हो या त्रुटि के कारण हो।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं ताकि उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त हो, किन्तु निकाय की आंतरिक नियंत्रण की कुशलता पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. योग्य मत के लिए आधार

(क) कंपनी संयुक्त उपक्रम कंपनी, कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फीरो डा बेरा एराएआरएल (सीसीएफबी) से देय शेयरधारक ऋण और उस पर संचित ब्याज को 31 मार्च 2011 को प्रचलित विनिमय दर पर अग्रशेष कर रही है तथा एस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2014 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 20.15 करोड़ रुपए तक कम, कर पूर्व लाभ 20.15 करोड़ रुपए तक कम (चालू वर्ष में 7.05 करोड़ रुपए, पूर्ववर्ती वर्ष में 13.10 करोड़ रुपए) तक कम हो गए हैं। (नोट सं. 40 का संदर्भ लें)।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ठेकेदारों से निर्णीत क्षतियों की वसूली संबंधी अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया है जिन्हें "वास्तविक वसूली पर लेखांकन" से परिवर्तित करके "वसूली के अंतिम निर्णय पर लेखांकन" कर दिया गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए प्रचालनिक आय में 10.69 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वर्ष के लिए प्रचालनिक व्यय में 9.71 करोड़ रुपए तथा कर पूर्व लाभ में 0.98 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है (नोट सं. 47 का संदर्भ लें)।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने संविदा राजस्व निर्धारण संबंधी अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार बिक्री कर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवा कर को राजस्व से अलग रखा गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए प्रचालनिक आय तथा व्यय में 27.54 करोड़ रुपए की कमी हुई है। तथापि, कंपनी के लाभ/हानि में इसका निवल प्रभाव शून्य रहा है (नोट सं. 48 का संदर्भ लें) यदि उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) का प्रभाव संघयी होता तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 694.67 करोड़ रुपए, प्रचालनिक आय 4074.05 करोड़ रुपए, प्रचालनिक व्यय 2746.74 करोड़ रुपए तथा कर पूर्व लाभ 1255.13 करोड़ रुपए होता।

5. योग्यमद

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, योग्य मत पैरा के आधार में वर्णित मुद्दों के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं वस्तुविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

- 1) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2014 को कंपनी के कार्यकलापों हेतु,
- 2) लाभ और हानि विवरण के मामले में, इस तिथि को समाप्त अवधि के लाभ हेतु,
- 3) रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में, इस तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह हेतु।

6. विषय पर बल

अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास, एजेंसी तथा परामर्शदात्री प्रभार (नोट सं. 24) तथा परामर्शदात्री प्रभार (नोट 32 (ख) विदेशी मूद्रा में व्यय) में आर्डर प्राप्त करने तथा विदेशी परियोजनाओं के लिए अन्य व्यावसायिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त विदेशी एजेंसियों को कमीशन के रूप में भुगतान 37.91 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 83.16 करोड़ रुपये) लाभ और हानि खाते के नामे डाले गए व्यय शामिल हैं। यह कंपनी द्वारा की जाने वाले एक निरंतर प्रक्रिया है। आंतरिक नियंत्रण, उनके केवाईसी के संबंध में अभिलेखन, अध्ययन तथा कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के संबंध में साक्ष्य, कंपनी के व्यवसाय के आकार तथा मात्रा के अनुरूप नहीं है। इस विषय को लेखापरीक्षा समिति तथा शीर्ष प्रबंधन के नोटिस में लाया गया है। इस संबंध में निदेशक मंडल ने हाल ही में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पक्ष में शक्तियों के प्रत्यायोजन की पुष्टि की है। कंपनी ने हमारे अवलोकनों के अनुसरण में इस संबंध में नीतियों, प्रक्रियाओं तथा अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए हैं।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य मुद्दे

वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रम (जेवी) लेखों में लाभ/हानि में कंपनी का भाग शामिल है, जिसमें से 4 संयुक्त उपक्रम खातों को अन्य सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है और 1 संयुक्त उपक्रम (इरकॉन-एसपीएससीपीएल) को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

8. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8.1 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4क) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

8.2 कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 227(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

- (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।
- (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहीखातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बहीखातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- (ग) अनुच्छेद 228 के उप अनुच्छेद (3) के खंड (ग) द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षक से इतर किस अन्य व्यक्ति द्वारा अनुच्छेद 228 के अंतर्गत लेखापरीक्षित क्षेत्रों के लेखों की रिपोर्ट हमें अग्नेषित की गई है और हमारे द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले रूप में हमारी रिपोर्ट तैयार किए जाने के साथ इसे भी शामिल किया गया है।
- (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण बहीखातों से मेल खाते हैं।
- (ङ) योग्य मत पैराग्राफ के लिए आधार में वर्णित मुद्दे से इतर हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण व रोकड़ प्रवाह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में दिए गए लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है सिवाय अन्यथा उल्लेख किया जाए।
- (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) तारीख 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) खंड (छ) के निबंधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (छ) चूंकि केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 441क के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले उपकर की दर क्या होगा और ना ही उसने उक्त खंड के अंतर्गत कोई नियम ही जारी किया है कि ऐसे उपकर को किसी रूप में भुगतान किया जाएगा, इसलिए कंपनी पर कोई उपकर देय नहीं है और भुगतान नहीं किया है।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएम - 002304एन

मुकेश दधीच

भागीदार

सदस्यता सं. 517741

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 27.08.2014

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक

(उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ (8.1) में निर्दिष्ट)

1. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।
(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।
(ग) वर्ष के दौरान कम्पनी की किसी स्थिर परिसम्पत्ति का पर्याप्त निपटारा नहीं किया गया है जिससे इसकी प्रगतिशील स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।
2. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रूप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।
(ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और समुचित है।
(ग) हमारी राय में इनवेंटरी अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी इनवेंटरी अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है। प्रत्यक्ष सत्यापन परिणामों की तुलना बही अभिलेखों से करने पर पाई गई विसंगतियां नगण्य हैं तथा इन्हें उचित रूप में लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है।
3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, कम्पनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश 2003 के पैरा 4 (iii) (ख) से (घ) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।
4. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री को देखते हुए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ हैं किन्तु मुख्य रिपोर्ट में पैरा विषय पर बल में वर्णित अनुसार को छोड़कर। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी सतत् चूक नहीं पाई गई है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।
5. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के अनुसार कोई ऐसे लेन-देन नहीं हैं, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किये जाने की आवश्यकता हो।
6. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58-क और 58कक या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।
7. हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कम्पनी में युक्तियुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
8. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत कम्पनी के लिये लागत अभिलेखों के रखरखाव को विहित नहीं किया है।
9. क) कम्पनी सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.03.2014 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

ख) 31.03.2014 को कम्पनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबंध में देय राशियों का विवरण निम्नप्रकार है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	आईए- हेंगर, बम्बई में निष्पादित कार्य के लिए लगाया गया सीमा शुल्क मुम्बई	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई उच्च न्यायालय
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.99	1995-96	मुम्बई उच्च न्यायालय
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.53	1996-97	
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1952	रॉयल्टी की वसूली के लिए राज्य वन विभाग के साथ विवाद	0.02	1984-85 और 1985-86	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	2.65	2003-04	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	0.80	2004-05	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गोवा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	इनपुट कर की नामंजूरी	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकार, मरगाव
ओडीशा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	बिक्री कर के लिए मांग	0.99	2002-03	आयुक्त बिक्री कर ओडीशा
मध्य प्रदेश वेट अधिनियम, 2002	बिक्री कर के लिए मांग	0.03	1993-94	उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	0.28	1998-1999	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	1.75	1987-88 से 1994-95	बेहाला बिक्री कर अधिकरण- कहलगांव
बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	व्यय की नामंजूरी	5.98	2005-06 तथा 2006-07	व्यय की नामंजूरी
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007 तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	प्रवेश कर/बिक्री कर के लिए मांग	4.80	2004-05 से 2009-10	संयुक्त आयुक्त (अपील) बरेली
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.31	2009-10	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.26	2008-09	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
मध्य प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2002	बिक्री कर के लिए मांग	0.21	1997-98	राजस्व बोर्ड, खालियर
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए मांग	1.56	2007-08 और 2008-09	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए मांग	0.91	2008-09 और 2009-10	उपायुक्त बिक्री कर, नोएडा
जम्मू और कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961	भविष्य निधि कटौती और जाम के लिए मांग	1.75	2003-04 और 2006-07 जम्मू और कश्मीर	भविष्य निधि आयुक्त,
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.06	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.03	2009-10	उपायुक्त बिक्री कर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय/इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.02	2002-03 और 2004-05	उच्च न्यायालय/इलाहाबाद
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.15	2006-07	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	यूपीटीटी द्वारा उठाई मांग	0.43	2006-07	
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	यूपीटीटी द्वारा उठाई मांग	0.88	2007-08	
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	0.60	2007-08	
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.30	2008-09	
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.38	2009-10	

- हमारी लेखापरीक्षा अवधि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई हानियां नहीं हुई हैं न ही इस अवधि में किसी प्रकार की संचित हानियां हुई हैं।
- कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों को बकाया की अदायगी में चूक का प्रश्न ही नहीं है।
- हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा रिकॉर्डों की जांच के अनुसार कम्पनी में शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण और अग्रिमों की अदायगी नहीं की है।
- हमारी राय में कम्पनी चिट फंड या निधि म्युचुअल हितलाभ फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(13) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।
- हमारी राय में कम्पनी शेयरों प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं करती है। तदनुसार कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट, आदेश 2003 की धारा 4 (14) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।
- हमारी राय में बिक्री या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने जिन निबंधनों और शर्तों पर उनकी गारंटी दी है वे कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

16. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए आवधिक ऋण जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उसका उपयोग कम्पनी ने किया है उसका प्रश्न नहीं उठता।
17. चूंकि कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए अल्पकालीन निधियों का प्रयोग दीर्घकालीन निवेशों तथा निदान के लिये किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।
18. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पक्षों और कम्पनियों को शेयरों का अधिमानी आवंटन नहीं किया है।
19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिविडेंड जारी नहीं किया है।
20. वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के जरिए पैसे की उगाही नहीं की है।
21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएम - 002304एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.08.2014

मुकेश दधीच

भागीदार

सदस्यता स.517741

**31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली
के लेखों पर कम्पनी अधिनियम के खंड 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

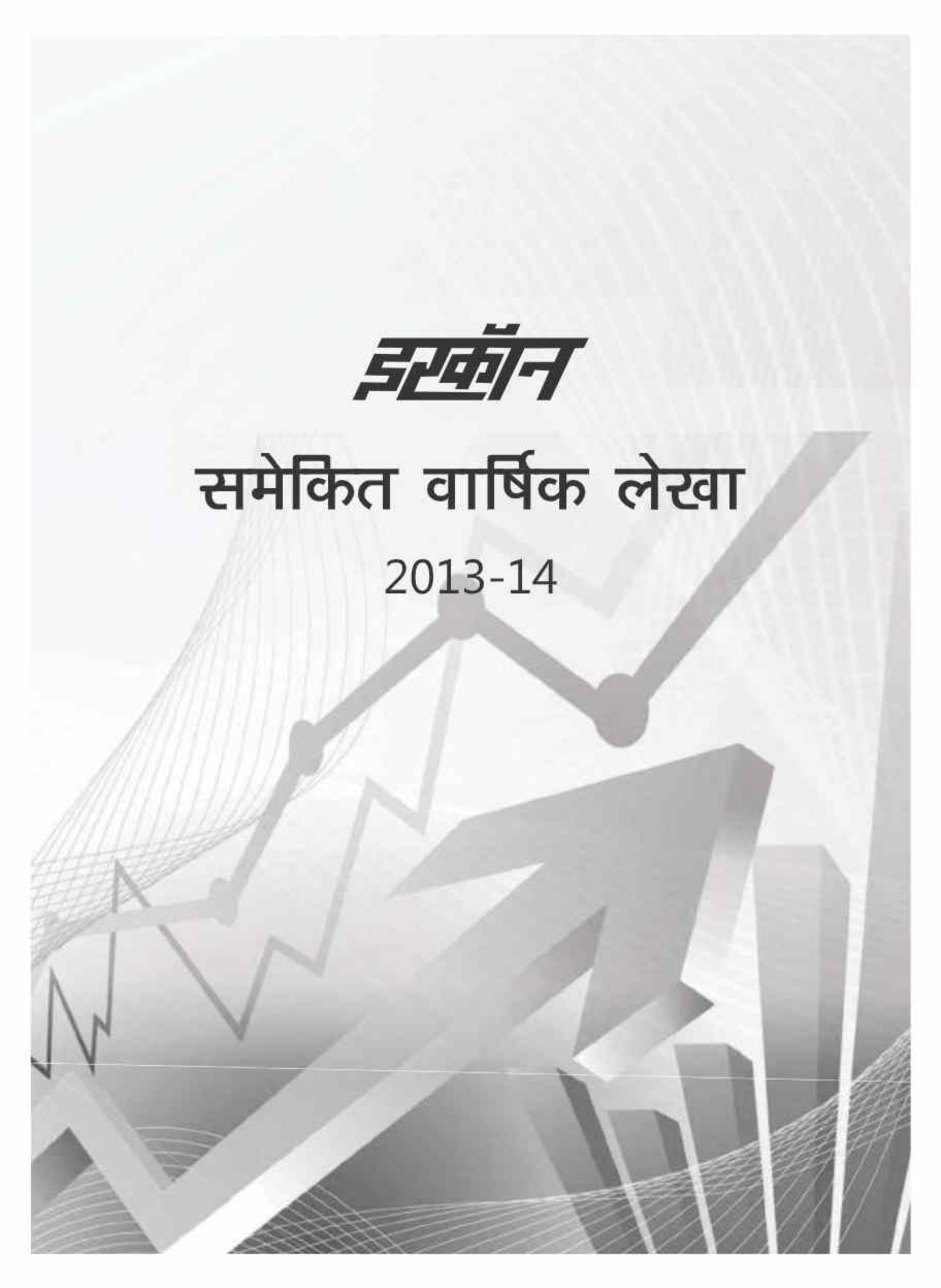
कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.08.2014 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (3) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कर्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.09.2014

**दिनेश भर्गव
प्रधान निदेशक,
रेलवे -वाणिज्यिक**

The background of the cover is a complex, abstract composition. It features a series of thin, curved lines that sweep across the frame, creating a sense of motion and depth. Overlaid on these are several geometric shapes, including a large, dark, angular block that resembles a stylized building or a piece of modern architecture. There are also various lines and curves in different shades of gray, some of which form a grid-like pattern in the lower right corner. The overall effect is one of a dynamic, futuristic, and somewhat industrial environment.

इस्कॉन

समेकित वार्षिक लेखा

2013-14

समेकित तुलन पत्र
31 मार्च 2014 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
I. इक्विटी और देयताएं			
1 शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	2	19.80	19.80
(ख) अवरक्षित निधियां और अधिशेष	3	2,964.43	2,264.00
अल्प हित		20.32	9.28
2 गैर-चालू देयताएं			
(क) दीर्घकालीन देयताएं	4	193.12	382.60
(ख) दीर्घकालीन प्रावधान	5	407.15	420.10
3 चालू देयताएं			
(क) व्यापार देय	6	589.90	636.98
(ख) अन्य चालू देयताएं	7	1,187.38	1,785.05
(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	820.29	692.34
कुल		6,202.39	6,210.15
I. परिसंपत्तियां			
1 गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) नियत परिसंपत्तियां	9		
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		165.32	178.07
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		50.75	-
(iii) प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां	10	10.72	0.80
(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	22.09	69.17
(v) पारगमन में मशीनरी		15.64	-
(ख) गैर-चालू निवेश	12	257.81	180.14
(ग) आस्थिगित कर परिसंपत्ति (निवल)	13	300.69	268.99
(घ) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	630.51	374.10
(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	4.92	67.48
2 चालू परिसंपत्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	16	176.02	64.95
(ख) दरसूचियां	17	124.19	124.57
(ग) व्यापार प्राप्य	18	661.91	1,094.05
(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	2,737.72	3,116.47
(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	549.86	435.02
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	494.24	236.34
कुल		6,202.39	6,210.15
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
IV. वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट	2-50		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

इति माटा
सहायक प्रबंधक/कंपनी
मामले एवं कंपनी राचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

लाभ और हानि का समेकित विवरण
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	2013-14	2012-13
I.	राजस्व :			
	प्रचालनों से राजस्व	22	4,060.68	4,222.23
	अन्य आय	23	247.50	243.66
	कुल राजस्व		4,308.18	4,465.89
II.	व्यय:			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	24		
	- प्रचालनिक व्यय		2,702.41	3,179.25
	- प्रशासनिक व्यय		37.34	24.55
	कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ	25	232.12	200.16
	वित्तीय लागतें	26	38.54	10.89
	मूल्यवृद्धि एवं परिशोधन व्यय	9	34.27	44.24
	कुल व्यय		3,044.68	3,459.09
III.	कर से पूर्व लाभ (I - II)		1,263.50	1,006.80
IV.	(आय)/घाटों में जमा/ (घटा)अल्प हित		(1.24)	0.52
V.	कर व्यय :			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		354.18	302.84
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		26.66	62.37
	(2) आस्थगित कर (निवल)	13	(31.70)	(79.60)
	कुल कर व्यय		349.14	285.61
VI.	वर्ष के लिए लाभ (III+IV - V)		913.12	721.71
VII.	प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित (₹ में)	45	461.26	364.57
VIII.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
IX.	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट	2-50		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002304एन

मुकेश दधीच

भागीदार

स.सं.511741

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.08.2014

इति माटा

सहायक प्रबंधक/कंपनी

मामले एवं कंपनी सचिव

के.के. गर्ग

निदेशक/वित्त

मामले एवं कंपनी सचिव

मोहन तिवारी

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

मामले एवं कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 01.08.2014

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		2013-14	2012-13
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मर्दे		1,263.50	1,006.80
निम्न के लिए समायोजन:			
मूल्यहास		34.30	44.24
निवेश की किश्तों पर छूट		0.35	0.36
निवेश में हानिकरण		-	-
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(0.19)	(3.04)
ब्याज आय		(227.11)	(210.27)
प्रावधान - जमा (पञ्चलिखित) निवल		140.02	101.95
(आय)/हानियों में अल्प हित		(1.24)	0.52
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		8.76	(13.39)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	1,218.39	927.17
निम्न के लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/श्रृण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		297.34	(26.09)
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		0.38	9.94
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		(213.61)	74.25
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		(47.08)	107.01
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		(1,173.69)	(268.92)
अल्पसंख्यक हित में (कमी)/वृद्धि		11.04	9.28
	(2)	(1,125.62)	(94.53)
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1+2)	92.77	832.64
प्रदत्त आयकर		(236.45)	(283.31)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)	(143.68)	549.33
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूँजी डबल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(52.62)	(42.72)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		2.03	5.55
प्राप्त ब्याज		245.38	161.98
इक्विटी और बांडों में निवेश		(189.09)	(42.05)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़	(ख)	5.70	82.76
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(233.16)	(132.30)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध रोकड़	(ग)	(233.16)	(132.30)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	(7.61)	13.39
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	(378.75)	513.18
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)	3,116.47	2,603.29
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(घ)	2,737.72	3,116.47
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(घ-ड.)	(378.75)	513.18

- नोट: 1. नगदी तथा नगदी समतुल्य में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
 2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।
 3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
 4. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति 273.31 करोड़ रु. (470.40 करोड़ रु.) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
 कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन 002304एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

मुकेश दधीच
 भागीदार
 स.सं. 511741

इति माटा
 सहायक प्रबंधक/कंपनी
 मामलों एवं कंपनी सचिव

के.के. गर्ग
 निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 27.08.2014

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 01.08.2014

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) तैयार करने के आधार

- क) समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।
- ख) समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रूप में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(ii) अनुपालन विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

(iii) समेकित वित्तीय विवरण

- (क) इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेषों तथा अंतर-समूह समव्यवहारों पर अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के पश्चात, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे समान मदों की बही मूल्य को जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया जाता है, और यथासंभव कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।
- (ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में कंपनी का हित इंट्रा-समूह समव्यवहारों पर वसूल न किए गए लाभ/हानि को अलग करने के पश्चात परिसंपत्तियों के बहि मूल्य, देयताओं, आय और व्ययों के एक साथ जोड़कर रेखा-सह-रेखा आधार पर आनुपातिक रूप में समेकित किया जाता है।
- (ग) संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों के मामले में, राजस्व में कंपनी का भाग, साझे व्यय, परिसंपत्तियों तथा देयताओं को क्रमशः राजस्व, व्ययों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं में शामिल किया जाता है।

(iv) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) भारतीय प्रचालनों के संव्यवहार

विदेशी मुद्रा सौदों को रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

- 1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपान्तरण सौदे की तारीख पर प्रचलित दर पर किया जाता है।
- 2) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।
- 3) मूल्यहास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यहास का परिकलन किया गया है।
- 4) विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को प्रचलित समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

- 1) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को विद्यमान दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- 2) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख को विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- 3) मूल्यहास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यहास का परिकलन किया गया है।
- 4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रचलित अंतिम क्रय का उपयोग करके परिवर्तित की जाती हैं।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनियम अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिया गया है।

घ) गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता है -

- 1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।
- 2) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को दर पर रूपांतरित किया जाता है।
- 3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(v) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

मूर्त परिसंपत्तियाँ

- क) मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यहास तथा अर्जन घाटों, यदि कोई हो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।
- ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत तथा ऐसी मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर मूल्यह्रास/परिशोधन किया जाता है।
- ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरूप हैं, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनीयता के साथ मापन किया जा सके। अपूर्ति परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

(vi) निवेश

- क) दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।
- ख) चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।
- ग) भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए के लिए नहीं है, उसे निवेश परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यहास और संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल के रूप में उल्लिखित किया जाता है।

(vii) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनीयता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

- i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं हैं उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।
- ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभावित किया जाता है।
- iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभावित किया जाता है।

(viii) रोकड़ एवं बैंक शेष

रोकड़ एवं बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध बैंक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(ix) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

- i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में कंपनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
- iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो। तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब:-

- 1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कंपनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,
- 2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और
- 3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(x) संविदा राजस्व का लेखांकन

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है:

- (क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।
- (ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए अनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है। पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

राजस्व में बिक्री कर/वेट/डब्ल्यू सी टी/सेवा कर आदि सम्मिलित नहीं हैं।

(xi) पट्टे

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

(xii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

- 1) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरूप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रूप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकरिमक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।
- 2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiii) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान से संबंधित राजस्व व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ हानि विवरण में तब तक प्रभारित नहीं किया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध न हो जाए और ऐसे मामले में ऐसे व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है।

(xiv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xv) मूल्यहास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

- क) भारत में मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई हैं :-

क. सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख. कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग. यूपीएस और इनवर्टर व मोबाइल सेट सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ. वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड. फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च. स्पीड बोट्स	19.00%

- ख) विदेशों में मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास परिसंपत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यहास की अपनाई गई दर भारत में मूर्त परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है (जैसा कि उपर्युक्त पैरा xv(क) में बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसंपत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती हैं तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

- ग) पट्टे की भूमि के संबंध में (पट्टे से इतर) मूल्यहास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

- ड) वर्ष के दौरान अधिग्रहित 5000 रु. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में 5000 रु. तक हासिल मूल्य की मूर्त परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयरों को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशर्ते प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। 25 लाख रुपए तक के मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयर को क्रय के वर्ष में पूर्णतः परिशोधित किया जाएगा।

(xvi) उधार लागतें

- क) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।
ख) पूंजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xvii) सेवानिवृत्ति लाभ

- क) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।
ख) भविष्यनिधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।
ग) पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान को संचित आधार पर लाभ व हानि विवरण से प्रभारित किया जाएगा।

(xviii) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मर्दे

- क) आय/व्यय से संबंधित पूर्व अवधि और पूर्वदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रु से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।
ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xix) कर

- क) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।
ख) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xx) खण्डरिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालन (पट्टा व प्रचालन) पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxi) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पत्तियाँ

- क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।
1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।
ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।
ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।
घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2 शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
प्राधिकृत		
25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10₹.	25.00	25.00
निगमित, अभिलक्षित और प्रदत्त		
1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10₹. के - पूर्णतः प्रदत्त	19.80	19.80
कुल	19.80	19.80

i) धारित शेयरों की संख्या का वितरण:

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	19,742,400	99.729%	19,742,400	99.729%
भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	48,800	0.247%	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	4,800	0.024%	4,800	0.024%
कुल	19,796,000	100%	19,796,000	100%

ii) रोकड़ से इतर जारी शेयर

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बांड शेयर: वित्त वर्ष 2012-13 में 1:1 के अनुपात में पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयरों के रूप में प्रत्येक 10 रुपये के 98,98,000

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार:

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) लाभांश

कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

(ग) निर्णयन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

iv) इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्विनियोजन:

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ ₹	शेयरों की संख्या	करोड़ ₹
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णतः प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	19,796,000	19.80	9,898,000	9.90
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर (बोनस)	-	-	9,898,000	9.90
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णतः प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	19,796,000	19.80	19,796,000	19.80

3 आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. सीएसआर गतिविधियाँ आरक्षित निधि अधिशेष		2.90	-
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण से अतिरेक में अंतरित		-	2.90
घटें: लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित	(i)	1.19	1.71
ख. विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि अधिशेष		-	-
जमा:- एकीकृत संयुक्त उपक्रम में आनुपातिक शेयर संयुक्त उद्यम		1.15	1.15
ग. सामान्य आरक्षित निधि अधिशेष		2,261.10	1,724.75
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अतिरेक से अंतरित (नीचे संदर्भ (ग))		700.47	546.25
घटा: बोनस शेयर जारी करने के लिए उपयोग		-	2,961.57
घ. लाभ और हानि विवरण में अतिरेक		913.12	721.71
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ विनियोजन			
जमा:			
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि में अंतरण		1.19	-
घटा:			
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि में अंतरण		-	2.90
- अंतरिम लाभांश		100.96	49.49
(प्रति शेयर लाभांश ₹. 51/- (₹. 25/-))			
- प्रस्तावित लाभांश		81.16	98.98
(प्रतिशेयर लाभांश 41/- (₹. 50/-))			
- अंतरिम लाभांश पर कर		17.16	8.03
- प्रस्तावित लाभांश पर कर		14.56	16.06
- सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण		700.47	546.25
कुल		2,964.43	2,264.00

फुटनोट:

- (i) कंपनी ने 7.30 करोड़ रुपए की आवश्यकता के प्रति वर्ष के दौरान 8.49 करोड़ रुपए खर्च किए हैं (2012-13 के कर पश्चात लाभ का 1%) न्यूनतम आवश्यकता से अतिरिक्त 1.19 करोड़ रुपए की राशि को पिछले वर्ष से संबंधित सीएसआर बजट की अव्यय राशि से सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रयोग की गई है।

4 दीर्घकालीन देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) व्यापार प्राप्य			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 44 का संदर्भ लें)		-	
- अन्य		2.46	33.51
(ख) अन्य देयताएं			
- ग्राहकों से अग्रिम	(i)	70.38	236.04
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा		120.28	113.05
कुल		193.12	382.60

फुटनोट:

(i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - ₹. 2.13 करोड़ (₹. 9.35 करोड़)

5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 44 का संदर्भ लें)		
i) उपदान	57.76	50.61
ii) छुट्टी वेतन के लिए	73.54	58.50
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.20	1.31
iv) पेंशन	-	17.88
v) यात्रा छुट्टी रियायत	0.13	0.05
	132.63	128.35
(ख) अन्य प्रावधान:		
i) विसंग्रहण के लिए	24.01	4.97
ii) अनुरक्षण के लिए	55.37	46.87
iii) डिजाईन गारंटी	172.20	221.86
iv) अन्य व्यय	22.94	18.05
	274.52	291.75
कुल	407.15	420.10

6 व्यापार देय राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
व्यापार देय राशियां			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 46 का संदर्भ लें)		-	
- अन्य			
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता		584.48	631.76
(ख) संबंधित पक्ष		4.57	4.66
(ग) अन्य		0.85	0.56
कुल		589.90	636.98

7 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां		110.16	530.86
(ख) ग्राहकों से अग्रिम राशियां	(i)	610.87	776.30
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि		412.98	349.24
(घ) सांविधिक देय राशियां		197.06	185.31
घटा :- विरोध में जमा राशि		(168.80)	(88.97)
(ड.) बहि ओवरड्राफ्ट		0.24	-
(घ) स्टाफ		3.69	16.95
(च) अन्य	(ii)	21.18	15.36
कुल		1,187.38	1,785.05

फुटनोट

- ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - ₹. 67.96 करोड़ (₹. 34.09 करोड़)
- बकाया व अन्य देयताओं सहित।

8 अल्पकालीन प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 44 का संदर्भ लें)		
i) उपदान	4.09	3.26
ii) छुट्टी वेतन के लिए	7.05	6.32
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	0.09	0.11
iv) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	17.50	9.36
v) पेंशन	23.61	-
vi) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन	22.42	11.44
vii) छुट्टी यात्रा खर्चा	0.01	0.03
	74.77	30.52
(ख) अन्य प्रावधान:		
i) विसंग्रहण के लिए	23.92	32.27
ii) अनुरक्षण के लिए	161.37	94.99
iii) प्रत्याशित घाटा	10.12	7.25
iv) अभिकल्प गारंटी	56.99	-
v) कानूनी मामले	47.93	64.52
vi) अन्य व्यय	28.05	25.66
आय कर तथा संपत्ति कर	877.59	823.35
vii) घटा: अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	(555.41)	(501.26)
viii) लाभांश (प्रस्तावित)	81.16	98.98
ix) लाभांश पर कर (प्रस्तावित)	13.80	16.06
कुल	820.29	692.34

9 नियत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2013 को	जमा	बिक्री/समायोजन	31.3.2014 को	31.3.2013 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/समायोजन	31.3.2014 तक	31.03.2014 को	01.04.2013 को
क मूर्त परिसंपत्तियां											
स्वामित्व भूमि	(vi)	3.41	-	(1.12)	2.29	-	-	-	-	2.29	3.41
पट्टे की भूमि	(v)	36.39	-	-	36.39	0.18	0.01	-	0.19	36.20	36.21
पट्टे के भवन	(iv)	42.44	-	-	42.44	5.13	0.67	-	5.80	36.64	37.31
पूर्णस्वामित्व भवन/प्लॉट आवासीय		9.30	-	-	9.30	2.54	0.16	-	2.70	6.60	6.76
पूर्णस्वामित्व भवन/प्लॉट गैर आवासीय		10.65	0.01	-	10.66	1.53	0.19	-	1.72	8.94	9.12
संयंत्र और मशीनरी	(i, ii व vii)	345.08	20.74	(11.50)	354.32	204.62	29.85	(10.83)	283.64	70.68	80.46
सर्वेक्षण संयंत्र		3.68	0.42	(0.64)	3.46	3.37	0.49	(0.61)	3.25	0.21	0.31
कम्प्यूटर		8.52	0.51	(0.52)	8.51	7.65	0.58	(0.52)	7.71	0.80	0.87
मोबाईल हैंडसेट		0.24	0.03	(0.04)	0.23	0.19	0.04	(0.05)	0.18	0.05	0.05
कार्यालय उपस्कर		7.25	0.53	(0.47)	7.31	6.17	0.77	(0.46)	6.48	0.83	1.08
फर्नीचर, जुड़नार और फर्निशिंग		8.03	0.37	(0.29)	8.11	7.36	0.51	(0.29)	7.58	0.53	0.67
कैरजन, कैम्प और उपरधायी शैंड		6.26	0.24	(0.50)	6.00	6.24	0.24	(0.50)	5.98	0.02	0.02
वाहन	(i)	14.62	0.38	(0.38)	14.62	12.82	0.63	(0.36)	13.09	1.53	1.80
चालू वर्ष का जोड़		495.87	23.23	(15.46)	503.64	317.80	34.14	(13.62)	338.32	165.32	178.07
पिछले वर्ष के ओलडें		497.32	31.32	(32.77)	495.87	303.87	44.20	(30.27)	317.79	178.07	193.45
ख अमूर्त परिसंपत्तियां											
सॉफ्टवेयर		1.71	0.05	-	1.76	1.71	0.04	-	1.75	0.01	-
पट्टा अधिकार		-	50.85	-	50.85	-	0.12	-	0.12	50.74	-
चालू वर्ष का जोड़		1.71	50.91	-	52.62	1.71	0.16	-	1.87	50.75	-
पिछले वर्ष के ओलडें		1.68	0.04	(0.01)	1.71	1.67	0.04	-	1.71	-	0.01
चालू वर्ष का सकल योग		497.58	74.14	(15.46)	556.26	319.51	34.30	(13.62)	340.19	216.07	178.07
पिछले वर्ष के ओलडें		499.00	31.36	(32.76)	497.58	305.54	44.24	(30.27)	319.50	178.07	193.45

फुटनोट

- i) नियत परिसंपत्तियां जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और निपटान के लिए रखी गई हैं उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम में शामिल किया गया है और निवल बहि मूल्य पर अन्य चालू परिसंपत्तियों में हस्तांतरित किया गया है: (₹ करोड़ में)

परिसंपत्ति ब्लाक	मार्च 2014 को		मार्च 2013 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	7.69	0.57	13.40	1.20
वाहन	0.04	-	-	-
कुल	7.73	0.57	13.40	1.20

- ii) अल्पपट्टा व स्टैंडबाय पर मुहैया कराए गए इंजन सहित

- iii) वर्ष के अवधि के आपरेंटिंग लिए मूल्यहास का आवंटन निम्नानुसार है:- (₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
लाभ हानि विवरण		
चालू	34.27	42.97
पूर्व अवधि	-	1.27
पूँजीकृत	0.03	-
कुल	34.30	44.24

- iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य 5.30 करोड़ ₹) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।

- v) कंपनी द्वारा केंद्रीय निरीक्षण रोल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीड होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.80 करोड़ ₹) भवन के निर्माण के लिए सनव विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

- vi) प्रीहोल्ड भूमि में बिक्री/समायोजन कॉलम में वर्ष 2013-14 के दौरान निदेश परिसंपत्ति में हस्तांतरित 1.12 करोड़ ₹ शामिल हैं।

- vii) मई 2013 को एक 48 टन का डीजल इंजन 777 (1.84 करोड़ ₹ का सकल ब्लॉक), (31.03.2013 तक 1.75 करोड़ ₹ का संचित मूल्यहास) लापता हो गया था। इसके कारण 31.03.2013 को बहि मूल्य में 0.09 करोड़ ₹ की हानि को संचित मूल्यहास के बिक्री/समायोजन कॉलम में दर्शाया गया है और विविध व्ययों में शामिल किया गया है।

10 प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
आरंभिक शेष	0.80	0.25
वर्ष के दौरान जोड़	9.92	0.55
कुल	10.72	0.80

विवरण :-

रोप का क्रियान्वयन	1.01	0.80
रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास	9.71	-

11 पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
आरंभिक शेष	69.17	58.36
वर्ष के दौरान जमा:		
- कार्यशील व्यय	5.02	11.26
- वेतन, पारिश्रमिक व लाभ	0.17	1.14
- भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	0.01	0.08
- अभिकल्प, आरेखण, व्यापार विकास एवं परामर्श प्रभार	0.06	0.11
- निरीक्षण, जैव तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय	0.01	-
- किराया - गैर आवासीय	-	0.02
- दरें व कर	0.01	0.03
- मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	-
- कार्यालय एवं अन्य	-	0.01
- यात्रा व्यय	0.05	0.06
- मुद्रण एवं स्टेशनरी	-	0.01
- पोस्टेज, दूरभाष एवं टेलीक्स	-	0.01
- सुरक्षा सेवाएं	0.01	0.03
- विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	0.01	0.02
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	0.01
- पूर्व अवधि व्यय	0.04	-
- विज्ञापन एवं प्रचार	-	0.16
- अप्राधिकृत पूंजी का मुद्दा	-	0.15
- विविध प्रचालनिक व्यय	-	0.05
घटा :-		
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	50.86	2.34
निवेश परिसंपत्ति में हस्तांतरित	1.61	-
कुल	22.09	69.17

12 गैर-चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
क निवेश संपत्ति पुराने एयरपोर्ट रोड, बेंगलूर में एसआरओ भवन कुल (क)			2.73		-
ख व्यापार निवेश (लागत पर) कोट न किए गए पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश छकीकृत संयुक्त उपक्रमों में सी सी एक बी. मोबाइल मैट्रीशियस 24000 प्रत्येक के 1,250,000 इक्विटी शेयर घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान (नोट सं 40 का संदर्भ लें) इस्कॉन-सोना टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) 10 रु. प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 13,000 इक्विटी शेयर छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त 13,000 इक्विटी शेयर कुल (ख)	(i)	12,50,000	5.53	12,50,000	5.53
			5.53		5.53
	(ii ख ब ग)	6,38,70,000	63.87	6,38,70,000	63.87
		13,000	0.01		-
		13,000	0.01		-
			63.89		63.87
ग अन्य निवेश (लागत पर) कोट किए गए बांडों में निवेश 8.00% भारतीय रेलवे विल कम्पनी लि. के 1,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड 8.00% भारतीय रेलवे विल कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड 7.21% भारतीय रेलवे विल कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड 8.23% भारतीय रेलवे विल कम्पनी लि. के 1,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड 8.35% भारतीय रेलवे विल कम्पनी लि. के 10,00,000 प्रत्येक के कर मुक्त बांड घटा: प्रीमियम का परिशिष्ट म्यूचुअल फंड में निवेश एसबीआई डेब्ट फंड फंड सीरीज - ए-14 कुल (ग)	(iii)	-	-	5,000	50.00
		163,131	16.31	163,131	16.31
		500	49.96	500	49.96
		500,000	50.00	-	-
		500	49.92	-	-
		25,000,000	25.00	-	-
			191.19		116.27
कुल			257.81		180.14

कोट किए बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-

		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	63.89	63.87
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	191.19	116.27
	- बाजार मूल्य	190.95	115.11

फुटनोट:

- मैट्रीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है।
- (क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2014 को बकाया देय राशि 444.30 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरिक्त) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमान किए जाने के कारण कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।
(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद 5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होगी चाहिए, के मददेनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयरधारकों के प्रीएमपशन अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।
- यह राशि 0.01 करोड़ रु. से कम है अर्थात् ₹ 1.794/-

13 आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2013 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2014 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	48.94	21.17	70.11
- भावी हानियाँ	2.46	0.98	3.44
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	33.69	(2.62)	31.07
- उपदान के लिए	18.31	2.71	21.02
- छुट्टी यात्रा खर्चा	0.03	0.02	0.05
- विधिक मामलों के लिए	21.93	(5.64)	16.29
- अभिकल्प गारंटी	75.41	2.49	77.90
- व्यय	14.86	1.37	16.23
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.01	-	0.01
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	40.88	8.40	49.28
- मूल्यहास	12.46	2.70	15.16
- प्रारंभिक व्यय का 3/5 भाग	0.01	0.12	0.13
	268.99	31.70	300.69
देयता			
	-	-	-
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयता	268.99	31.70	300.69
पिछले वर्ष	189.39	79.60	268.99

14 दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.71		1.77	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	22.45	24.16	-	1.77
ख. अरक्षित वसूली योग्य				
भूमि के क्रय के लिए पूंजी अग्रिम		244.82		-
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	0.58		0.61	
- ग्राहक	33.81		6.32	
- अन्य	0.21	34.60	4.88	11.81
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 40 का संदर्भ लें)		61.16		58.96
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	1.05		1.28	
सरकारी विभागों में जमा	0.04		0.16	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	103.12		102.24	
ग्राहकों से वसूलनीय राशि	7.45		14.75	
मांग के प्रति आयकर विभाग को जमा राशि	142.72		166.53	
अग्रिम कर/टीडीएस	15.18		18.57	
घटा: कर के लिए प्रावधान	5.18	10.00	3.61	14.96
पूर्व भुगतान व्यय		1.39	1.64	301.56
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध				
संबंधित पक्षों को ऋण				
संयुक्त उपक्रम				
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 40 का संदर्भ लें)		27.66		29.86
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	8.62		8.48	
जमा राशियां तथा प्रतिधारण राशि	-		0.02	
	36.28		38.36	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	36.28	-	38.36	-
कुल		630.51		374.10

फुटनोट

- (i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य (शून्य) है।

15 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. रक्षित वसूली योग्य पर अर्जित ब्याज :		
- स्टाफ को अग्रिम	0.90	0.97
ख. अरक्षित वसूली योग्य संचित ब्याज:		
- स्टाफ को अग्रिम	0.35	0.32
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यो को अग्रिम,	3.47	33.96
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	0.20	0.41
- आस्थगित देय	-	31.82
	4.02	66.51
ग. संदिग्ध समझे गए निम्न पर अर्जित ब्याज :		
संयुक्त उपक्रम		
- कंपैनिया डोस कभीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 40 का संदर्भ लें)	0.19	0.19
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता तथा अन्यो को अग्रिम,	0.40	0.40
	0.59	0.59
घटा: संदिग्ध के लिए प्रावधान	0.59	0.59
कुल	4.92	67.48

फुटनोट

- ईडीएम/प्रतिभूति जमा के प्रति ठेकेदारों से प्राप्त 8.70 करोड़ रु. (14.70 करोड़ रुपए) की सावधि जमा शामिल है।
- किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

16 चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को			31 मार्च 2013 को		
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	
क म्यूचुअल फंड में निवेश						
कोट किया गये						
म्यूचुअल फंड						
यूटीआई म्यूचुअल फंड, दैनिक लाभांश योजना	227,274	23.17		45,156	4.60	
यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVI - I	25,000,000	25.00		-	-	
यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVIII - IV	25,000,000	25.00		-	-	
एसबीआई डेट फंड सीरीज - 40	25,000,000	25.00		-	-	
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड-दैनिक लाभांश योजना	278,452	27.85	126.02	-	-	4.60
ख दीर्घकालीन बांडों की वर्तमान परिपक्वता						
1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.85% कर मुक्त भारतीय अवसंरचना वित्तीय कंपनी लिमिटेड के बांड	-	-		6,000	60.71	
घटा : निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का विनियोजन	-	-		-	0.36	60.35
1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.00% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्तीय कंपनी लिमिटेड के बांड	5000	50.00	50.00	-	-	60.35
कुल			176.02			64.95

कोट किए गए निवेश क प्रति प्रकटन :

(रुपए करोड़ में)

(रुपए करोड़ में)

कोट किए गए निवेश का योग	-	बुक वैल्यू	176.02	64.95
-	-	बाजार मूल्य	179.24	63.88

17 मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क. सामग्री एवं भंडार:		
- हाथ में	38.48	37.22
- तृतीय पक्षों के पास	0.84	1.06
- मार्गरथ	0.33	0.37
	39.65	38.65
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य	84.54	85.92
कुल	124.19	124.57

18 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
अनारक्षित :		
भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवाधि के बकाया ऋण		
- वसूली योग्य	134.96	159.48
- संदिग्ध समझे गए तथा प्रवधान किया गया	17.91	21.03
	152.87	180.51
अन्य व्यापार प्राप्य		
- वसूली योग्य	526.95	934.57
- संदिग्ध समझे गए तथा प्रवधान किया गया	-	0.58
	526.95	935.15
	679.82	1,115.66
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	17.91	21.61
	661.91	1,094.05
कुल	661.91	1,094.05

फुटनोट

- (i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

19 रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य			
क) हाथ रोकड़ (i)	(i)	0.16	0.27
ख) हाथ में बैंक/ड्राफ्ट		7.71	0.02
ग) बैंकों में शेष			
चालू खातों में		69.69	128.95
फ्लैक्सी खातों में (ii)	(ii)	128.22	194.55
सावधि जमा में (तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii)	(ii)	1,358.86	1,556.77
घ) पारगमन में प्रेषण		-	1,255.45
			1578.95
अन्य बैंकों में शेष			
सावधि जमा खातों में (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले) (ii)	(ii)	1,173.08	1533.04
कुल		2,737.72	3,116.47

फुटनोट:

- i) रोकड़ इंस्ट्रेट सहित हस्त रोकड़ 0.02 करोड़ रुपए (0.02 करोड़ रुपए)
 ii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2014	31.03.2013
फ्लैक्सी खाते में	73.65	72.55
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	272.31	470.00
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि सहित)	-	0.40
कुल	345.96	542.95

20 अल्पकालीन ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
क. रक्षित वसूली योग्य				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.75		0.71	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम	3.45	4.20	31.53	32.24
ख. अरक्षित, वसूली योग्य				
प्रतिभूति जमा				
- सरकारी विभाग	6.44		7.08	
- ग्राहकों से	66.45		91.09	
- अन्य	1.76	74.65	0.62	98.79
निम्न से वसूलनीय राशियाँ :				
संयुक्त उपक्रम				
- रीकन सीटा एसएआरएल	0.80		1.10	
- कंपैनिया डोस कभीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल	4.67		0.67	
- इरकॉन - एफकॉन	0.30		-	
अन्य	0.57	6.34	3.54	5.31
अंतर-निगम जमा		2.85		2.85
कर्मचारी ऋण व अग्रिम	1.85		2.45	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	225.35		93.88	
सरकारी विभागों में जमा				
ग्राहकों के पास धारित राशि	82.42		72.46	
(टीडीएस सहित) - बिक्री कर	200.36		120.88	
घटा:- विरोध में जमा राशि	(168.80)	31.56	(88.97)	31.91
मूल्य संबंधित कर	109.47		84.73	
सेवा कर इनपुट ऋण	0.46		1.18	
पूर्वप्रदत्त व्यय	5.29		5.40	
अन्य	5.42	461.82	3.82	295.83
ग. संदिग्ध समझे गए				
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.01		0.01	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	8.49		8.62	
सरकारी विभागों से जमा	2.26		2.25	
प्रतिधारण राशि सहित जमा	13.30		16.93	
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	12.56		10.73	
	36.62		38.54	
घटा:- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	36.62	-	38.54	-
कुल		549.86		435.02

फुटनोट:

- (i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर, शून्य(शून्य) है।

निदेशकों से देय राशियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशकों से देय राशि	0.02	0.03
	0.02	0.03

21 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:			
कर्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		0.17	0.16
बांड		8.63	3.41
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		0.09	0.09
त्रण हेतु			
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		0.20	0.20
निम्न पर जमा व अग्रिम :			
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		55.57	0.64
- बैंकों में जमा राशि		78.90	94.77
ख) प्रगतिरत निर्माण कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)	(iii)	330.09	135.87
ग) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति	(i)	1.59	1.20
घ) इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई में निवेशित राशि	ii)	19.00	-
कुल		494.24	236.34

फुटनोट

- (i) गितव्ययी रूप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियाँ (वसूलीयोग्य मूल्य तथा डुकमूल्य से कम)
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को		31 मार्च 2013 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संवर्त्र एवं मशीनरी	19.91	1.59	13.40	1.20
वाहन	0.04	-	-	-
कुल	19.95	1.59	13.40	1.20

- (ii) 31.03.2014 को इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई म्यूचुल फंड को 19,00,00,000.00 (उन्नीस करोड़ रुपये) का भुगतान किया गया था। चूंकि 31.03.2014 तथा 01.04.2014 यूटीआई म्यूचुल फंड में लेनदेन के लिए बैंक अवकाश का दिन थे, इसलिए 02.04.2014 को ही फॉयल सं. 509270058623 में इकाइयां आवंटित की गई थीं।
- (iii) एक परियोजना में, ग्राहक ने 144.02 करोड़ रुपये के कार्य को यह कहते हुए प्रमाणित किया है कि संविदा करार की शर्तों और जांच सूचियों के अनुसार निष्पादित गुणवत्ता पर दावित मदों/बिनों की विधिवत संवीक्ष के पश्चात भुगतान जारी किया जाएगा। यह कार्य 31.03.2014 से पूर्व निष्पादित किया गया था और बिल 01.05.2014 को प्रस्तुत किया गया। इसे वर्ष के लिए संविदा प्राप्ति के रूप में देखा गया है और निर्गमित मूल्य पर प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में दर्शाया गया है किन्तु इसे पिछले वर्ष में ऋणदाता के रूप में दर्शाया गया है (168.00 करोड़ रुपये)।
- (iv) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़कर, शून्य(शून्य) है।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	0.005	0.003
	0.005	0.003

22 प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
ठेका राजस्व	3,852.28	4,174.68
एमएफसी पट्टा	0.49	-
लोको पट्टा	41.49	35.60
मशीन किराया प्रभार	0.04	0.08
अन्य प्रचालनिक प्राप्ति	11.85	11.22
पूर्व अवधि संविदा राजस्व (नोट 28 का संदर्भ लें)	154.53	0.65
कुल	4,060.68	4,222.23

23 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
कर मुक्त बांड पर ब्याज	13.78	9.66
बैंक ब्याज - सकल	232.29	236.94
घटा: ग्राहकों को वापस किए जाने वाला ब्याज	35.20	48.37
वापस आए आयकर पर ब्याज	8.74	7.51
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज	0.35	0.42
अन्य अग्रिमों पर ब्याज	4.10	4.11
सावधि परिपक्वता योजना में ब्याज	3.05	-
विनिमय उच्चावचन लाभ	-	27.86
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	-	14.47
लाभांश आय	4.05	3.05
घटा : ग्राहकों को दिया गया लाभांश	-	0.76
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.19	3.44
विविध	14.93	13.34
पूर्व अवधि अन्य आय (नोट 28 का संदर्भ लें)	1.22	0.93
कुल	247.50	243.66

24 प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण					
अतिरिक्त शेष		38.28	67.75	-	-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद		262.02	398.30	-	-
		300.30	466.05	-	-
घटा: अतिरिक्त शेष		39.32	38.28	-	-
कार्यगत व्यय		2,144.57	2,352.16	-	-
इन्फ्रस्ट्रक्चर में (रुद्ध) / कमी		1.38	(19.37)	-	-
अभिकल्प, आरक्षण व्यवसाय विकास एजेंसी व परामर्श प्रभार		48.92	102.60	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		5.74	3.70	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		42.44	30.89	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		13.34	9.55	-	-
दिनिम्य उच्चावचन हानि		-	-	41.28	-
घटा: दिनिम्य उच्चावचन लाभ		-	-	32.52	-
निवृत्त दिनिम्य उच्चावचन हानि		-	-	8.76	-
किराया-गैर आवासीय (नोट 33 (iii) का संदर्भ लें)		3.83	4.40	0.20	0.30
दर एवं कर		9.49	136.29	1.42	0.38
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		11.71	14.20	0.82	0.82
मरम्मत और रखरखाव		-	-	-	-
- भवन		0.14	0.26	0.84	0.38
- कार्यालय तथा अन्य		3.54	3.22	2.05	3.23
बिजली, विद्युत व जल प्रभार		3.67	3.82	1.35	1.47
बीमा		7.16	10.17	0.10	0.18
घाता और दाहान		9.44	9.97	1.95	1.55
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.82	1.96	0.89	0.93
हाक टिकट, टेलीफोन, टेलीक्स		2.42	2.55	0.51	0.51
वित्तीय और व्यावसायिक प्रभार		4.38	2.70	1.32	3.81
चुरक्षा सेवाएं		3.79	3.13	0.15	0.16
व्यवसाय संबंधित		1.02	1.12	0.28	0.15
बढ़ता खाता:					
अशोध्य ऋण		31.98	0.10	-	-
अशोध्य अग्रिम		7.15	0.60	-	-
परिसंपत्तियां		0.01	-	-	-
परिसंपत्ति तथा भंडार की बिक्री से हानि		-	-	-	0.40
निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम का परिशीलन		-	-	0.35	0.36
निदेशकों की फीस		-	-	0.03	0.03
चंदा		-	0.01	-	-
लेखापरीक्षकों की फीस (i)	(i)	-	-	0.65	0.79
विकास और प्रचार		-	-	4.44	3.28
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.49	0.60
प्राथमिक व्यय बढ़ता खाता		-	-	-	0.68
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-	-	0.96	2.42
धार्मिक विकास		-	-	-	0.90
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		-	-	8.41	9.53
लिखित व्यय		4.32	2.52	1.38	1.12
निगमित ओवरहेड		-	-	-	-
पूर्व अवधि व्यय (नोट 28 का संदर्भ लें)		0.41	4.91	0.18	0.35
प्रावधान (जमा - परचलित) (ii)	(ii)	140.02	101.95	-	-
प्रावधान / उपयोग की गई आरक्षित निधियां (ii)	(ii)	(61.26)	(31.92)	-	(9.84)
कुल		2,702.41	3,179.25	37.34	24.55

फुट नोट

- (i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान
- (ii) लेखापरीक्षा फीस-चादू वर्ष
- (iii) हर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष
- (iv) प्रमाणिकरण फीस
- (v) खर्च की प्रतिलिपि
- स्थानीय
- विदेशी
- कुल**
- (ii), बयौत नोट सं. 27 पर उपलब्ध है

	2013-14	2012-13
(i)	0.33	0.21
(ii)	0.08	0.08
(iii)	0.05	0.08
(iv)	0.14	0.35
(v)	0.05	0.08
कुल	0.65	0.78

25 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	
	प्रचालनिक	प्रशासनिक	प्रचालनिक	प्रशासनिक
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस(i)(नोट 33(III) का संदर्भ लें)	146.13	26.78	119.91	33.23
भविष्य निर्धि तथा अन्य निधियों में अंशदान	6.70	2.77	6.21	2.56
विदेश सेवा अंशदान	0.50	0.58	0.76	0.40
सेवानिवृत्ति लाभ	11.45	34.58	10.58	23.81
कर्मचारी कल्याण	2.15	0.48	2.25	0.45
उप कुल	166.93	65.19	139.71	60.45
कुल	232.12		200.16	

फुटनोट

- (i) गैर-मौद्रिक पर्व पर आयकर शामिल है 0.35 करोड़ रुपए (0.23 करोड़ रुपए)

26 वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय (i)	26.37	0.09
अन्य उधारी लागत		
- बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार	12.17	10.80
कुल	38.54	10.89

फुटनोट

- (i) 26.34 करोड़ रुपए (शून्य) के आयकर पर ब्याज शामिल है।

27 प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2013 को शेष			वर्ष 2013-14 के दौरान			31.3.2014 को शेष		
	दीर्घ कालीन	अल्प कालीन	कुल	जमा	बढ़ा खाता	उपयोग	कुल	दीर्घ कालीन	अल्प कालीन
प्रावधान :									
क कर्मचारी संबंधित									
(i) सेवानिवृत्ति लाभों									
उपदान	50.81	3.26	53.87	10.33	-	2.35	61.85	57.76	4.09
छुट्टी वेतन के लिए	58.50	6.32	64.82	24.73	0.51	8.45	80.59	73.54	7.05
सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.31	0.11	1.42	-	0.12	0.01	1.29	1.20	0.09
सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ	-	9.36	9.36	8.14	-	-	17.50	-	17.50
पेंशन	17.88	-	17.88	5.73	-	-	23.61	-	23.61
सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	128.30	19.05	147.35	48.93	0.63	10.81	184.84	132.50	52.34
(ii) अन्य									
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	11.44	11.44	11.22	-	0.24	22.42	-	22.42
छुट्टी यात्रा खर्चा	0.05	0.03	0.08	0.06	-	0.02	0.14	0.13	0.01
अन्य लाभों का योग (ii)	0.05	11.47	11.52	11.30	-	0.26	22.56	0.13	22.43
कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	128.35	30.52	158.87	60.23	0.63	11.07	207.40	132.63	74.77
ख अन्य									
विसंग्रहण के लिए	4.97	32.27	37.24	13.65	0.43	2.53	47.93	24.01	23.92
अनुरक्षण के लिए	46.87	94.99	141.86	105.97	5.51	25.58	216.74	55.37	161.37
प्रत्याशित हानि	-	7.25	7.25	8.97	-	6.10	10.12	-	10.12
अभिकल्प गारंटी	221.86	-	221.86	26.67	19.34	-	229.19	172.20	56.99
संदिग्ध ऋण के लिए	-	21.61	21.61	0.14	3.66	0.16	17.91	-	17.91
संदिग्ध अग्रिम के लिए	38.95	38.54	77.49	1.84	3.65	2.19	73.49	36.87	36.62
निवेश की हानि	5.53	-	5.53	-	-	-	5.53	5.53	-
देयताएं (विधि मामले)	-	64.52	64.52	6.66	1.25	22.00	47.93	-	47.93
अन्य व्यय	18.05	25.66	43.71	28.16	18.18	2.70	50.99	22.94	28.05
आयकर और संपत्ति कर	-	823.35	823.35	398.56	14.37	329.95	877.59	-	877.59
लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	98.98	98.98	182.12	-	199.94	81.16	-	81.16
लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	16.06	16.06	31.72	-	33.98	13.80	-	13.80
कुल अन्य प्रावधान (ख)	336.23	1,223.23	1,559.46	804.46	68.41	625.13	1,672.38	316.92	1,355.46
सकल योग (ग = क+ख)	464.58	1,253.75	1,718.33	864.69	67.04	636.20	1,879.78	449.55	1,430.23
घ घटा: अलग से विचार किए गए									
नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	21.61	21.61				17.91	-	17.91
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रिम के लिए	38.95	38.54	77.49				73.49	36.87	36.62
नोट 12 में विचारित निवेश की हानि	5.53	-	5.53				5.53	5.53	-
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				48.93	0.63	10.81			
वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी				11.30	-	0.26			
आयकर समायोजित/पृथक विचारित				398.56	14.37	329.95			
भुगतान किए गए लाभांश/पृथक रूप से विचारित				182.12	-	199.94			
भुगतान किए गए लाभांश पर निगमित कर/पृथक विचारित				31.72	-	33.98			
कुल (घ)	44.48	60.15	104.63	672.63	15.00	574.94	96.93	42.40	54.53
निवल: चालू वर्ष (ग - घ)	420.10	1,193.60	1,613.70	192.06	52.04	61.26	1,782.85	407.15	1,375.70
पिछले वर्ष	415.74	686.61	1,102.35	168.79	66.84	41.76	1,609.96	420.10	1,189.86

नोट:

नोट 24 के विचारार्थ निवल प्रावधान (जमा/बढ़ा खाता)

140.02

नोट 24 के विचारार्थ उपयोग किए गए प्रावधान

61.26

नोट 25 के विचारार्थ सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधान

37.49

वेतन एवं पारिश्रमिक में नोट 25 के विचारार्थ निष्पादन संबंधी वेतन एवं एलटीसी

11.04

28 पूर्व अवधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु
पूर्व अवधि मर्दे		
आय :		
प्रचालन से राजस्व (i)	154.53	0.65
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	0.21	0.71
विविध	1.01	0.22
	155.75	1.58
व्यय:		
कार्य व्यय	0.41	1.75
प्रशासनिक व्यय	0.01	0.01
मूल्यहास	-	1.27
ब्याज और वित्तीय प्रभार	-	0.22
अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास तथा परामर्श प्रभार	-	3.15
अन्य	0.17	0.13
	0.59	6.53
कुल	155.16	(4.95)

- (i) दिनांक 20.05.2014 के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मतानुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उच्चावचनों के प्रभावों को ध्यान में रखें बिना राजस्व निर्धारण के लिए अपनी विदेशी परियोजनाओं के प्रतिशत समापन परिकलन की विधि में परिवर्तन किया है। इसके परिणामस्वरूप 31.03.2013 तक की अवधि के लिए 154.68 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व बुक हुआ है।

29. प्रासंगिक देयताओं में शामिल हैं:

- क) कम्पनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 1291.12 करोड़ रुपए (597.30 करोड़ रुपए) हैं। इसके विपरीत, कम्पनी ने 303.06 करोड़ रुपए (265.48 करोड़ रुपए) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरुद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो 434.65 करोड़ रुपए (88.14 करोड़ रुपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।
- ख) कम्पनी के विरुद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्य से संबंधित कुछ मामले लंबित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।
- ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 313.72 करोड़ रुपए (156.86 करोड़ रुपए) हैं। जिनमें से 107.27 करोड़ रुपए (23.06 करोड़ रुपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।
- घ) भविष्यनिधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर के दावे के लिए 1.75 करोड़ रुपए (1.75 करोड़ रुपए) हैं।
- ड) रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति में देयों में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, के 50 प्रतिशत की वसूली के लिए आईएसटीपीएल के आवधि ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को अंडरटेकिंग और ऋण की शेष राशि के 50% के लिए 31.03.2014 को कंपनी का दायित्व 222.15 करोड़ रुपए (260.77 करोड़ रुपए होगा)।
- च) पूर्व निर्धारित सेगमेंट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर संभावित उपकर के प्रति केन्द्रीय सीमा शुल्क व नमक अधिनियम, 1994 के अनुसार पूर्व निर्धारित सेगमेंट के निर्गम के लिए प्रतिभूति बांड के रूप में एमटीजी (सं.उ.) द्वारा केन्द्रीय सीमा शुल्क विभाग को निगमित गारंटी में 1.54 करोड़ रुपए (1.54 करोड़ रुपए) का आनुपातिक भाग जमा कराया गया।
- छ) ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदनों के निपटान के लंबित होने के कारण, 44.33 करोड़ रुपए (शून्य) के स्तर तक निर्णीत क्षतियों के भुगतान के लिए आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।

30. प्रतिबद्धताएं

- (क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 40.76 करोड़ रुपए (16.95 करोड़ रुपए) है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के प्रति प्रतिबद्धता:

- i. 2.58 करोड़ रुपए (2.60 करोड़ रुपए) (26% प्रत्येक) की इक्विटी के प्रति छत्तीसगढ़ पूर्वी रेलवे लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड को।
- ii. आईएसटीपीएल (संयुक्त उपक्रम) में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपथपत्र, 13.41 करोड़ रुपए (13.41 करोड़ रुपए)।

अत्यधिक विवरण से बचने के लिए व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में विक्रय/प्रापण से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताओं का प्रकट नहीं किया गया है।

- 31. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी, ऊपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।
- ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर (टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्विनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो, के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- ग) प्रबन्धन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

32. क. विदेशी मुद्रा में आय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	2172.97	1978.03
बैंक ब्याज	9.79	6.11
अन्य ब्याज	0.20	0.15
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	-	13.09
अन्य	2.26	2.91
कुल	2185.22	2000.29

ख. विदेशी मुद्रा में व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
प्रचालन व्यय	962.21	982.07
परामर्शदात्री प्रभार	40.16	93.26
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि (निवल)	8.76	-
प्रशासनिक और अन्य व्यय	113.86	101.73
कुल	1124.99	1177.06

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
पूँजीगत	12.34	-
सामग्री	60.02	55.74
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	-	-
कुल	72.36	55.74

घ. प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2012-13	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आयातित	60.02	23.00	55.74	13.03%
स्वदेशी	200.96	77.00	372.03	86.97%
कुल	260.98	100.00	427.77	100.00

33. पट्टे संबंधित प्रकटन

i. इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे

क. कंपनी द्वारा 31.03.2014 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	42.20 (25.20)	31.80 (0.26)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :-

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि	35.66	26.79
संचित मूल्यह्रास	33.87	25.45

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	1.16	1.87

ii. परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए हैं तथा सामान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय (नोट 25) के 6.52 करोड़ रुपये (5.55 करोड़ रुपये) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गैस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान 4.03 करोड़ रुपये (4.59 करोड़ रुपये) को नोट 24 में दर्शाया गया है।

iii. पट्टा बहु-उद्देशीय परिसरों का प्रचालन:

(क) कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ने दिनांक 31.03.2014 को 7 बहु-उद्देशीय परिसरों को उप-पट्टेदारों को उप-पट्टे पर दिया है।

(ख) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए पट्टा करार के अंतर्गत देय/वसूली योग्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	3.15 (शून्य)	9.58 (शून्य)	शून्य (शून्य)
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

(क) वर्ष के लिए पट्टे पर दिए गए बहु-उद्देशीय परिसरों के मूल्यह्रास/परिशोधन का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
परिसंपत्तियों का सकल वहन राशि	15.75	-
संचित मूल्यह्रास	0.12	-

(₹ in Crore)

विवरण	2013-14	2012-13
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	0.12	-

34. खण्डरिपोर्टिंग:

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
क. आवर्त						
प्रचालन से राजस्व	2137.49	1974.63	1923.19	2247.60	4060.68	4222.23
अन्य आय	11.53	20.09	235.97	223.57	247.50	243.66
कुल राजस्व	2149.02	1994.72	2159.16	2471.17	4308.18	4465.89
ख. परिणाम						
प्रावधान मूल्यहास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	1105.60	863.65	358.56	289.43	1464.16	1153.08
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	134.43	106.25	5.59	(4.30)	140.02	101.95
मूल्यहास	25.72	34.89	8.55	9.35	34.27	44.24
ब्याज	-	-	26.37	0.09	26.37	0.09
कर पूर्व लाभ	945.45	722.51	318.05	284.29	1263.50	1006.80
(आय)/हानियों में अल्पसंख्यक हित		-	(1.24)	0.52	(1.24)	0.52
कर व्यय	264.55	264.55	84.59	61.82	349.14	285.61
कर पश्चात् लाभ	680.90	498.72	232.22	222.99	913.12	721.71
ग. अन्य सूचना						
परिसंपत्तियां	2250.20	2516.64	3952.19	3693.51	6202.39	6210.15
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	81.12	71.11	183.40	176.93	264.52	248.04
देयताएं	1540.02	1818.61	1678.14	2167.08	3218.16	3917.07
पूंजीगत व्यय: स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	19.91	28.42	54.23	2.94	74.14	31.36

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पत्तियां		स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
निर्माण आदि	4018.17	4186.22	6098.75	6174.15	67.40	29.31
पट्टा और प्रचालन	42.51	36.01	103.64	36.00	6.74	2.05
जोड़	4060.68	4222.23	6202.39	6210.15	74.14	31.36

35) संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

1) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2014	2013
1	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	65.08 21.87 13.05	65.08 21.87 13.05
2	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
3	इरकॉन-एफसीओएनएस	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	53.00 47.00	- -

(ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2014	2013
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	49.00 51.00	49.00 51.00
2	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकॉन, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	49.00 51.00	49.00 51.00
3	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	61.22 34.35 4.43	61.22 34.35 4.43
4	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	24.21 75.79	24.21 75.79
5	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबल मित्रा जाया, इंडोनेशिया	55.00 45.00	55.00 45.00
6	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्स्ट्रक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
7	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8	इरकॉन-गन्नौन डंकली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकली	55.70 44.30	55.70 44.30

ख) संयुक्त उद्यमों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	शेयरधारक व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
			31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2013 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फेरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत	25.00	25.00
		राइट्स भारत	26.00	26.00
		सीएफएम, मोजाम्बिक	49.00	49.00
2	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	इरकॉन, भारत	50.00	50.00
		सोमा इंटरप्राइजेज लि. भारत	50.00	50.00
3	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	इरकॉन, भारत	26.00	26.00
		एसईसीएल, भारत	64.00	64.00
		छत्तीसगढ़ राज्य सरकार	10.00	10.00
4	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि.(सीईडब्ल्यूआरएल)	इरकॉन, भारत	26.00	26.00
		एसईसीएल, भारत	64.00	64.00
		जीओसीजी	10.00	10.00

ग) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में कंपनी के हितों से संबंधित परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय में कंपनी का भाग निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1	गैर-चालू परिसंपत्तियां		
क)	मूर्त परिसंपत्तियां	0.06	0.02
2	चालू परिसंपत्तियां		
क)	दरसूचियां	5.39	-
ख)	व्यापार प्राप्य	0.64	0.89
ग)	रोकड़ एवं बैंक शेष	27.27	8.23
घ)	अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	18.98	19.77
ड.)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	0.19	0.11
3.	गैर-चालू देयताएं		
क)	दीर्घकालीन देयताएं	16.38	-
4.	चालू देयताएं		
क)	व्यापार प्राप्य	8.26	7.72
ख)	अन्य चालू देयताएं	6.54	1.22
ग)	अल्पकालीन प्रावधान	3.22	2.77
5.	आय	8.81	12.96
6.	व्यय	9.61	11.59

36. संबंधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है:

(i) सहायक कंपनियां:

- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)।
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)।

(ii) संयुक्त उद्यम:

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम: उपर्युक्त नोट सं 35(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कंपनियां: उपर्युक्त नोट सं 35(ख) के समान।

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

निदेशक: सर्व/श्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग, दीपक सबलोक तथा हितेश खन्ना

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2013-14	2012-13	31.3.2014 को	31.3.2013 को
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख') तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं. 37 के अनुसार		-	0.44
संयुक्त उद्यम में निवेश				
आईएसटीपीएल	-	-	63.87	63.87
सीईआरएल/सीईडब्ल्यूआरएल	0.02	-	0.02	-
कुल	0.02	-	63.89	63.87
संयुक्त उद्यमों से ऋण:				
सीसीएफबी	-	(4.42)	88.82	88.82
कुल	-	(4.42)	88.82	88.82
संयुक्त उद्यमों से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि				
सीसीएफबी	3.57	0.66	4.67	0.66
आईएसटीपीएल	2.90	(0.15)	7.63	1.47
कुल	6.47	0.51	12.30	2.13
संयुक्त उपक्रमों को देय राशि				
आईएसटीपीएल	(2.35)	(3.80)	-	2.35
कुल	(2.35)	(3.80)	-	2.35
निम्न से आय:				
सीसीएफबी	-	-	-	0.19
आईएसटीपीएल	-	1.80	-	0.69
कुल	-	1.80	-	0.88

ग. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. एवं अन्य सहायक कंपनी इंडियन रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के संबंध में प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14		2012-13	
		इरकॉन आईएसएल	आईआरएसडीसी	इरकॉन आईएसएल	आईआरएसडीसी
1.	पूँजी	40.00	40.00	40.00	20.00
2.	आरक्षित निधियां	12.19	1.46	4.53	(1.07)
3.	कुल परिसंपत्तियां	124.65	43.36	99.87	19.96
4.	कुल दायित्व	72.46	1.90	55.34	1.03
5.	निवेश	-	-	-	-
6.	टर्नओवर	31.99	3.27	12.82	0.86
7.	करपूर्व लाभ	13.41	3.24	2.79	(1.07)
8.	कर के लिए प्रावधान	5.75	0.71	0.88	-
9.	कर पश्चात लाभ	7.66	2.53	1.91	(1.07)
10.	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-

37. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1.	वेतन और भत्ते	0.96	1.94
2.	भविष्य निधि में अंशदान	0.09	0.08
3.	सेवानिवृत्ति सहित अधिवार्षिक लाभ	0.10	0.03
4.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.04
5.	बैठक फीस	0.03	0.03
6.	अन्य हित लाभ	0.26	0.22
	जोड़	1.47	2.33

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

38. कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एस 28 अधिसूचना "परिसंपत्तियों का ह्रास" इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसंपत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। ह्रास हानि शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।
39. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण 31.12.2015 को किया गया है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेशा अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लाने का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ़ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपुर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।
40. (क) बीओटी आधार पर मोजाबिक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजाबिक के कानूनों के अनुसार सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था जिसमें कंपनी की 25 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी है और उसने 1.25 एमएन अमरीकी डालर (गैर-चालू निवेशों में दर्शाए गए 5.53 करोड़ रुपए (नोट 12)) का भुगतान किया है। कंपनी ने सीसीएफबी को शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और 31.03.2011 तक संचित ब्याज सहित कुल राशि 21.124 मिलियन अमरीकी डालर (31.03.2011 को 93.43 करोड़ रुपए को विनिमय दर में परिवर्तित किया गया है, जिसके प्रति 28.02.2013 को सीसीएफबी से 1 मिलियन अमरीकी डालर (4.42 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई है 93.24 करोड़ रुपए को दीर्घकालीन आवधिक ऋण तथा अग्रिमों (नोट 14(ख) तथा (ग) में दर्शाया गया है) और इस प्रकार 88.82 करोड़ रुपए (88.82 करोड़ रुपए) को दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम (नोट 14(बी) तथा (सी) और 0.19 (0.19)) को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नोट 15 (सी) में दर्शाया गया है)। 1 मिलियन अमरीकी डालर के नकदीकरण पर शून्य रुपए (1.08 करोड़ रुपए) के विनिमय लाभ को लेखांकित किया गया है। हालांकि, परियोजना पूरा हो गया था, मोजाबिक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था।
- (ख) सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध तथा गैरकानूनी है और उसने मोजाबिक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपन मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबिन निष्कर्ष के कारण, विद्यमान विनिमय दर पर ब्याज सहित ऋण और संभावित लाभ के प्रति 33.38 करोड़ रुपए (35.57 करोड़ रुपए) [29.77 करोड़ रुपए (29.77 करोड़ रुपए)] ऋण तथा उस पर ब्याज के प्रति, 3.21 करोड़ रुपए (3.21 करोड़ रुपए) (नोट 12, 14 तथा 15 का संदर्भ लें) के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए सीसीएफबी द्वारा संभावित पूंजीगत व्यय के प्रति प्रावधान किया गया है। देय ब्याज सहित ऋण की राशि को 31.03.2011 की प्रचलित विनिमय दर पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित कारणों से वर्ष के लिए 3.79 करोड़ रुपए (4.28 करोड़ रुपए), संचयी 8.59 करोड़ रुपए (7.66 करोड़ रुपए) की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।
- (ग) यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2014 को समाप्त विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 20.15 करोड़ रुपए (13.10 करोड़ रुपए) अधिक होते और कर पूर्व लाभ 13.10 करोड़ रुपए अधिक होता (वर्तमान वर्ष पर प्रभाव 7.05 करोड़ रुपए तथा पूर्ववर्ती वर्षों पर प्रभाव 13.10 करोड़ रुपए)।

41. कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्माण परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत छूट का दावा किया है। सभी आकलन वर्षों के लिए आकलनकर्ता अधिकारी द्वारा छूट की नामजुरी नहीं दी गई है। हालांकि, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए हमारे दावे को अनुमति प्रदान की है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। तदनुसार, अनुच्छेद 80आईए के अंतर्गत कटौतियों पर विचार किए बिना आय कर के लिए प्रावधान किया गया है। आकलन वर्ष 2013-2014 तक कटौती 799.79 करोड़ रुपये (700.53 करोड़ रुपये) है। आकलन वर्ष 2000-01 से आकलन वर्ष 2013-14 तक 80आईए कटौती का कर पर प्रभाव 272.92 करोड़ रुपये है। 272.92 करोड़ रुपये की इस राशि में से 154.21 करोड़ रुपये का समायोजन कर के भुगतान के रूप में किया गया है और 118.71 करोड़ रुपये की शेष राशि को 31.03.2014 को आय कर के प्रावधान में शामिल किया गया है। यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है।

42. एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन, कर्मचारी लाभ

भविष्यनिधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार उपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपये के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट में दिनांक 31.03.2014 को 31.82 करोड़ रुपये (30.57 करोड़ रुपये) की संयुक्त निधि है। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 17.50 करोड़ रुपये (9.36 करोड़ रुपये) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खाता के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	53.87 (49.63)	61.34 (55.61)	0.08 (-)	1.41 (1.57)
ब्याज लागत	4.04 (3.72)	4.60 (4.17)	0.01 (-)	0.11 (0.12)
चालू सेवा लागत	3.16 (2.90)	4.72 (5.09)	- (-)	0.06 (0.07)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.35) (3.51)	(7.16) (3.56)	(0.02) (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) (0.35)
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषित स्थिति	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.29) ((1.41))
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(3.12) ((1.13))	(13.45) ((0.04))	(0.07) -	0.28 (0.35)
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) ((0.35))
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) ((0.35))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.29) ((1.41))
अनुमानित के ऊपर वास्तविक में अधिक	- ((-))	-	- (-)	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.29) ((1.41))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

vi) लाभ हानि का विवरण में मान्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	उपदान	घुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	3.16 (2.89)	4.72 (5.09)	- (-)	0.06 (0.07)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	0.01 (-)	- (-)
ब्याज लागत	4.04 (3.72)	4.60 (4.17)	- (-)	0.11 (0.12)
योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित वापसी	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	3.12 (1.13)	13.45 (0.04)	0.07 (-)	(0.28) ((0.35))
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	10.33 (7.75)	22.77 (9.30)	0.08 (-)	(0.12) ((0.16))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

vii) चालू अवधि के लिए राशि

(₹ करोड़ में)

	उपदान	घुट्टी नकदीकरण	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)
योजना परिसम्पत्तियां	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
सरप्लस(डैफिसेट)	(61.85) ((53.87))	(76.95) ((61.34))	(0.14) ((0.08))	(1.28) ((1.41))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(3.12) ((1.13))	(13.45) ((0.04))	(0.07) (-)	0.28 (0.35)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर

viii) वास्तविक अनुमान

i)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	8%
iii)	उपभोग स्तर में वृद्धि की दर	8%
iv)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	12.96 वर्ष
v)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	12.96 वर्ष

43. प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन*

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31.3.14 तक	31.3.13 तक
क	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटा: निर्धारित हानियां)	18309.48	16716.79
		31.03.14 को	31.03.13 को
ख	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	314.77	1141.93
ग	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	106.32	144.33

*31.3.2014 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर।

44. (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडीई अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2014 तक कोई देय नहीं है।
- (ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औद्योगिक इकाई भी है। इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2014 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औद्योगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि शून्य रूप में (शून्य) है।
45. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निम्न कर पश्चात लाभ के 913.12 करोड़ रुपये (721.70 करोड़ रुपये) को 197,42,400 (197,42,400) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहाँ कोई विलयन शामिल नहीं है।
46. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने वरसूचियों के रूपांतरण संबंधी अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया है जिन्हें "प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित दर" से परिवर्तित करके "लेनदेन की तिथि को क्रय दर" पर कर दिया गया है। तथापि, इससे वरसूचियों तथा वर्ष के लिए करपूर्व लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
47. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने ठेकेदारों से निर्णीत क्षतियों की वसूली संबंधी अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया है जिन्हें "वास्तविक वसूली पर लेखांकन" से परिवर्तित करके "वसूली के अंतिम निर्णय पर लेखांकन" कर दिया गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी में 9.71 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और वर्ष के लिए प्रचालनिक आय में 10.69 करोड़ रुपये तथा कर पूर्व लाभ में 0.98 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
48. वर्ष के दौरान कम्पनी ने संविदा राजस्व निर्धारण संबंधी अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार बिक्री कर/वेद/इन्क्यूसीटी/सेवा कर को राजस्व से अलग रखा गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए प्रचालनिक आय तथा व्यय में 27.54 करोड़ रुपये की कमी हुई है। तथापि, कम्पनी के लाभ/हानि में इसका निम्न प्रभाव शून्य रहा है।
49. कम्पनी लागत जमा आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य में यूएसबीआरएल नामक बॉड गेज रेल लिंग परियोजना को निष्पादित कर रही है। उत्तर रेलवे, ग्राहक, ने कम्पनी द्वारा किए गए कतिपय व्ययों/किए गए व्ययों पर देय संविदा संवर्धन के औचित्य पर कतिपय प्रश्न उठाए हैं और परियोजना में किए गए कार्य की गुणवत्ता पर कतिपय टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं, जिनका उपयुक्त रूप से उत्तर भी दिया गया है। कम्पनी को इस संबंध में किसी प्रकार के दायित्व की संभावना नहीं है। तथापि, इन मुद्दों से उत्पन्न समायोजनों, यदि कोई हों, को आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा।
50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहित, पुनः व्यवस्थित तथा पुनः निर्धारित किया गया है। इससे अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए उन्हें कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

इति माटा
सहायक प्रबंधक/कम्पनी
मामले एवं कम्पनी सचिव

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त
मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01.08.2014

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

- हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (जिसे यहां आगे "समूह" कहा जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2014 को समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है।

- वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") के धारा 211 की उपधारा (उसी) के संदर्भ में लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह का वास्तविक एवं उचित स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह जालसाजी हो या त्रुटि के कारण हो।

- लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और समेकित वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं ताकि उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त हो, किन्तु निकाय की आंतरिक नियंत्रण की कुशलता पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

- योग्य मत के लिए आधार**

(क) कंपनी संयुक्त उपक्रम कंपनी, कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फीरो डा बेरा एसएआरएल (सीसीएफबी) से देय शेयरधारक ऋण और उस पर संचित ब्याज को 31 मार्च 2011 को प्रचलित विनियम दर पर अग्रशेष कर रही है तथा एस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2014 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 20.15 करोड़ रुपये तक कम, कर पूर्व लाभ 20.15 करोड़ रुपये तक कम (चालू वर्ष में 7.05 करोड़ रुपये, पूर्ववर्ती वर्ष में 13.10 करोड़ रुपये) तक कम हो गए हैं। (नोट सं. 40 का संदर्भ लें)।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ठेकेदारों से निर्णीत क्षतियों की वसूली संबंधी अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया है जिन्हें "वास्तविक वसूली पर लेखांकन" से परिवर्तित करके "वसूली के अंतिम निर्णय पर लेखांकन" कर दिया गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए प्रचालनिक आय में 10.69 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वर्ष के लिए प्रचालनिक व्यय में 9.71 करोड़ रुपए तथा कर पूर्व लाभ में 0.98 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है (नोट सं. 47 का संदर्भ लें)।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने संविदा राजस्व निर्धारण संबंधी अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार बिक्री कर/वेट/डब्ल्यूसीटी/ सेवा कर को राजस्व से अलग रखा गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए प्रचालनिक आय तथा व्यय में 27.54 करोड़ रुपए की कमी हुई है। तथापि, कंपनी के लाभ/हानि में इसका निवल प्रभाव शून्य रहा है (नोट सं. 48 का संदर्भ लें)।

यदि उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) का प्रभाव संचयी होता तो, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 650.66 करोड़ रुपए, प्रचालनिक आय 4077.53 करोड़ रुपए, प्रचालनिक व्यय 2720.24 करोड़ रुपए तथा कर पूर्व लाभ 1269.57 करोड़ रुपए होता।

5. योग्य मद

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और नीचे उल्लिखित अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, योग्य मत पैरा के आधार में वर्णित मुद्दों के प्रभावों को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं वस्तुविक स्थिति प्रस्तुत करता है:

- 1) समेकित तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2014 को कंपनी के कार्यकलापों हेतु,
- 2) समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में, इस तिथि को समाप्त अवधि के लाभ हेतु,
- 3) समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में, इस तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह हेतु।

6. विषय पर बल

अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास, एजेंसी तथा परामर्शदात्री प्रभार (नोट सं. 24) तथा परामर्शदात्री प्रभार (नोट 32 (ख) विदेशी मुद्रा में व्यय) में आर्डर प्राप्त करने तथा विदेशी परियोजनाओं के लिए अन्य व्यावसायिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त विदेशी एजेंसियों को कमीशन के रूप में भुगतान 37.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 83.16 करोड़ रुपए) लाभ और हानि खाते के नामे डाले गए व्यय शामिल हैं। यह कंपनी द्वारा की जाने वाले एक निरंतर प्रक्रिया है। आंतरिक नियंत्रण, उनके केवाईसी के संबंध में अभिलेखन, अध्ययन तथा कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के संबंध में साक्ष्य, कंपनी के व्यवसाय के आकार तथा मात्रा के अनुरूप नहीं है। इस विषय को लेखापरीक्षा समिति तथा शीर्ष प्रबंधन के नोटिस में लाया गया है। इस संबंध में निदेशक मंडल ने हाल ही में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पक्ष में शक्तियों के प्रत्यायोजन की पुष्टि की है। कंपनी ने हमारे अवलोकनों के अनुसरण में इस संबंध में नीतियों, प्रक्रियाओं तथा अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए हैं।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य मुद्दे

हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल दो सहायक कंपनियों यथा मैसर्स भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) तथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएलए) 5 संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2014 को 220.56 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों (निवल) को दर्शाता है और समाप्त वर्ष के लिए 44.07 करोड़ रुपए के कुल राजस्व तथा 29.52 करोड़ रुपए की राशि के निवल रोकड़ प्रवाह का दर्शाता है।

क. उपर्युक्त में से 2 सहायक कंपनियों और 4 संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई गई हैं और हमारे विचार पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं। ये वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित अनुसार तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2014 को 213.96 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों (निवल), 36.98 करोड़ रुपए के कुल राजस्वों तथा 31.99 करोड़ रुपए के निवल रोकड़ प्रवाहों को दर्शाते हैं।

ख. हमने 1 संयुक्त उपक्रम के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विश्वास किया है जो 31 मार्च 2014 को 6.60 करोड़ रुपये के कुल परिसंपत्तियों (निवल), समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित अनुसार तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 7.09 करोड़ रुपये के कुल राजस्व तथा 2.47 करोड़ रुपये के निवल रोकड़ आउटप्लो को दर्शाता है। यह अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हमें संयुक्त उपक्रमों के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और चूंकि हमारी रिपोर्ट अभी तक उपर्युक्त राशियों से मेल खा रही है, यह पूर्णतः ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

हमारा मत अन्य विषयों के संबंध में अर्हक नहीं है।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 002304एन

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 27.08.2014

मुकेश दधीच
भागीदार
सदस्यता सं.517741

इरकॉन

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली.: +91-11-29565666, फैक्स: +91-11-26522000 / 26854000
ई-मेल: info@ircon.org, वेबसाइट: www.ircon.org
सीआईएन : यू45203डीएल1976जीओआई008171

